राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ७] तृतीय विधान सभा के सप्तम् सत्र, १९६५ का सातवां दिवस [संख्या ६

बुधवार, दिनांक ३ मार्च, १९६५

विधान सभा की बैठक ११.७ म० पू० विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[पचायत, सार्वजनिक निर्माण, याता-यात, वित्त, आयुर्वेद, आबकारी, उद्योग, वन, विद्युत् एवं मुद्रणालय-विभाग]

प्रश्न संख्या ११७

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

कठूमर घोसराणा सड़क

११८. **श्री गोकुलचन्द** (कठूमर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

१. कठूमर से घोसराणा (जिला अलवर) सड़क बनाये जाने का निर्णय सरकार ने कब लिया था ?

२. क्या यह बात सही है कि इस सड़क की पैमाइश आदि भी हो चुकी और नक्शा स्वीकार हो चुका है ?

३. यदि हां, तो फिर अभी तक उस सड़क का काम शुरू न करने का क्या कारण है ?

४. अब उक्त सड़क कब तक बनाई जा सकेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : १. दिनांक १६.११.६१ को।

२. सर्वे हो चुका है। एस्टीमेट्स की तकनीकी स्वीकृति विचाराधीन है।

३. टेन्डर आमन्त्रित किये गये हैं। तखमीनों की स्वीकृति पर कार्य आरम्भ कर दिया जावेगा।

(श्री हरिश्चन्द्र)

४. आशा है, कार्य इस वर्ष से आरम्भ हो जायेगा योजनानुसार। यह कार्य चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तक होने को है।

बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण

११९. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य में १९६४-६५ के अन्त तक कितने मार्गों का राष्ट्रीयकरण करने की योजना थी ?

(२) इस अवधि में कितने मार्गों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जा सका उनके नाम बतायें।

(३) निश्चित अवधि में किन कारणों से राष्ट्रीयकरण नहीं किया जा सका ?

(४) इस संबंध में सरकार की नीति अब क्या है ? कब तक यह कार्य सम्पन्न किया जा सकेगा ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री रामप्रसाद लड्ढा) ; (१) सन् १९६४-६५ में मार्गों का राष्ट्रीयकरण करने की कोई अतिरिक्त योजना नहीं थी और सन् १९६३-६४ की योजना को ही १९६४-६५ में लिया जाना था। उसमें निम्न मार्गों का राष्ट्रीयकरण करना था :—

१. उदयपुर-खेरवाड़ा-अहमदाबाद
२. गंगानगर-पदमपुर-रायसिंहनगर
३., पदमपुर-करणपुर
४. गंगानगर-अबोर
५. गंगानगर-हनुमानगढ़
६. गंगानगर-करनपुर
७. गंगानगर-हिन्दूमलकोट
८. हनुमानगढ़-अबोर
९. गंगानगर-रावतसर
१०. ब्यावर-सोजत-पाली
१२. कोटा-भालावाड़-इकलेरा

(२) इस अवधि में निम्न मार्गों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है :—

१. उदयपुर-खेरवाड़ा-अहमदाबाद
२. गंगानगर-पदमपुर-रायसिंहनगर
३. पदमपुर-करनपुर
४. गंगानगर-अ.ोर
५, गंगानगर-हनुमानगढ़
६. गंगानगर-करनपुर
७. गंगानगर-हिन्दूमलकोट
८. गंगानगर-अबोर
९. गंगानगर-रावतसर

(३) इन मार्गों का राष्ट्रीयकरण न होने का यह कारण था कि राजस्थान राज्य सड़क यातायात निगम द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इनका राष्ट्रीयकरण पुनः विचार विनिमय के बाद ही किया जाय।

(४) आगे राष्ट्रीयकरण करने की योजना राजस्थान राज्य सड़क यातायात निगम के विचाराधीन है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : अध्यक्ष महोदय, ६३ में ११ रूटों को नेशनलाइज़ करने की योजना बनी थी, पर २ को

Page No 3

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

किया गया जो कि छोटे छोटे थे; ६ यों के यों पड़े हैं।

श्री अध्यक्ष : यह तो स्पष्ट है।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : मध्यप्रदेश की रोडवेज हमारे राजस्थान के कितने इलाके को कवर करती है ? और अगर हमारे यहां रूटों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जावे तो स्टेट को कितना लाभ मिलेगा ?

श्री रामप्रसाद लड्डा : यह अलग से प्रश्न है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये, आप तो कमेन्ट करके बैठ गईं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : यह जो कोर्पोरेशन बना है कब तक स्टेट के सारे नेशनलाइजेशन के वर्क को हाथ में ले लेगा; आखिर सरकार इस प्रश्न को टालती क्यों जा रही है ? नहीं करना है तो ना कह दे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अब तो सरकार का प्रश्न नहीं है। निगम के विचाराधीन है यह सारा मामला और वह सारी योजनाएं बनाकर उनको कार्यान्वित करेगा।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : तो क्या निगम के बारे में यहां सवाल नहीं पूछा जासकता ? जिम्मेदारी सरकार की नहीं रह जाती कुछ ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रहती है, तभी तो प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। पर निगम अपनी योजनाएं बनावेगा कि किन-किन रूट्स पर नेशनलाइज किया जावे, कितना एरिया है, कितना उसके पास साधन है और फिर अपने साधनों के अनुसार उनको क्रियान्वित करेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): आपका कोई कन्ट्रोल तो उस निगम पर होगा ? आपकी निगम के साथ कुछ शर्तें तो होंगी कि सरकार की यह पॉलिसी है उसके अनुसार उसे इतने और इस प्रकार के रूट्स नेशनलाइज इतने समय में करने होंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्डा : यह एक ओटोनोमस बॉडी है, उसके साथ इस प्रकार की शर्तें नहीं होतीं। राष्ट्रीयकरण करने में वह अपनी योजनाओं के और साधनों के अनुसार काम करता है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : फिर अलग से निर्णय करने और योजनाएं बनाने की उसको क्या जरूरत पड़ गई ? योजना तो सरकार ने बना दी है कि रूटों को नेशनलाइज करना है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सरकार ने यह फैसला किया है कि चूंकि निगम की स्थापना हो रही है इसलिये यह सारा कार्य निगम ही अपने साधनों और अपनी योजनाओं के अनुसार पूरा करे।

श्री अब्दुलजब्बार खां : निगम अगर खामोशी से बैठा रहा तो क्या होगा ?

Page No 4

श्री अध्यक्ष ; यह बहस का विषय है और बहस के दौरान माननीय सदस्य इस प्रश्न को भी उठा सकते हैं राष्ट्रीयकरण के नाम से ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : जो फेज्ड प्रोग्राम सरकार ने नेशनलाइजेशन के बारे में बनाया था क्या वह अब समाप्त हो गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो निर्णय लिया अन्त में सरकार ने यह लिया कि चूंकि अब कॉर्पोरेशन बन गया है इसलिये यह सारा कार्यक्रम वही देखे और कार्यान्वित करे, इसलिये समाप्त होने का प्रश्न नहीं उठता । उदयपुर-खेरवाड़ा—हिम्मतनगर का केस लीगल रिमेम्ब्रेन्सर के पास अन्तिम स्टेज पर है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके अनुसार यह निगम राष्ट्रीयकरण को आगे बढ़ावेगा या ड्रॉप कर देगा ?

योजना मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : निगम ने अगले साल राष्ट्रीयकरण के लिये ४०० मील का फैसला किया है, यह मैं पहले कह चुका हूं और निगम ने हमको भी इससे सूचित किया है । अब वह ४०० मील का रास्ता कौनसा है, यह निगम तय करेगा व इसमें भारत सरकार के प्रतिनिधि भी हैं, रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधि भी बैठते हैं । रेलवे वाले भी यह देखते हैं कि कोई ऐसा रास्ता तो नेशनलाइज नहीं हो रहा है जिससे उसको घाटा हो इसलिये ये सब बैठकर निगम में फैसला करते हैं कि ४०० मील का रास्ता कौनसा हो । इनमें एक रूट के बारे में उसने हमें इत्तला दी है वह अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, हिम्मतनगर, अहमदाबाद का रूट होगा । यह ३०० मील का रास्ता है और बाकी १०० बच जावेगा वह भी सूचित कर दिया जावेगा जैसे ही हमें निगम ने सूचना दी ।

सरकार की राष्ट्रीयकरण की नीति है और यही नीति निगम की है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : गंगानगर के रूट के सम्बन्ध में निगम का क्या विचार है ?

श्री मथुरादास माथुर : वह विचार कर रहा है ।

पेन्शन में वृद्धि

१२० श्री मोहनराज (बाली) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार के समक्ष पेन्शन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों एवं अफसरों ने उनकी पेन्शन मे वृद्धि किये जाने मुताल्लिक कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ? यदि हां, तो अभी तक उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि कोई आज्ञा जारी की गई हो, तो कृपया उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रक्खें ।

(२) क्या यह सही है कि भारत सरकार ने मौजूदा महंगाई को देखते हुए अपने सेवा निवृत्ति कर्मचारियों एवं अफसरों की पेन्शन में दस प्रतिशत की वृद्धि की है ? क्या राज्य सरकार भी यह न्यूनतम वृद्धि करने को तैयार है ?

Page No 5

(श्री मोहनराज)

(३) क्या राज्य सरकार पेन्शन में वृद्धि के साथ साथ उन्हें मुफ्त चिकित्सा की सुविधा एवं शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य सुविधाएं देने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) हां । प्रतिवेदन विचाराधीन है :

(२) भारत सरकार ने पेन्शन में वृद्धि इस प्रकार की है ।

३०) रु० तक पेन्शन पाने वाले—५)

३०) रुपये से ऊपर परन्तु ७५) रुपये से कम—७) ५०

७५) रुपये से उपर परन्तु २०० से कम—१०)

२०० से उपर २१० और पेन्शन का अन्तर

राजस्थान में पेन्शनरों को, जिनको पेन्शन तथा महंगाई भत्ता मिलाकर २५ रु० तक मिलता है उनको ५ रु० प्रति माह की दर से न्यूनतम वृद्धि दी है ।

(३) राज्य सरकार का अभी कोई इरादा नहीं है ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०) : राजनैतिक पीड़ितों की दी जाने वाली पेन्शन भी बढ़ाई जायेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो सरकारी मुलाजिमों के लिये है ।

प्रश्न संख्या १२१

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १२२

श्री जेठमल बरवड़ ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १२३

श्री भगराज चौधरी ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १२४

श्री जुझारसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १२५

श्री दुर्गालाल वाढ़दार ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १२६

श्री मानिकचन्द सुराणा ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

वैद्य श्री गोविन्दसहाय ।

Page No 6

गंगापुर में गांवड़ी सड़क का कार्य

१२७. वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि गंगापुर से गांवड़ी रोड का कार्य शुरू हुए करीब ८ वर्ष से अधिक हो गया है ?

(२) क्या यह भी सही है कि चालू वित्तीय वर्ष में वहां के लिये डेढ़ लाख रुपया स्वीकृत है ? यदि हां, तो फिर भी वहां पर कार्य शुरू न होने का क्या कारण है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : कार्य शुरू हुए पांच वर्ष हुए हैं।

(२) जी नहीं। कार्य विभाग द्वारा अब कराया जावेगा एवं टेन्डर मांगे जा रहे हैं।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष उप-मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था काम शुरू कराना है, टेन्डर दिये जा चुके हैं और अब मंत्री महोदय कुछ और कह रहे हैं और दुबारा मांगे जा रहे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : ऐसा था कि यह कोई ५ मील की सड़क है। यह दुख है कि इसमें काफी समय लगा है। लेकिन जो टेन्डर जीरो मील से दो मील का था वह काम ठेकेदार ने नहीं किया। इस वास्ते उसको अब डिपार्टमेंटली शुरू कराया गया है।

इसमें एक फर्लांग का झगड़ा अलॉटमेंट का है जो कलेक्टर के विचाराधीन है और ३ से ५ का टेन्डर मांग लिया गया है और वह जो है सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर के विचाराधीन है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं खुद सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर को चिट्ठी लिख कर कार्यवाही कराऊंगा।

प्रश्न संख्या १२८

भांग का ठेका

१२८. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या आबकारी एवं कर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में राज्य सरकार को भांग सप्लाई करने का ठेका किस व्यक्ति को है तथा पिछले दस वर्षों में किस भाव से सरकार ने भांग खरीदी है।

(२) क्या यह सही है कि पंजाब सरकार ६) रु० मन की निश्चित दर से ही भांग खरीदती है ?

(३) क्या यह सही है कि कुछ अन्य पार्टियों ने भी सरकार को सस्ते भाव में भांग सप्लाई करने का प्रस्ताव किया था ?

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : प्रश्न संख्या १२८ :

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की पूरी जानकारी अभी प्राप्त नहीं हो सकी है। मेरी रिक्वेस्ट है कि इसे पोस्टपोन कराया जावे।

Page No 7

प्रश्न संख्या १२६

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १३०

श्री पोहूमल ईसरदास।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

चम्बल घाटी भू-संरक्षण में मिट्टी का परीक्षण

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या वन मंत्री उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) चम्बल घाटी भू-संरक्षण योजना में सिल्ट सेम्पलिंग एनेलिसिस कब से हो रहा है ?

(२) उपरोक्त कार्य पर अब तक कितना व्यय हो चुका है ? इस पर रेकरिंग व नॉन रेकरिंग वार्षिक व्यय (व कुल व्यय) कितना है ?

(३) इस कार्य के लिए कितने व कौन कौन एक्सपर्ट्स हैं तथा उनकी क्या क्या योग्यता है ?

वन मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) जुलाई सन् १९६४ से।

(२) इस कार्य पर माह जनवरी सन् १९६५ तक ३१,५७०) का नॉन रेकरिंग खर्च हुआ है। रेकरिंग खर्च जनवरी ६५ तक कुछ नहीं हुआ है।

(३) इस कार्य के लिए कोई एक्सपर्ट नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या इस कार्य के लिए सरकार की ओर से कोई गजटेड अफसर नियुक्त है ? सेम्पलिंग के लिए विभाग का गजटेड ऑफीसर नियुक्त है और उसे बंगला अलॉट है ?

श्री भीखाभाई : यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह कैसे ? मैंने स्पष्ट पूछा है कि रेकरिंग और नॉन रेकरिंग व्यय कितना है। दूसरा भाग पढ़ेंगे आप, तो पता लगेगा। इस कार्य के लिये कितने व कौन कौन एक्सपर्ट्स हैं, उनकी क्या योग्यताएं हैं, यह सब इसमें कवर हो जाता है। सेम्पलिंग की ओर से सरकारी अधिकारी नियुक्त हुआ है।

श्री भीखाभाई : प्रोजेक्ट ऑफिसर है, वह अलग बात है। छोटे-मोटे अफसर होंगे जो सिर्फ अनेलिस्ट हैं। इसका खर्चा यहां नहीं है; जैसे मैंने कहा नॉन रेकरिंग एक्सपेन्डीचर का। सिल्ट अनेलिस्ट है १७०) का।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने कहा कि रेकरिंग खर्चा नहीं हुआ। रेकरिंग खर्चे से तो स्टाफ का ही मतलब है। तो फिर प्रोजेक्ट ऑफिसर का खर्चा कैसे है ?

श्री भीखाभाई : यह अपने काम के साथ यह काम भी देखता है। नॉन रेकरिंग का सवाल है उसमें जो उसको इम्प्लीमेंट

(श्री भीखाभाई)

करने में सिर्फ सप्लायर मंगाया गया है, उसका खर्चा है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने बताया कि एक विभाग की ओर से सिल्ट अनेलिस्ट हैं, उसका क्या वेतन है ?

श्री भीखाभाई : इसके वेतन का झगड़ा चल रहा है। जब तनख्वाह ही चार्ज नहीं हुई तो यह भी नहीं आया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : तो क्या जब से सिल्ट अनेलिस्ट नियुक्त हुआ है आज तक तनख्वाह नहीं दी गई है ?

श्री भीखाभाई : जी हां। नहीं मिली।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : इतनी मेहरबानी की है आपने उस पर !

श्री भीखाभाई : रूल्स का झगड़ा है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अब तक सिल्ट एनेलिसिस किससे करवाया जा रहा है ?

श्री भीखाभाई : अभी सिर्फ काम हो रहा है, सिल्ट सेम्पल इकट्ठा करने का काम ही चल रहा है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इकट्ठा तो करते हैं, बाद में एनेलेसिस किससे करवाते है ? सिल्ट एनेलिस्ट आपका मौजूद है और आप उसको तनख्वाह नहीं दे रहे हैं तो वह फिर बैठे बैठे क्या करता है ?

श्री भीखाभाई : एक हाईड्रोलोजिस्ट होता है उसके द्वारा होता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह आपके डिपार्टमेन्ट का ही आदमी तो बेकार बैठा रहता है, तनख्वाह आप उसको देते नहीं हैं; तो वह फिर बैठे बैठे क्या करता है ?

श्री भीखाभाई : मैंने कहा कि हमारे डिपार्टमेन्ट में नहीं है। वह तो चीफ इंजिनियर के दफ्तर में काम करता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : चीफ इन्जीनियर कौन ? पी० डब्ल्यू० डी०, एग्रीकल्चर या इर्रिगेशन—किससे मतलब है ?

श्री भीखाभाई : इर्रिगेशन।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जब चीफ इन्जीनियर इर्रिगेशन विभाग में सिल्ट एनेलेसिस होता है तो क्या आप उचित नहीं समझते हैं कि जो व्यक्ति आपने नियुक्त कर रखा है और जिसकी वजह से झगड़ा चल रहा है उसकी पोस्ट को आप समाप्त करें और जो नॉन-रेकरिंग खर्चा किया है ३१ हजार के लगभग इम्प्लीमेन्ट पर, यह आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट को क्यों नहीं दे देते हैं ?

श्री भीखाभाई : एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को देने का कोई प्रश्न नहीं है। जहां तक इम्प्लीमेन्ट्स का सवाल है और जब

Page No 9

(श्री भीखाभाई)

कि यह कार्य हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा हो रहा है सोइल कन्जर्वेशन का और कन्सोलीडेशन का काम है, वह भी यहीं होता है तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को देने का प्रश्न ही नहीं है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मंत्री महोदय इस प्रकार का जवाब दे रहे हैं । सिल्ट एनेलेसिस का अधिकारी नियुक्त है और उसको तनख्वाह नहीं दे रहे हैं । उसके लिए नॉन–रेकरिंग एक्सपेन्सेज...

श्री अध्यक्ष : तनख्वाह नहीं दे रहे हैं तो काम भी नहीं कर रहा है ?

श्री भीखाभाई : तनख्वाह उसकी है १५५ रुपया महीना और राजस्थान सर्विस रूल्स के अनुसार जो ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह दी जा सकती है वह १७० के करीब दी जा सकती है । तो वह १७० का और ओरीजिनल बेसिक तनख्वाह १५५ का जो फर्क रहता है उसी का झगड़ा चल रहा है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, अभी तो माननीय मंत्री महोदय कह रहे थे कि उसको वेतन बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है और अभी आप कह रहे हैं कि केवल डिफरेन्स का झगड़ा चल रहा है । इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट की ओर से आदमी नियुक्त है और उसको तनख्वाह दी जा रही है । मैं कहना चाहूँगा कि जब सिल्ट एनेलेसिस का सारा काम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा किया जा रहा है तो दूसरे व्यक्ति को रखने से क्या फायदा आपका दूसरा आदमी मौजूद है, सी०सी० एफ. का आदमी है, रेन्जर है । केवल एनेलेसिस तो आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कर सकता है, फिर सरकार के कोष से इतना रुपया निकलने से क्या फायदा ?

श्री भीखाभाई : उस पद को भरने के लिए दूसरा आदमी नहीं मिल रहा है । जो भी वहां है उसको हमने इरिगेशन डिपार्ट मेंट से लोन पर उसकी सर्विसेज ली गई हैं, उसकी बेसिक तनख्वाह १५५ रुपया है और वह उससे ज्यादा चाहता है, इसी का झगड़ा है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो आपका आदमी है और जिसकी ग्रेड का चक्कर चल रहा है उसकी क्या क्वालीफिकेशन है ?

श्री भीखाभाई : उसको विज्ञान का स्नातक लिखा है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : विज्ञान का स्नातक तो बी०एस सी० भी हो सकता है । है क्या वह ?

श्री अध्यक्ष : इसकी आवश्यकता नहीं है । आप इसको कितनी तनख्वाह देते हैं, यह आपके सोचने की बात है । पहली बात तो यह गलत है कि एक आदमी को तनख्वाह नहीं मिले नियमों के हेरफेर से । कितने अर्से से नहीं मिल रही है ?

श्री भीखाभाई : यह डिटेल तो नहीं है इस समय । राजस्थान सर्विस रूल्स के

(श्री भीखाभाई)

अनुसार २६ रूल के अन्तर्गत, १७० रुपये से अधिक नहीं दिये जा सकते ।

श्री अध्यक्ष : आप मत दीजिए कौन कहता है ? यह आपके घर की बात है, महकमे की बात है; आप जो भी निर्णय दें निश्चित निर्णय दें । एक आदमी है उसको आप तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, उसको फिर इकट्ठी देनी पड़गी । इसको योजना मंत्री और दूसरे मंत्री देख लें ।

श्री भीखाभाई : जहां तक तनख्वाह का सवाल है मैं खुद देख लूंगा ।

श्री अध्यक्ष : डिपार्टमेन्ट्स का तालमेल बैठ जाय तो अच्छा रहे ।

योजना मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : अध्यक्ष महोदय, जो फोरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लसी फिकेशन का काम है । इरिगेशन डिपार्टमेंट उसी का क्लासीफिकेशन करता है जो कि इरिगेशन पोटेन्शिल है । यह डिपार्टमेंट जनरली फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट का एक सैल क्रियेट किया है और जिस क्वालीफिकेशन का आदमी होना चाहिए था वह नहीं मिला और दो महीने के लिए उस आदमी को ऑर्गेनाइज करने के लिए बुलाया है । अब दूसरा आदमी बुलायेंगे । अब तीनों को एक कर दिया जाय...

श्री अध्यक्ष : एक का करें या नहीं करें, लेकिन कोई समन्वय तो हो ।

श्री मथुरादास माथुर : इसके लिए दो मत नहीं हो सकते । तनख्वाह का झगड़ा तो चलता ही है....

श्री अध्यक्ष : ३१ हजार के इम्प्लीमेन्ट्स आये हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : कोऑर्डिनेन्ट भी किया जाय तो भी ठीक होगा । उनके पास इतना वर्कलोड है कि काम नहीं हो पाता था । कोऑर्डिनेशन करके बैठाया जा सकता है तो कोशिश की जायेगी ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो भी व्यक्ति आप नया नियुक्त करें और उसकी आवश्यकता समझें तो वह आदमी एक्सपर्ट होना चाहिए । आप कह रहे हैं कि वह विज्ञान का स्नातक है तो वह बी०एस सी० हो सकता है ।

श्री मथुरादास माथुर : वह इरिगेशन डिपार्टमेंट में यही काम करता था और उसको डेपुटेशन पर लाये थे; till we don't get a good man.

श्री भीखाभाई : मैंने यही कहा है जो आप कह रहे हैं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): यह भू-सर्वेक्षण में मिट्टी का परीक्षण है यह बहुत ही महत्वपूर्ण और टेक्नीकल विषय है । माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि १५५ रुपये, १७५ रुपये में एक आदमी है उसको तनख्वाह भी नहीं मिलती और उनका दायित्व इस महत्वपूर्ण विषय को हाथ में लेकर परीक्षण करना है और ठोस कदम उठाना है, वर्ना यह सब फिजूलखर्ची है । क्यों नहीं आप इसको बंद करते ।

Page No 11

श्री मथुरादास माथुर : जो पोस्ट क्रियेट की गयी है उसका १७०-३८५ का ग्रेड है। आदमी अवेलेबल नहीं था इसलिए दूसरे डिपार्टमेन्ट से लिया । दूसरा आदमी अवेलेबल होते ही इस ग्रेड में ले लिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नगेन्द्रबाला ।

पारवती पुल

१३२ **श्रीमती नगेन्द्रबाला** (छबड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बारां से शाहबाद जाने के लिए पारवती नदी को पार करना पड़ता है ?

(२) क्या यह भी सही है कि बरसात में अधिकांश समय नदी के कारण आवागमन बिल्कुल बन्द रहता है ?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार पारवती पुल बनाने का विचार रखती है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है। प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष महोदय, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं। जहां रेलगाड़िया जाती हैं वहां दिक्कत नहीं होती, लेकिन कुछ रास्ते जो कि मोटरगाडियों से मिले होते हैं उनमें जब बरसात हो जाती है तो नदियों को पार करने में कठिनाई आती है। यह बारां शाहबाद, शिवपुरा नेशनल हाईवे है और ऐसे नेशनल हाईवे पर केवल यह कह कर कि योजना बड़ी है और विचाराधीन है, कई वर्षों से प्रश्न चल रहा है इस पर सरकार को बहुत जल्दी ध्यान देना चाहिए। बहुत बड़ी पुलिया है।

श्री हरिश्चन्द्र : यह नेशनल हाईवे नहीं है।

श्रीमती नगेन्द्र बाल : शिवपुरा नेशनल हाईवे है।

श्री हरिश्चन्द्र : नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : यही रूट है जो कि मध्यप्रदेश को कोटा से मिलाता है।

श्री हरिश्चन्द्र : आपने कहा कि नेशनल हाईवे है और मैंने कहा है कि नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयपाल !

खाद व बीज की बकाया की वसूली

१३३. **श्री विजयपाल कटारा** (डूंगरपुर-सु०) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति बिछीवाड़ा, सीमलवाड़ा और डूंगरपुर में सन् १९५२ से ६० तक की खाद व बीज की वसूली बकाया है ?

(२) क्या यह सही है कि जो पंचायत समितियों में वसूली की सूची बनाई है उनमें

(श्री विजयपाल कटारा)

काफी त्रुटियां हैं ? क्या सरकार त्रुटिपूर्ण सूची को सुधारने का विचार रखती है ?

पंचायत मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां, केवल एक पंचायत समिति बिछीवाड़ा ।

(२) पंचायत समिति बिछीवाड़ा द्वारा ऋण वसूली के जो नक्शे बनाये गये थे उनमें कुछ त्रुटियां रह गई थीं उन्हें सुधार दिया गया ।

श्री विजयपाल कटारा : ये त्रुटियां क्या थीं ?

श्री भीखाभाई : जैसा मैंने कहा कि खाद और बीज पंचायत समिति के निर्माण के पहले जब कि विकास विभाग का काम चलता था उस वक्त में खाद और बीज दिये गये थे उसके हिसाब-किताब में थे । कितना किसको दिया गया, उसमें त्रुटि पाई गई ।

श्री विजयपाल कटारा : अध्यक्ष महोदय, यह जो खाद दिया गया था यह लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए ५२ में दिया गया था । उस खाद की ग्राम सेवकों ने गलत लिस्ट बनाकर काश्तकारों से वसूली करने की कार्यवाही की है, क्या सरकार उसको माफ करने की कोशिश करेगी ?

श्री भीखाभाई : मैंने तो यही कहा कि उसका किया जा रहा है। मान लो कि उसमें ग्राम सेवक के मारफत जो कुछ खाद और बीज दिया गया था उसमें थोड़ा सुधार किया गया है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : इसका मतलब यह मानकर चला जाय कि जो एकाउन्ट्स हैं वे कम्प्लीट नहीं हैं कि कितनी खाद की रकम बकाया है और कितनी बीज की है; उसको कम्प्लीट नहीं कर सके हैं ।

श्री भीखाभाई : आपकी मर्जी से आप कुछ भी मान लें । उस जमाने में १९५२ में जो कि पंचायत समिति का निर्माण नहीं हुआ था उस वक्त ग्राम सेवक ने जो बीज और खाद की बात बताई थी उसमें कहीं पर गलतियां थीं । उनको सुधार दिया गया है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या गलतियां थीं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर): ५२ से ६० तक रिकवर कर लिया गया है बकाया की ?

श्री भीखाभाई : उसकी वसूलात हो रही है, उसके सिलसिले में यह डिस्वकरी हुई है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कुल कितनी बकाया रकम है खाद की और बीज की और उसमें से कितनी रिकवरी कर चुके हैं ?

श्री भीखाभाई : यह प्रश्न अलग है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह प्रश्न अलग नहीं है । आप स्पष्ट खामियां बता

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

रहे हैं तो एकाउन्टस् साफ नहीं हैं तो आपके अनुमान के अनुसार कितनी रकम बकाया है जो कि रिकवर करनी है ?

श्री विजयपाल कटारा : क्या काश्तकार को राहत देने के लिए वहां पर ब्याज और मूल दोनों की वसूली की जा रही है; तो उसमें से ब्याज माफ कर दे क्योंकि सरकार की भूल है। आज तक सरकार ने जो गलती की है उसका खमियाजा काश्तकार को भुगतना पड़ रहा है।

श्री भीखाभाई : इस प्रश्न की जांच करायेंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप यह बताइये कि कितनी बकाया है ? अध्यक्ष महोदय, खाद और बीज की कितनी रकम बकाया है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को चाहिए कि एक तालिका सदन की मेज पर रखें कि उनमें खाद और बीज की कितनी रकम बकाया है तो ठीक होगा और तभी तो प्रकाश पड़ सकता है। इसमें आपत्ति क्या है ?

श्री भीखाभाई : यह जनरल सवाल है। जांच का सुझाव आया है वह विचार करने के योग्य है, इसमें शक नहीं है। आज के लिए समस्या नहीं है। आगे के लिए इन्स्ट्रक्शन्स जारी किये जा सकते हैं कि हर साल कितने खाद और बीज के लिए दिये जाते हैं और कितना बाकी रहता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, इस क्वेश्चन को स्थगित किया जाय क्योंकि इसका उत्तर मंत्री महोदय नहीं दे सके हैं कि कितना बकाया है पंचायत समिति में और वे यह भी नहीं बता सके हैं कि त्रुटियां क्या हैं। वह यह भी नहीं बता सके हैं १९६० तक जो बकाया रहा है उसका पता हर साल लगना चाहिए कि किस किस मद में कितनी कितनी बकाया है और वसूली उसकी क्यों नहीं की जा रही है ? उसमें क्या भेद है? मंत्री महोदय इसकी पूरी इन्फर्मेशन मंगाकर जवाब दें।

श्री भीखाभाई : माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य को कुछ मालूम नहीं है और बीच में ही सवाल उठा लेते हैं। यहां पर पंचायत समिति का कोई जिक्र नहीं था। इसमें सिर्फ सीमलवाड़ा और डूंगरपुर पंचायत समिति की सूची भेजी गई है वसूलात के लिए जिसमें २६,५४५) रु० बकाया है वसूलात के लिए जिसमें से ५०५ रुपये ७८ पैसे वसूल हुए हैं। यह जो सवाल उठाया है कि कौनसी पंचायत समिति का बाकी है यह जो आपने फर्माया है वह दूसरा प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : और आप तीसरा जवाब दे रहे हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मंत्री महोदय से यह पूछा गया है कि कितना बकाया है, कितना राइट ऑफ किया गया है

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

और कितना वसूल किया गया है। इस सम्बन्ध में एक तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

श्री भीखाभाई : जिस प्रकार के आंकड़े थे वे मैंने निवेदन कर दिये। माफ करने का सवाल है तो अभी माफ नहीं किया है। जैसा कि मैंने निवेदन किया है कि जांच की जा सकती है। इसमें मैंने कहा कि बहुत पुराना रुपया है और उसमें शुद्धियां ज्यादा हुई हैं, उस प्रश्न पर विचार कर सकते हैं। पंचायत समिति अगर रिज़ोल्यूशन करती तो विचार किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : अब क्या रिज़ोल्यूशन करेगी? सदन को आपने आश्वासन दे दिया फिर रिज़ोल्यूशन की क्या आवश्यकता है, यह आप ही सोच लें।

वूल टैक्नोलोजी की शिक्षा

१३४ श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या राजस्थान में वूल टैक्नोलोजी की शिक्षा देने हेतु कोई संस्था है? अगर नहीं तो वूल टैक्नोलोजी को प्रोत्साहन देने हेतु क्या कोई ऐसी संस्था सरकार खोलने का इरादा रखती है?

(२) क्या यह सही है कि बीकानेर शहर में सरकार द्वारा संचालित वूल कार्डिग स्पिनिंग एण्ड फिनिशिंग सेन्टर का उपयोग ऐसी संस्था के लिए लिया जा सकता है? अगर हां, तो क्या सरकार उक्त संस्था बीकानेर में खोलने का इरादा रखती है?

उप-मन्त्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद): (१) इसकी योजना विचाराधीन है।

(२) इस सैन्टर की मशीनों का उपयोग वुलन कॉटेज इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट के कार्यों में लिया जा रहा है।

श्री भीमसेन : क्या इस मशीन का उपयोग वूल टैक्नोलाजी नहीं कर सकती बीकानेर में?

श्री चन्दनमल वैद : नहीं कर सकती ऐसी बात नहीं, लेकिन उसका उपयोग अभी तक वूल कॉटेज ट्रेनिंग सेन्टर में लिया जा रहा है जिसका कार्य अभी चल रहा है और वूल टैक्नोलाजी की संस्था के बारे में योजना विचाराधीन है। हम सोचते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना में इसको हाथ में लेंगे।

प्रश्न संख्या १३५

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १३६

श्री सांवलियाराम !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १३७

श्री मोहनलाल सारस्वत !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री रघुनाथ बिश्नोई !

Page No 15

सांचोर-रानीवाड़ा सड़क कार्य

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि सांचोर-रानीवाड़ा सड़क का ६ मील से आगे पांच मील का मैटल्ड डामर रोड बनाने का ठेका किया गया था ? अगर हां, तो कब ? उपरोक्त पांच मील में ठेकेदार द्वारा अभी तक काम क्यों नहीं चालू किया गया है ? क्या सरकार उपरोक्त पांच मील सड़क के टुकड़े में इसी साल कार्य सम्पूर्ण कराने का विचार रखती है ?

(२) क्या सरकार सांचोर-रानीवाड़ा सड़क की उपयोगिता को देखते हुए अगले बजट वर्ष में पूरी डामर रोड बनाने का विचार रखती है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी हां, दिनांक ६-२-६५ को ठेकेदार को कार्य आरम्भ करने का आदेश दे दिया गया है। कार्य वर्ष १९६५-६६ तक पूर्ण होने की आशा है।

(२) जी नहीं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आपने 'जी नहीं' बताया तो इसका मतलब यह कि किस अर्से तक करने का विचार है ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह ३० मील लम्बी सड़क है और सारी डामर की करनी है। इसमें १२ लाख रुपया लगेगा। जैसे जैसे पैसा आता जाता है वैसे वैसे लगता है। मैं समझता हूं कि आप स्वयं भी स्वीकार करेंगे कि वहां का काम काफी तेजी से चल रहा है। ५ मील का टुकड़ा बचा है उसको भी जल्दी से करवा देंगे।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जालोर-सांचोर सड़क को डामर की बनाना है और सारी तहसील और सब डिवीज़न हैड क्वार्टर में एक ही सड़क मिलेगी और उसमें सबसे ज्यादा खराब टुकड़ा यही है। यह तहसील बोर्डर से लगी हुई है और वहां पर दूसरे आवागमन के साधन नहीं हैं। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं आपकी मारफत राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

प्रश्न संख्या १३९

श्री अध्यक्ष : श्री गंगासिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १४०

श्री केदारनाथ !

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १४१

श्री जयनारायण सालोदिया !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री श्रवणलाल !

Page No 16

पंचायत को मेले से आमदनी

१४२. **श्री श्रवणलाल** (हिंडौन सु०) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या उच्चैन पंचायत की तरफ से गत वर्ष जून महीने में मेला लगाया गया था ? यदि हां, तो मेले में कुल कितने मवेशी बिके व पचायत को आमदनी कितनी हुई और खर्चा कितना तथा किस मद पर हुआ ?

पंचायत मंत्री (श्री भीखाभाई) : जी हां । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री श्रवणलाल : यह मेला कुल कितने दिन लगा ?

श्री भीखाभाई : मेरे पास यह तो है नहीं, लेकिन खर्चा कितना हुआ है उसका ।

श्री श्रवणलाल : "कितने दिन" लगा तभी तो खर्चे का सवाल है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं कि केवल तीन दिन ही लगा ।

श्री श्रवणलाल : क्या खर्चा हुआ? बिजली पानी पर इसमें पंचायत की तरफ से उसके लिए क्या टेन्डर लिये गये थे ?

श्री अध्यक्ष : श्री हरलाल !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा इम्पार्टेन्ट प्रश्न है । तीन हजार की आमदनी हुई उसमें से २५००) रु० खर्च कर दिये आपने...

श्री अध्यक्ष : यह तो कई दफा होता है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : जब कि वहां काम ४००) रु० से खर्च का चल सकता था ।

श्री श्रवणलाल : क्या यह सच है कि इसमें जानवरों की प्याऊ के लिए जो खर्चा किया गया था तो उस जगह दो तालाब मौजूद थे ?

श्री भीखाभाई : अगर आपका खर्च के बारे में एतराज है उसकी जानकारी करने के लिए, तो मैं उसकी जानकारी दे सकता हूं करवा कर । वह अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन खर्च के बारे में जो आंकड़े हैं वे मेरे पास है कि कितनी फीस आई और कितना दूसरों से आया है ।

श्री श्रवणलाल : जो पूछ रहे है उसका तो जवाब, अध्यक्ष महोदय, नहीं दिया जा रहा है और वैसे ही मंत्री महोदय इधर-उधर टालमटोल कर रहे हैं । इसमें जो जानवरों की प्याऊ का खर्चा बताया गया है वह नाजायज है । वहां पर दो तालाब मौजूद थे । जानवरों की प्याऊ के लिए जो खर्चा बताया है वह तीन दिन मेला चला उसमें ४००) रु.

(श्री श्रवणलाल)

खर्च हो गये। बिजली का खर्चा बताया गया है कि तम्बू जो लगाया है उसका खर्चा ४१२) रु. बताया है। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने स्टेशनरी पर १६६) रु. लगाये हैं।

श्री भीखाभाई : अगर माननीय सदस्य चाहते है तो जांच करवा लेंगे कि कितना खर्चा हुआ है।

श्री श्रवणलाल : तो इस तरह से ३४०३) रु. की आमदनी हुई है और खर्चा २५८६) रु. का बता दिया गया है। कुल ८१६) रु० की नेट इनकम इसमें बताई है तो जो भी खर्चा बतलाया है वह बिल्कुल गलत है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इसका ऑडिट करवाया जाय।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, कुछ सिद्धान्त निश्चित करना चाहिए कि जब कोई मेला लगे तो मेला लगने से पहले कोई बजट पंचायत या पंचायत समिति से एप्रूव्ड करा ले कि इतना खर्चा करेंगे। उसके बाद में जो खर्चा हो वह उन मदों के अनुसार हो। उसमें जो घटोतरी या बढ़ोतरी हो उसके बारे में पंचायत फैसला कर सकती है।

लेकिन जो काम कुल ४००-५००रुपयों में हो सकता था वहां २५००) रुपये खर्चे के दिखाये हैं। यह ऐसी चीज है, अध्यक्ष महोदय, कि कुल २॥ रोज मेला चला, १२ बजे के बाद उद्घाटन हुआ तीसरे रोज समाप्त हो गया, १० पेट्रोमेक्स जले........

श्री अध्यक्ष : ये सारी बातें पंचायत समिति या जिला परिषद् में उठाई जा सकती हैं, वहां भी प्रश्नोत्तर काल होता है। सारी चीजें पूछी जा सकती हैं।

श्री श्रवणलाल : क्या आप इसका स्पेशल ऑडिट करवाने को तैयार हैं?

श्री अध्यक्ष : जी नहीं, सामान्य तौर पर होता है वहां सवाल उठा सकते हैं।

श्री भीखाभाई : ये सारी चीजों को कन्फ्यूज कर रहे हैं। तंबू, रोशनी, चोकीदार, लेखन-सामग्री इत्यादि इत्यादि पर कुल मिला कर ४०४ रुपये खर्च हुए हैं।

श्री श्रवणलाल : चौकीदार पर तो कोई खर्चा होने का सवाल ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या १४३.

श्री शंकरलाल जाट (सादड़ी) : आप एक मिनट एसेम्बली का खर्चा लगावें तो हजार रुपये खर्च होते हैं इसको भी ध्यान में रख कर प्रश्न पूछा करें।

श्री अध्यक्ष : श्री हरलाल।

प्रतापगढ़ पीपलोदा सड़क निर्माण कार्य

१४३. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हरलाल मीणा)

(१) जिला चित्तौड़गढ़, तहसील प्रतापगढ़ में प्रतापगढ़ से पीपलोदा सड़क कितनी मील लम्बी है और इसमें से कितनी मील सड़क बन चुकी है और जो बनाई गई है वह कितने अर्से में बनाई गई ?

(२) इस सड़क के लिये प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितनी कितनी धन राशि स्वीकृत की गई ? उसमें से कितनी कितनी धनराशि किस किस वर्ष में खर्च की गई ? सरकार का इस सड़क को किस योजना में पूरी करने का लक्ष्य था ?

(३) क्या यह सही है कि जो सड़क बन चुकी है उस पर भी बड़े बड़े खड्डे पड़ जाने से बहुत खराब हो चुकी है और वर्षा काल में तो सड़क पर कीचड़ हो जाने से तांगे, मोटरें, गाड़ियां आदि बन्द हो जाती हैं ?

(४) इस कार्य को सरकार कब तक पूरा करने का विचार रखती है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र): (१) यह सड़क ३५॥ मील लंबी है। प्रतापगढ़ से अरनोद रोड प्रथम पंच वर्षीय योजना में स्वीकृत हुई है तथा अरनोद से पीपलोदा तक का भाग तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत हुआ है। प्रतापगढ़ से अरनोद तक ११ मील बन चुकी है। यह कार्य प्रथम पंचवर्षीय योजना में आरंभ होकर तृतीय योजना में समाप्त हुआ है।

(२) सूची (अ) प्रस्तुत है। यह कार्य चतुर्थ योजना तक समाप्त होने को है।

(३) सड़क की हालत साधारण है। ट्रेफिक हमेशा चालू रहता है।

(४) चतुर्थ योजना तक।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : जैसा कि आपने फरमाया काम चतुर्थ योजना तक पूरा हो जायगा मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बरसात में गड्ढे हो जाते हैं तांगे, मोटरें आदि नहीं जा सकतीं; क्या आप इस बात का स्पष्टीकरण देंगे कि ज्यों ज्यों आप आगे बढ़ते जा रहे हैं त्यों त्यों सड़क पीछे टूटती जा रही है ?

श्री हरिश्चन्द्र : आगे तो बढ़े ही नहीं।

श्री अब्दुलजब्बार : पीछे टूटती जा रही है यह मालूम होता है।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्द सहाय।

गंगापुर में शराब की दूकानें

१४४. वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि गंगापुर में करीब १५ साल से एक दूकान पर ही शराब बेची जाती थी ?

(वैद्य श्री गोविन्दसहाय)

(२) क्या यह सही है कि गत वर्ष से दूसरी दूकान स्कूल के पास और खोल दी गई है ?

(३) क्या यह सही है कि मुहल्ले वालों ने तथा स्कूल के अध्यापकों ने कलेक्टर व एस. डी. एम. गंगापुर को लिखा है कि यहां से दूकान शीघ्र हटाई जाय ? यदि हां, तो इसे वहां से नह टाने का क्या कारण है ?

उप, मंत्री आबकारी (श्री परसराम मदेरणा): (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

(३) यह दूकान पहले मुख्य सड़क पर स्कूल के पास जरूर थी लेकिन बाद में उसको दूसरे स्थान पर परिवर्तित कर दिया गया।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : अध्यक्ष महोदय, यह जानकारी मंत्री ने दी है यह उनके पास सूचना गलत है। अब तक एक दूकान थी वह स्टेशन पर थी। यह दूसरी दूकान स्कूल के पास खोल दी है और आबादी में खोलदी है। इसके लिये कलेक्टर और एस. डी. एम. से भी मिले......

श्री अध्यक्ष : क्या आप यह कह रहे हैं कि दूकान वहां से नहीं हटाई गई है जैसा कि मंत्रीजी ने कहा ?

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : जी हां, नहीं हटाई गई है। मंत्रीजी की सूचना गलत है।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने यह कहा कि शराब की दुकान चल रही थी मीणों के मुहल्ले में उसके बाद मुख्य सड़क पर लाई गई थी वहां से हटा कर गली में रखी गई है।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : क्या कानून में ऐसा प्रावधान है कि जिस व्यक्ति को जिस जगह के लिए लाइसेन्स दिया जाय वहां उसी व्यक्ति के द्वारा उसी स्थान पर शराब बेची जा सकती है ?

श्री परसराम मदेरणा : उसी व्यक्ति के द्वारा शराब बेची जानी चाहिये जो गारन्टी बेसिस पर लेता है।

श्री अब्दुलजब्बार : क्या उसी स्थान पर उसी व्यक्ति द्वारा बेची जानी चाहिए ?

श्री परसराम मदेरणा : जी हां।

श्री अब्दुलजब्बार : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की यह हालत है......

श्री अध्यक्ष : सारे राजस्थान की नहीं, गंगापुर की बात कहिये।

श्री श्रवणलाल (हिन्डोन-सु.) : क्या यह सही है कि जिस जगह शराब की दूकान है उसके पास ही मिडल स्कूल है ?

श्री परसराम मदेरणा : स्कूल शराब की दूकान से १०० गज की दूरी पर है और वह दूकान गली में है।

श्री अब्दुलजब्बार : क्या सरकार अपने एक्साइज इन्सपेक्टर से कहेगी कि

Page No 20

(श्री अब्दुलजब्बार)

दूकान मुकर्रर जगह पर नहीं हो तो चालान करे ?

श्री परसराम मदेरणा : आपका प्रश्न हाइपोथेटिकल है ।

श्री अब्दुलजब्बार : क्या गली में दूकान पड़ती हैं यह दूकान लाइसेन्स में दर्ज है ?

श्री परसराम मदेरणा - एक्चुली लाइसेन्स में मीणों के मुहल्ले में दूकान होना दर्ज है और दूकान भी मीणों के मुहल्ले में है । मेरे पास अभी यह इन्फोर्मेशन नहीं है कि आया सड़क पर थी वह दूकान लाइसेन्स में दर्ज है या गली में ले गये वह दूकान दर्ज है लेकिन मुहल्ला दर्ज है । वहां से उसे हटाया इसलिये था कि स्कूल पास में थी । अब ऐसे स्थान पर गली में ले गये हैं जहां से नजर नहीं आती ।

श्री श्रवणलाल : क्या शहर में इस दूकान के अलावा दूसरी शराब की दूकान भी है ?

श्री परसराम मदेरणा : जी हां, कुल दो दूकानें हैं ।

श्री श्रवणलाल : कितने अर्से से चल रही है ?

श्री परसराम मदेरणा : काफी अर्से से ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सवाल यह है कि दूकान आबादी में है और बच्चों की स्कूल भी उसी के पास में है । क्या यह सही नहीं है कि आपका कानून जो है उसमें ऐसी क्लॉज नहीं है कि शराब की दूकान ऐसी जगह पर हो जहां से दुराचरण की प्रवृत्ति आम जनता में नहीं फैले और स्कूल के बच्चों पर भी उसका बुरा असर न पड़े । आप कहते हैं कि गली में है और दिखती नहीं है । दिखे या न दिखे लेकिन मंदिर, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज आदि से शराब की दूकान दूर होनी चाहिए । इसका ऑब्जर्वेशन सारे राजस्थान में होना चाहिए । यह क्यों नहीं हो रहा है........

श्री अध्यक्ष : आप भाषण नहीं दें ।

श्री परसराम मदेरणा : न मंदिर के पास है और न मस्जिद के पास है........

श्री परसराम मदेरणा ; रूल्स में प्रोविजन क्या है ? कितनी दूर होनी चाहिये ? आप कहते हैं कि दिखती नहीं है.......

श्री परसराम मदेरणा : स्कूल के इमीजियेट पास में नहीं होनी चाहिए, एजुकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स के पास नहीं होनी चाहिए ताकि बच्चों पर उसका असर नहीं पड़े । यह न स्कूल के पास है........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कितनी दूर है ?

श्री परसराम मदेरणा : मैंने बता दिया, आप सुन नहीं रहे थे क्या ? सौ गज दूर है ।

Page No 21

श्री अध्यक्ष : एक हंड्रेड याड्‌स की दौड़ हुई।

श्री परसराम मदेरणा : यदि आप लोग सोचते हैं कि स्कूल के पास में है तो वहां से हटा देंगे।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : आपके पास १०० गज की रिपोर्ट है वह गलत है, २० गज से अधिक दूर नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : माननीय सदस्य २० गज की दूरी बता रहे हैं और मंत्रीजी १०० गज की दूरी बता रहे हैं......

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

चन्दन की लकड़ी की दस्तकारी के उद्योग को सुविधाएं

१४४. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जयपुर में चन्दन की लकड़ी के दस्तकारी के कारीगर हैं तथा जयपुर से चन्दन के सामान का निर्यात होता है और हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है?

(२) क्या यह सही है कि एयर फ्रान्स ने राजस्थान लघु उद्योग निगम को चन्दन की लकड़ी के बने चालीस हजार पेपर कटर सप्लाई करने का आॅर्डर दिया था?

(३) क्या यह सही है कि चन्दन की लकड़ी की कमी होने के कारण समय पर पेपर कटर सप्लाई नहीं किये गये?

(४) यदि हां, तो राज्य सरकार ने मैसूर सरकार से क्यों नहीं चन्दन की लकड़ी मंगाने का राजकीय स्तर पर प्रबन्ध किया?

(५) क्या सरकार के ध्यान में है कि चन्दन की लकड़ी थोक मंगाने का प्रबन्ध न होने के कारण यहां की बनी चीजें मंहगी पड़ती हैं तथा इस व्यवसाय के करने वालों को दिक्कतें होती हैं?

(६) क्या सरकार अब मैसूर राज्य से चन्दन की लकड़ी मंगाने के प्रश्न पर विचार करेगी?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चंदनमल वैद) : (१) जी हां।

(२) जी हां, एयर फ्रान्स ने ३०,००० पेपर कटर सप्लाई करने का आॅर्डर दिया न कि ४०,००० का।

(३) जी नहीं। स्थानीय कारीगरों द्वारा आॅर्डर की अवधि में पूरा माल तैयार नहीं किये जाने के कारण पूरी सप्लाई नहीं की जा सकी।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

(५) हां।

(श्री चन्दनमल वैद)

(६) चन्दन की लकड़ी के मिलने में कोई प्रतिवन्ध नहीं होने से प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : यह आपने नंबर ४ पर कहा कि प्रश्न नहीं उठता । प्रश्न कैसे नहीं उठता है? मैंने यह जानना चाहा कि हमारे यहाँ चंदन की लकड़ी की चीजें बनकर बाहर जाती है लेकिन चंदन की लकड़ी बाहर से आने का प्रबन्ध नहीं है और आती है तो महंगी आती है इसलिये कारीगरों पर बुरा असर पड़ता है । इसलिये सरकार इसको मंगाने का प्रबन्ध क्यों नहीं करती ?

श्री चन्दनमल वैद : आपने फरमाया कि सरकार इसको मंगावे, लेकिन चंदन की लकड़ी मंगाने पर प्रतिबंध की चीज नहीं है इसलिये यह जरूरी नहीं है कि सरकार ही इसे मंगावे, जो चाहे वह मंगा सकती है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : आपके यहां लघु उद्योग निगम चलता है तो सरकार के लिये जरूरी होता है कि इसे मंगाया जाय ।

श्री चंदनमल वैद : आपने सरकार का पूछा है इसलिये उत्तर दिया । लघु उद्योग निगम प्रयत्न कर रहा है कि मैसूर से मंगाकर सप्लाई करे ।

प्रश्न संख्या १४६

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ११७

श्री उमरावसिंह ढावरिया ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १२१

श्री तेजाराम गहलोत ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १२२

श्री जेठमल ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १२३

श्री भगराज ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १२४

श्री जुझारसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १२५

श्री दुर्गालाल बाढ़दार ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १२६

श्री मानिकचंद सुराणा ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या १२६

श्री रामकिशन ।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १३०

श्री पोहूमल ईसरदास ।

गोटा-बादला उद्योग को तांबे का कोटा

१३०. डॉ० पोहूमल ईसरदास (अजमेर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या किशनगढ़ गोटा—बादला उद्योग को सरकार से ताम्बे का कोई कोटा दिया जाता है ?

(२) इस उद्योग के मालिक और हिस्सेदार कौन हैं ? उनके पूरे नाम व पता बताने की कृपा करें ?

(३) इसे कितनी बार किस तारीख को कितना कोटा एलोट किया गया है ?

(४) यह उद्योग कब प्रारम्भ हुआ ?

(५) क्या सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि इस उद्योग को दिये जाने वाले कोटे का वास्तव में बादला बनाने के कार्य में ही उपयोग किया जाता है ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (१) जी हां ।

(२) यह भागीदारी संस्था है और इसके निम्न भागीदार हैं :

१. श्री धर्मीचन्द पोखरना, किशनगढ़ !

२. श्री केसरीचन्द, लाखन कोटड़ी, अजमेर ।

(३) इनको ताम्बे का चार बार कोटा दिया गया है जिसका ब्यौरा निम्न है -

१. ता० ६-३-६४ को ३ टन

२. ता० १०-४-६४ को २.५ टन

३. ता० २५-५-६४ को २.५ टन

४. ता० ७-१-६५ को २.२० टन

(४) ३-१०-६३ को ।

(५) जी हां ।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : यह कन्सर्न है, इसने कितना प्रोड्यूस किया माल देने के बाद ?

श्री चन्दनमल वैद : जी हां ।

श्री अब्दुलजब्बार : कोटे की क्वान्टिटी, मिकदार, तय की है वह कितनी है और जितना टन कोटा दिया गया उसको कन्ज्यूम करने के लिए कितनी मिकदार तैयार करने की बात थी ?

श्री चन्दनमल वैद : आप यह पूछना चाहते हैं कि कितना गोटा तैयार किया है ?

श्री अब्दुलजब्बार : जी हां ।

श्री चन्दनमल वैद : अब तक इन्होंने ५६८२ के. जी. माल बेचा और इनको दिया फिनिश गुड १३२० के. जी. और प्रोसेस में ७०० के. जी. है।

श्री बालचन्द डागा (किशनगढ़) : वह फैक्ट्री है या नहीं किशनगढ़ में; यह इन्क्वायरी कर ली है ?

श्री चन्दनमल वैद : मैं माल बनाने की तादाद बता रहा हूं और आप पूछ रहे हैं कि फैक्ट्री है या नहीं। मैं बच्चों की बात कह रहा हूं और आप पूछ रहे हैं कि मां कहां है ?

श्री बालचन्द डागा : मैं कह रहा हूं कि फैक्ट्री नहीं है।

श्री चन्दनमल वैद : फैक्ट्री है और माल बना रही है और हमारे डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज, डिप्टी डाइरेक्टर, डी. आई. ओ. ने निरीक्षण किया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने निरीक्षण किया है।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : ये निरीक्षण कब कब किये ?

श्री चन्दनमल वैद : यह कागजों में है कि कब निरीक्षण किये हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल।

उद्योग विभाग के निरीक्षकों की योग्यता

१३५. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) उद्योग विभाग में निरीक्षक के पद के लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई है ? यदि नहीं है, तो नियुक्ति का आधार क्या है ?

(२) क्या यह सही है कि इस पद पर इस समय काम करने वाले व्यक्तियों में से कई व्यक्तियों का जन सेवा आयोग द्वारा इस पद अथवा एक्वीवेलेन्ट पोस्ट के लिए चयन नहीं हुआ है ?

उप-मन्त्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) (१): उद्योग विभाग में निम्न निरीक्षकों के पद हैं :

(क) निरीक्षक बाट व माप

(ख) निरीक्षक उद्योग

(ग) निरीक्षक हस्त कला

(घ) निरीक्षक क्वालिटी मार्किंग स्कीम :

१. टैक्सटाइल

२. हाथी दांत

३. पीतल

४. चर्म

निरीक्षक बाट व माप स्कीम के पदों व निरीक्षक हस्त कला व क्वालिटी मार्किंग स्कीम के अन्तर्गत टैक्सटाइल, हाथी दांत

(श्री चन्दनमल वैद)

व पीतल के निरीक्षकों के पदों की योग्यता निर्धारित है।

शेष पदों की योग्यता सरकार के विचाराधीन है व इन पदों पर एडहॉक नियुक्तियां प्रस्तावित योग्यताओं को दृष्टि में रखते हुए की गई हैं।

(२) जी हां, कुछ का।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि जो व्यक्ति इन पदों पर कार्य कर रहे हैं, वह जो आपने एडहॉक योग्यता निर्धारित की है, उनकी पूर्ति नहीं करते हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : किनकी नहीं करते हैं ?

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : जो योग्यता इन पदों के लिए निर्धारित हैं वह व्यक्ति उनकी पूर्ति नहीं करते हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : जी नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मोतीसिंह वैद्य की क्या क्वालिफिकेशन है ?

श्री चन्दनमल वैद : आप समय दें तो बता सकता हूं। यह इन्डीविजुअल केस हुआ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरे पास बहुत सारे केसेज़ है।

श्री चन्दनमल वैद : इसमें सौ आदमी काम कर रहे हैं, आप एक इन्डीविजुअल केस के बारे में पूछते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और भी मेरे पास हैं। यह वैद्य हैं, इसलिए ही नहीं हूं। मोतीसिंह वैद है और चन्दनमल वैद हैं, इसलिए नहीं पूछा-और भी लोग हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन से रिजेक्टेड हैं और प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं करते हैं। मैं भी वह लिस्ट निकाल लेता हूं। मेरे पास भी है।

श्री चंदनमल वैद : मोतीसिंह वैद हैं वे सर्वाडिनेट सर्विसेज़ के लिए सिलेक्टेड हैं, जो हायर पोस्ट है। जिस पोस्ट के ऊपर वे काम कर रहे हैं उससे ऊंची पोस्ट के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्टेड हैं।

एक माननीय सदस्य : अपने यहां जो चीफ सेक्रेटरी है उनकी पोस्ट हायर है और जो एक इन्जीनियर होता है कारखाने का, उसकी जगह दूसरी तरह की होती है। अब चीफ सेक्रेटरी को उस पद पर अपोइन्ट कर दिया जाय; तो क्या यह माना जायगा कि वह हायर पोस्ट के लिए योग्य होने से उस पोस्ट पर काम कर सकते है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिस पोस्ट पर है उसके लिए क्वालिफाइड हैं या नहीं ?

श्री चन्दनमल वैद : प्रश्न यह है कि उसे पोस्ट या उससे समानान्तर पोस्ट के लिए उनका सिलेक्शन हुआ है या नहीं, मैं

(श्री चन्दनमल वैद)

कह रहा हूं कि ऊंची पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कब हुआ ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न केवल यह है कि जो नियम निर्धारित किये गये हैं उनके अन्तर्गत ये आते हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : जी हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि पब्लिक सर्विस कमीशन से इस पोस्ट के लिए रिजेक्टेड हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : पब्लिक सर्विस कमीशन के पास यह पोस्ट गई नहीं है।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : पब्लिक सर्विस कमीशन से इन्टरव्यू हुआ था इन्सपेक्टर के लिए। आप अच्छी तरह देख लीजिये। मैं भी निकाल रहा हूं। मुझे क्या पता, आप झूंठ बोल रहे हो।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल सारस्वत।

(अनुपस्थित)

श्री गंगासिंह।

(अनुपस्थित)

श्री केदारनाथ।

(अनुपस्थित)

श्री जयनारायण सालोदिया।

मोटर चालकों के ग्रेड

१४१. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

सरकारी मोटर ड्राइवरों की क्या ग्रेड है ? क्या ड्राइवरों का प्रमोशन होता है ? यदि हां, तो किस पोस्ट पर ? यदि नहीं तो क्यों ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : सरकारी मोटर विभाग के ड्राइवरों की वेतन श्रृंखला निम्न प्रकार हैं :

अ. सिलेक्शन ग्रेड १०५-४-१२५-५-१५० (स्केल नं० ७)

ब. ग्रेड नं० २, ६५-३-१२०-५-१३० (स्केल नं० ५)

जी नहीं, ड्राइवरों का प्रमोशन इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि ऐसा कोई उच्च पद विभाग में नहीं है जिस पर ड्राईवरों प्रमोशन किया जा सके। हां, अगर कोई ड्राइवर विशेष टैक्निकल योग्यता रखता है तो उसे मैकेनिक के पद पर प्रमोशन दिया जाता है जिसका ग्रेड १०५-५-२०० है।

श्री जयनारायण सालोदिया : अब तक कितने ड्राइवरों को मैकेनिक के पद पर प्रमोशन दिया गया है ?

श्री भीमसिंह : यह मूल क्वेश्चन में पूछा नहीं था। ऑफ हैंड इन्फोर्मेशन मेरे पास नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : मेरे पास जानकारी है और एक भी ड्राइवर को मैकेनिक के पद पर प्रमोशन नहीं दिया गया।

यातायात मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): क्वालिफाइड नहीं होगा।

श्री भीमसिंह : क्वालिफाइड नहीं होगा या योग्यता फुलफिल नहीं करता होगा। आम तौर पर मैकेनिक में जो क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं उनको लिया जाता है। ड्राइवरों में अगर कोई क्वालिफिकेशन पूरी करता है तो वह भी एलीजिबिल है।

श्री जयनारायण सालोदिया : योग्यता क्या निर्धारित की है, किस योग्यता के ड्राइवर को मैकेनिक का अपोइन्टमेंट देते हैं?

श्री भीमसिंह : यह पूछा नहीं है। फिर भी जो मैकेनिकल डिप्लोमा होल्ड करता हो और सर्टिफिकेट हो और मैकेनिज्म जानता हो। अगर आप अलग से पूछें तो सारी तफसील टू दी पोइन्ट दे सकता हूं।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने कहा कि ड्राइवर को प्रमोशन दिया गया, मैंने कहा कि नहीं दिया गया। आपने कहा कि योग्यता होनी चाहिए, मैंने पूछा तो योग्यता क्या है तो आपने जवाब नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न पहले भी आया था, माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि ड्राइवरों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिले। इसलिए कुछ योग्य व्यक्तियों को ट्रेनिंग देकर, किसी प्रकार प्रावधान करके प्रमोशन देने की व्यवस्था कर दी जाय जिससे आगे बढ़ सकें।

श्री मथुरादास माथुर : यह पब्लिक सर्विस कमीशन के परव्यू की पोरट है। वहां भेज देते हैं और टेन ईयर्स एक्सपीरियेन्स, मैकेनिकल डिप्लोमा-यह दो-चार बातें हैं-इनको जो फुलफिल कर लेता है उसको एप्रूव करा के ले लेते हैं। अभी कोई ड्राइवर नहीं है जो इनको फुलफिज करते हों। हमने एक टेम्परेरी प्रमोशन दिया था, जिसको पब्लिक सर्विस कमीशन से कन्फर्म होने के बाद कन्फर्मेशन किया जायगा। माननीय सदस्य के दिमाग में कोई ड्राइवर हो तो विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य के दिमाग में सारे ड्राइवर्स हैं। उनको आगे बढ़ने का अवसर दिया जाय।

प्रश्न समाप्त हुए।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

भीराणी पंचायत का ऑडिट

११७. **श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

भीराणी पंचायत, तहसील भादरा का सम् ६१-६२ व ६२-६३ तथा ६३-६४ का ऑडिट हुआ या नहीं ? यदि नहीं तो क्यों ?

(श्री पंचायत मंत्री)

उत्तर

पूर्व सरपंच द्वारा चार्ज न देने के कारण ऑडिट नहीं हुवा।

बिलाड़ा पंचायत समिति की रकम

१२१. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बिलाड़ा पंचायत समिति के खजान्ची (कैशियर) के पास एक हजार रुपयों से अधिक की रकम १-१-६१ से १९६३ तक कब कब रही व कितनी कितनी रही? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या यह सच है कि पंचायत समिति के मुख्य स्थान (हैड क्वार्टर) पर सब-ट्रेज़री व बैंक की शाखायें हैं व समिति का हिसाब (अकाउन्ट) भी खुला हुआ है?

(३) क्या यह भी सच है कि उक्त राशि जान-बूझ कर खजाने में जमा नहीं कराई गई व उसका दुरुपयोग किया गया?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां।

(३) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सहकारी समिति को दिया गया ऋण

१२२. श्री जेठमल बरवड (परबतसर): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कृषि सहकारी समिति बूड़सू को पंचायत समिति मकराना ने १७,००० रुपये का कर्ज दिया था?

(२) क्या यह सही है कि समिति को जो ऋण दिया गया था वह नियमानुसार नहीं दिया गया?

(३) क्या यह सही है कि समिति ने जिन कार्यों के लिए कर्जा उठाया था वे कार्य पूरे नहीं करने पर कृषि प्रसार अधिकारी मकराना ने सहकारी समिति से रुपये वसूल करने के लिये विकास अधिकारी को लिखा है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) वसूली की कार्यवाही चालू कर दी गई है।

रानीवाड़ा-सांचोर सड़क में आई भूमि का मुआवजा

१२३. श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री भगराज चौधरी)

(१) रानीवाड़ा-सांचोर ग्रेवल सड़क किस वर्ष निकाली गई थी और कुल कितने ऐसे काश्तकार हैं जिनके खेतों में से यह सड़क निकाली गई थी ?

(२) क्या सरकार ने उन सभी काश्तकारों की जिनकी कि जमीन सड़क के नीचे ली गई थी, मुआवजा दे दिया है ?

(३) यदि नहीं, तो अब तक मुआवजा नहीं दिया जाने का क्या कारण है और अब कब तक देने का विचार है ?

(४) क्या यह सही है कि इस रानीवाड़ा सांचोर ग्रेवल रोड पर अब डामर बिछाया जा रहा है और पुराने एलाइन्मेन्ट में परिवर्तन कर नया एलाइन्मेन्ट दिया है जिसके कारण फिर से बहुत से काश्तकारों के खेत इस नई सड़क के नीचे आ गये हैं ?

(५) यदि हां, तो क्या ऐसे सभी काश्तकारों को भी सरकार मुआवजा देने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

राष्ट्रीय बचत योजना के लिए एकत्रित, की गई धनराशि

१२४. श्री जुझारसिंह (चेचट): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति चेचट के उप-सरपंच श्री हीरालाल ने राष्ट्रीय बचत योजना के लिये धन इकट्ठा किया था और रसीदें दी थीं किन्तु उस राशि को उसने सरकार के पास जमा नहीं करवाया है और उन व्यक्तियों को जिन्होंने कि श्री हीरालाल को धन दिया था राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट खरीदने हेतु प्रमाण-पत्र भी नहीं दिये गये हैं ?

(२) सरकार ने श्री हीरालाल से धन वसूल करने के लिए क्या कदम उठाये हैं तथा उसकी लापरवाही तथा दुर्भावना के लिये उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

लोकल फंड ऑडिट विभाग के कर्मचारियों को विशेष वेतन

१२५ श्री. दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या लोकल फण्ड ऑडिट विभाग में माह नवम्बर, १९५९ में कुछ लेखापालों (एकाउन्टेन्ट्स) वरिष्ठ लेखकों (यू. डी.

Page No 30

सी.) व कनिष्ठ लेखकों (एल. डी. सी.) का पदाभिधान (डेजिग्नेशन) क्रमशः इन्सपेक्टिंग सुपरिन्टेन्डेन्ट, ऑडिटर्स तथा जूनियर ऑडिटर्स के रूप में किया गया था ? यदि हां, तो इस प्रकार कितने व्यक्तियों का पदाभिधान किया गया था ?

(२) क्या इन इन्सपेक्टिंग सुपरिन्टेन्डेन्ट्स, ऑडिटर्स व जूनियर ऑडिटर्स को विशेष वेतन (स्पेशल पे) स्वीकृत किया गया था ?

(३) क्या यह विशेष वेतन इन इन्सपेक्टिंग सुपरिन्टेन्डेन्ट्स, ऑडिटर्स व जूनियर ऑडिटर्स को उनके द्वारा किये जाने वाले कठोर दौरों के कार्य के कारण से स्वीकृत किया गया था ?

(४) क्या यह इन्सपेक्टिंग सुपरिन्टेन्डेन्ट्स, ऑडिटर्स व जूनियर ऑडिटर्स उसी प्रकार का कार्य कर रहे हैं जिसके कारण से विशेष वेतन स्वीकृत किया गया था ?

(५) क्या यह सही है कि सरकार ने इस वर्ष से यह विशेष वेतन बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों तथा किन नियमों के प्रधीन ?

उत्तर

(१) जी हां। ५० वरिष्ठ लेखक व ६ कनिष्ठ लेखकों का पदाभिधान आडिटर्स व जूनियर ऑडिटर्स के रूप में किया गया था। लेखापाल इस विभाग की स्थापना काल से ही जांच अधीक्षक कहलाते हैं।

(२) जी हाँ।

(३) जी हां। विशेष रूप से राजस्थान सिविल सर्विस (संशोधित वेतन) नियमों १९६१ के १-९-६१ से लागू हो जाने पर यह विशेष वेतन उक्त नियमों के नियम ८ के नोट नं० ३ के संदर्भ में परिशिष्ट II के भाग ३ द्वारा कठिन यात्रा हेतु चालू रखे गये।

(४) जी हां।

(५) जी हां। यह विशेष वेतन उक्त नियमों में संशोधन हो जाने के कारण जो कि वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ. १ (५१) एफ०डी०। एक्स। रूल्स ६२ दिनांक १–४–६३ द्वारा जारी किये थे, बंद कर दिये गये हैं। राज्य सरकार की राय में इन पदों पर नियुक्त कर्मचारियों का यात्रा सम्बन्धी कार्य साधारण कार्य के अन्तर्गत ही आता है अतः इन विशेष भत्तों को चालू रखना राज्य सरकार की राय में अनावश्यक था। संविधान की धारा ३०९ के अन्तर्गत राज्य सरकार को विशेष वेतन भत्ता स्वीकार करने या समाप्त करने का अधिकार है।

वैद्य के विरुद्ध शिकायतें

१२६. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार के पास यह शिकायत आई है कि वैद्य हीरालाल का गांव भाभड़ जिला भुंभनूं के राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय से गांव गुड्ढा जिला भुंभुनूं में तबादला कर दिया गया है लेकिन इस तबादले के वावजूद वह गांव भाभड़ में ही रह रहा है और पन्द्रह रोज से एक बार गुड्ढा जाकर अपनी पन्द्रह दिनों की हाजरी दर्ज करके वापिस गांव भाभड़ आ जाता है ?

(२) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के पास उक्त शिकायत गांव वालों ने कई दफा की है ? क्या सरकार ने उक्त शिकायत की जांच की हैं ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी ने की व उसकी जांच के क्या परिणाम रहे ?

उत्तर

(१) जी हां। एक शिकायत एन्टीकरप्शन से इस विषय को आयुर्वेदिक लॉ संचालक के कार्यालव में २४ जून, ६४ को प्राप्त हुई।

(२) गांव गुड्ढा गोडजो में वैद्य हीरालाल के परिवर्तन होने के बाद गुड्ढा से उसके विषय में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। भाभड़ से प्राप्त शिकायत के विषय में जांच करने हेतु निरीक्षक, सीकर को निर्देश दिये गये थे। गुड्ढा जाकर निरीक्षक, सीकर ने निरीक्षण कर यह रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि वहां पर वैद्य जी के प्रति कोई शिकायत नहीं है।

भारत सेवक समाज को ठेके

१२६. श्री रामकिशन (वैर) : क्या सार्वजनिक निमाण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सार्वजनिक निर्माण विभाग (बी. एण्ड आर.) ने भारत सेवक समाज को निर्माण कार्यों के लिये कितने ठेके जयपुर डिवीजन में दिये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सत्य है कि राजस्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग (बी. एण्ड आर.) के न्यूनतम वेतन रिवीजन कमेटी ने नेशनल हाईवे (हरवाड़ा) में इन ठेकों के काम का २७-८-६३ को निरीक्षण किया है और पाया गया है कि (क) मजदूरों को विशेष कर महिलाओं को निर्धारित वेतन की बजाय कम वेतन दिया जाता है, (ख) साप्ताहिक सवैतनिक छुट्टी नहीं दी जाती (ग) ओवर टाइम नहीं दी जाती (घ) नौकरी के अयोग्य ११–१२ साल के बच्चों को भी काम पर रखा गया है ?

(३) क्या यह सच है कि जांच में यह भी पाया गया है कि भारत सेवक समाज के पास न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत काम का कोई रिकार्ड नहीं है और इन्सपेक्टर, न्यूनतम वेतन ने कभी भी भारत सेवक समाज के किसी भी ठेके के काम का चैंकिंग नहीं किया है ?

(श्री रामकिशन)

(४) क्या यह सत्य है कि मजदूरों को उनके हक से वंचित रखने वाला उक्त प्रत्येक कार्य फौजदारी जुर्म है ? यदि हां, तो सरकार भारत सेवक समाज के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(१) सूची (अ) प्रस्तुत है।

(२) जी हां, रिवीज़न कमेटी ने अपने रिपोर्ट में निरीक्षण की तिथि उल्लेख नहीं की है।

क-कमेटी की रिपोर्ट में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है।

ख-जी हां।

ग-रिपोर्ट में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है।

घ-रिपोर्ट में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है।

(३) कमेटी ने इसके बारे में अपनी रिपोर्ट में कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया है।

(४) यह इस विभाग से संबंधित नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

अनुपयुक्त पुल के कारण कठिनाइयां

१३६. श्री **सांवलियाराम** (रूपवास-सु.) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि सेवला बिरहठा के बीस मोरा के पुल से जो बसें रूदावल व भरतपुर को जाती है वे पुल की चौड़ाई कम होने के कारण पुल पर बहुत कठिनाई से गुजर पाती है ?

(२) क्या यह भी सही है कि यह पुल टूटी फूटी हालत में रहती है और बीस मोरा पटाव की पट्टी हर साल टूट जाया करती है ?

(३) यदि हां, तो सरकार इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां, थोड़ी कठिनाई होती है।

(२) जी हां, पुल पुराना है किन्तु पट्टियां हर वर्ष नहीं टूटती हैं क्योंकि भारी वाहनों का पुल से गुजरने की रोक लगादी हैं।

(३) यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

कुएं के निर्माण के निमित्त दी गई राशि का दुरुपयोग

१३७. श्री **मोहनलाल सारस्वत** (रतनगढ़): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या गांव सुलखनिया पंचायत भूखरेडी, तहसील रतनगढ़ में पंचायत द्वारा

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

सुलखनियां में राजकीय सहायता से किसी कुए का निर्माण करवाया गया था ?

(२) यदि हां, तो इस कुए के निर्माण में कितने रुपये खर्च हुए ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त कुए के निर्माण के कार्य में वहां सरपंच श्री ओनाडाराम ने पंचायत समिति रतनगढ़ के समक्ष झूठा हिसाब बना कर प्रस्तुत कर दिया ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त हिसाब प्रस्तुत करने पर गांव वालों ने इसकी शिकायत पंचायत समिति रतनगढ़ के पास प्रस्तुत की ?

(५) क्या यह सही है कि उक्त शिकायत की जांच ८-१० माह पहले पंचायत समिति के विकास अधिकारी, श्री पदमचन्द सिंधी ने की थी और वर्तमान विकास अधिकारी ने पुन: जांच की है ?

(६) क्या यह सही है कि उक्त जांच से सरपंच के विरुद्ध भ्रष्टाचार सिद्ध हो चुका है? यदि हां, तो अब तक कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? तत्संबंधी समस्त कागजात सदन की मेज पर रखे जावें।

उत्तर

(१) जी हां।

(२) ५३३१) रुपये।

(३) जी हां।

(४) जी हां।

(५) भूतपूर्व विकास अधिकारी द्वारा इस संबंध में जांच की गई थी। वर्तमान विकास अधिकारी ने इस संबंध में पुन: जांच नहीं की।

(६) जी नहीं।

अध्यापकों को मैट्रिक ग्रेड

१३६. श्री गंगासिंह परिहार (हिन्डोली): क्या पंचायत एवं विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पंचायत समिति हिन्डौली व नैनवा में ऐसे कितने अध्यापक हैं जिन्होंने बम्बई हिन्दी विद्यापीठ की उत्तमा परीक्षा पास की है और जिन्हें मैट्रिक ग्रेड दी गई है ?

(२) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा बम्बई हिन्दी विद्यापीठ की उत्तमा को मैट्रिक के बराबर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेन्ट के ऑर्डर नं. एफ ४ (१७) जी. ए. ए. ६० तारीख ३१ अक्टूबर, १९६० द्वारा माना गया है ? अगर हां, तो फिर कई अध्यापकों को मैट्रिक ग्रेड क्यों नहीं मिल रही है ? क्या सरकार जिनको ग्रेड नहीं मिली है उनको दिलवाने का यथाशीघ्र विचार करेगी ?

उत्तर

(१) एक अध्यापक है जिसे मैट्रिक ग्रेड नहीं दिया गया है।

(श्री पंचायत मंत्री)

(२) राज्य सरकार के आदेशानुसार बम्बई हिन्दी विद्यापीठ की उत्तमा परीक्षा को केवल हिन्दी के स्तर के लिए मैट्रिक के बराबर माना गया है न कि पूर्णतया मैट्रिक के बराबर। अत: ऐसे अध्यापकों को मैट्रिक ग्रेड देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

हनुमानगढ़–रावतसर बिजली की लाइन पर व्यय

१४०. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

हनुमानगढ़ से रावतसर बिजली की लाइन पर कितना खर्च हुआ है और उस लाइन पर कनेक्शन लेने के लिये कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं ?

उत्तर

हनुमानगढ़ से रावतसर लाइन पर १, ४८, ६०० रुपया खर्च हुआ। राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड ने सूचना दी है कि उपरोक्त लाइन पर कुल २० कनेक्शन लेने हेतु प्रार्थना पत्र उनके पास आए हैं।

लेबर वेलफेयर ऑफिसर के कार्य

१८६. श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवा-महल, जयपुर) : क्या मंत्री मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) जयपुर में डाइरेक्टर प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी के कार्यालय में लेबर वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट कब कायम की गई और इस पद पर कौन व्यक्ति कब से कार्य कर रहा है ?

(२) लेबर वेलफेयर ऑफिसर को, विभाग में मुख्य रूप से क्या क्या कार्य करना पड़ता है ? और इसके द्वारा क्या क्या कार्य किया गया है ?

(३) क्या लेबर वेलफेयर ऑफिसर को विभागीय प्रशासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार है ? वर्तमान लेबर वेलफेयर ऑफिसर विवादों के निपटारे के अतिरिक्त क्या क्या कार्य कर रहे हैं ?

उत्तर

(१) यह पोस्ट सितम्बर सन् १९६२ में कायम की गई और उस पर श्री पी. डी. जोशी ता० १५-४-६३ से कार्य कर रहे हैं।

(२) लेबर वेलफेयर ऑफिसर को विभाग में मुख्य रूप से मालिक मजदूर के संबंध बनाये रखना, मजदूरों की मांगों पर मालिक से परामर्श करना, विवादों के निपटारे में समझौता वार्ता का कार्य करना, वर्क्स कमेटी एवं प्रोडक्शन कमेटी वगैरह बनाने का कार्य करना, मजदूरों के पेन्शन, ग्रेच्युएटी आदि एजल्दी दिलवाने में सहायक होना, मालिक को मजदूरों के ट्रेनिंग दिलाने में राय देना तथा मजदूरों के तबादले, प्रमोशन आदि आदि कार्य जो वेलफेयर ऑफिसर्स (रिक्रूटमेंट एण्ड

(श्री मुद्रणालय मन्त्री)

कंडीशन ऑफ सर्विस) रूल्स, १९५२ में प्रमाणित किये गये हैं उन कार्यों को करना है और वर्तमान लेबर वेलफेयर ऑफिसर आवश्यकतानुसार ये सब कार्य करते ।

(३) जी नहीं । वर्तमान लेबर वेलफेयर ऑफिसर प्रश्नोत्तर भाग २ में बताये गये सब कार्य एवं जो भी प्रशासन उसे सौंप दें, कर रहे हैं।

(११.५७ म. पू.)

स्थगन-प्रस्ताव

श्री मानसिंह महार (आमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : कुछ माननीय सदस्यों ने माननीय सदस्य श्री जोधसिंह एवं माननीय सदस्य श्री मोहनलाल सारस्वत को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में स्थगन–प्रस्ताव की सूचना दी थी या अन्य रूप से उसे उठाने की आज्ञा चाहते थे। इस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्रीजी आज अपने वक्तव्य में स्पष्टीकरण करेंगे ।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री) : किस का ?

(११.५८ म. पू.)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेत्तर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद !

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस जारी है । कल मैंने हमारे योजना मन्त्रीजी का भाषण सुना । भाषण सुनने पर मुझे बड़ी खुशी हुई कि राजस्थान के मन्त्री लोग दुनिया से इतनी दूर रहते हैं, वे शायद आसमान में उड़ते रहते हैं...

श्री मथुरादास माथुर : हम तो आपके पास रहते हैं ।

श्री मानसिंह महार : मेरे पास रहते तब तो आप यह बात नहीं कहते । लेकिन दुर्भाग्य यही है कि आप जनता-जनार्दन से दूर हैं...

श्री मथुरादास माथुर : अभी वोट लेकर आये है ।

श्री मानसिंह महार : आपने कल चुनाव विभाग की बहुत तारीफ की। आपने कहा, इतनी पंचायत समितियों के ये चुनाव, वे चुनाव हमने कराये और मेरे पास ३२ शिकायतें हैं। आपके पास शिकायतें कौन करे ? दुर्भाग्य यही हैं कि शिकायतों की आपके यहां सुनवाई होती नहीं। दुर्भाग्य हमारा यही है, इसलिए लोगों ने समझा कि शिकायत करना बेकार है...

श्री मथुरादास माथुर : अच्छा। यह भी पुलिस डिपार्टमेंट हो गया ।

श्री मानसिंह महार : यह मैं बता दूं कि जब आप गृह मन्त्री हुए तो पुलिस में एक नई भावना पैदा कर दी और वह यह

(श्री मानसिंह महार)

कि जो शिकायत करने जाता था उसको डाट-डपट करके थानेदार कहने लग गया कि तुम्हारे ऊपर १८२ का केस चलाया जायगा, झूंठी शिकायत करते हो। वही हालत इलेक्शन डिपार्टमेंट की करने लग गये। आप कहने लग गये कि शिकायत नहीं आई। अरे, शिकायत अगर आये तो आप उनको दबा लें, किसी को रसीद न दें। शिकायत करने वाले तो सेंकड़ों हैं। मैं आपको प्रमाण दूं, आपके सामने उनको लाकर खड़ा करूं। उन्होंने मन्त्री महोदय के सामने शिकायत पेश की तो उन्होंने कागज फाड़ कर फेंक दिया और आप खड़े होकर कह देते हैं कि शिकायत किसी की नहीं है।

(१२ मध्याह्न)

श्री मथुरादास माथुर : मैं यह चैलेंज देकर कहूंगा कि आप एक भी आदमी का नाम बताएं जिसने शिकायत की हो और उसकी एप्लीकेशन फाड़ कर फेंक दी गई हो। कोई कागज नहीं फाड़ा गया।

श्री मानसिंह महार : मैं आदमियों को लाकर पेश करूंगा जिससे आपको मालूम होगा।

श्री मथुरादास माथुर : आप लाकर पेश करें, इसकी जरूरत नहीं है। आप एक नाम भी बता दें।

श्री मानसिंह महार : मैं आपको सारी बातें बता दूंगा और आपको सुनते ही आपके कानों के कीड़े झड़ जावेंगे।

श्री भैरोंसिंह : आपके कानों में कीड़े कहां थे सो झड़ जावेंगे।

श्री मानसिंह महार : कल ही तो हमारे चित्र चौसरसिंहजी ने एक पत्र पेश किया था, जिसमें ६ वोट पाने वाले को विजयी घोषित किया और ज्यादा वोट पाने वाले को विजय घोषित नहीं किया।

श्री मथुरादास माथुर : मैं उसका जवाब दे चुका हूं।

श्री मानसिंह महार : मैं उसी पर आ रहा हूँ। यह एक इतना गम्भीर विषय है कि एक चुनाव में ६ वोट पाने वाले व्यक्ति को आपने विजयी घोषित कर दिया जब कि दूसरे के ८५ या ६५ वोट मिले थे उसके मुकाबले में। यह इतना गंभीर विषय है और इतने गंभीर विषय को विधान के एक माननीय सदस्य ने सदन के सामने रखा तो मंत्रीजी बड़े प्रेम से फरमाते हैं कि उसकी पिटीशन हो चुकी है इसलिए हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। पिटीशन में मामला साबित हो जावेगा तो हम जरूर उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। मैं यह कहूंगा कि पिटीशन हो गई होगी फिर भी आपको एक्शन लेना चाहिए था। आप जानते हैं कि पिटीशन में किस प्रकार से देरी होती है और मैं अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि पिटीशनर पर अपनी सरकार कोई दबाव डाले, वह पिटीशनर गरीब आदमी होगा उसको जैसा आप करना चाहें करेंगे। कोई मुकदमा उस पर होगा उसमें आप दबाव डालेंगे और मैं यह कहूंगा कि

(श्री मानसिंह महार)

इसमें मंत्री तक शामिल हैं। इसमें हाई आॅथोरिटीज़ इन्वोल्व्ड हैं। रिटर्निंग आॅफीसर का दम नहीं कि वह इस प्रकार से कर सके। मैं इसलिये यह कह रहा हूं कि अब पिटीशनर को दबाया जा रहा है।........

श्री मथुरादास माथुर : मैं यह जानना चाहता हूं कि मैं कानूनी क्या एक्शन ले सकता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह सुझाव दे दें कि मैं यह एक्शन ले सकता हूं, तो मैं लेने को तैयार हूं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : वाह रे तुम और तुम्हारी सरकार ?

श्री मानसिंह महार : आपका जब कलेक्टर यह कहता है कि ६ वोट वाले को डिक्लेअर कर दिया है, यह सत्य है तो आपको चाहिये कि कम से कम उस रिटर्निंग आॅफिसर को सस्पेन्ड तो कर सकते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : रिटर्निंग आॅफिसर से जवाब मांगा गया तो उसने यह जवाब दिया है कि मेरी क्लेरीकल एरर है। आपके यहां पर पैकिंग पड़े हैं उनको खोल कर करेक्ट कर दिया जावे और उसमें से देख लिया जावे। मगर पैकेट खोल कर गिनने का मुझे अधिकार नहीं है। मुझे खुद को आप से ज्यादा परेशानी है। पैकेट खोलने के बाद अगर वाकई में जो बात आप कह रहे हैं साबित हो गई तो उस आदमी का प्रोसीक्युशन किया जावेगा।

श्री मानसिंह महार : जब क्लेरिकल एरर उसने मान ली है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिये ?

श्री मथुरादास माथुर : उसका कहना है कि सीरियल नं० १ और सीरियल नं० २ पास पास होने के कारण लिखने में एरर हो गई...

श्री चोसरसिंह आवेल (बेंगू) : हमने उनको शपथ नहीं ग्रहण करने दी....

(शेम-शेम शोरगुल)

श्री मथुरादास माथुर : अगर शेम-शेम से मामला हो जाता है हल, तो ठीक है।

(शोरगुल)

आप कानून समझते नहीं हैं। खड़े हो जाते हैं जैसे कोई स्प्रिंग लगी हो।।

श्री चोसरसिंह आवेल : रात को दो बजे उनको बाहर निकाल दिये जाने की शपथ-ग्रहण नहीं कराते।

श्री मथुरादास माथुर : आपके भी प्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे। वहां पर ओरीजिनल रजिस्टर होता है।

मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों को यह बता देना चाहता हूं कि मेरी भी प्रबल इच्छा है कि ऐसे मामलों में एक्शन लिया जाए; मगर कानूनी क्या एक्शन ले सकता हूं ? मगर यह है कि फोर्म नं० ४ है, ओरीजिनल रिटर्निंग आॅफिसर से बनता है। उसकी एक प्रति कलेक्टर के पास चली जाती है और एक हमारे यहां जाती है। आपने ट्रू कॉपी ली। आपके नकल लेने के बाद में

Page No 38

(श्री मथुरादास माथुर)

वह कॉपी हमारे पास आई। हमने उसको कम्पेअर किया तो गलत मालूम हुआ। आपके पास ट्रू कोपी है, उसमें जिसको ज्यादा वोट मिले उनको डिक्लेअर नहीं किया और कम वाले को कर दिया। हमने इसके लिये कलेक्टर को ऑर्डर दिया और कलेक्टर ने इन्क्वायरी शुरू कर दी। रिटर्निंग ऑफिसर को पूछा, उसने कहा कि आप पेकिंग खोल कर देख ले...

(शोर-गुल)

दोनों कोलम्स पास पास थे। अब उसको वेरीफाई कैसे किया जाए? पैकिंग है। वे बन्द पड़े हैं। अगर उनको काउन्ट करते हैं तो सब मामला साफ हो जावेगा। यह मामला कोर्ट के सामने है। कोर्ट के पास पैकट्स गये है। रिटर्निंग ऑफिसर ने क्लेरीकल एरर कह दिया है। जल्दी फैसला हो जायेगा।

एक माननीय सदस्य : अगर इलेक्शन पिटीशन कोई नहीं करता तो क्या हो सकता था?

श्री अध्यक्ष : अब तो कोई एक्शन पिटीशन के निर्णय के बाद हो सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इलेक्शन रिजल्ट जो हमारे सामने हैं उससे यह साफ जाहिर है कि इलेक्शन रिजल्ट गलत डिक्लेअर किये गये हैं। इस बेसिस को लेकर उस अधिकारी को सस्पेन्ड करना चाहिये। जब आप उसको सस्पेन्ड करेंगे तो वह अपने सबूत में सब पेश करेगा। आप रिजल्ट डिक्लेअर पैकिंग के बेसिस पर नहीं करते, आप तो लिस्ट को पढ़ कर देख कर रिजल्ट डिक्लेअर करते हैं तो जो कुछ कागज में लिखा है, जिसकी कॉपी आपके पास है और उनके पास है उस पर डिक्लेअर किया गया है न कि पैकिंग के बेसिस पर रिजल्ट डिक्लेअर किया गया है तो इस बिना पर उसको सस्पेन्ड किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न सस्पेन्ड करने का नहीं है। प्रश्न जांच का है। जांच की जावे या नहीं? इसकी जांच की है और मंत्री महोदय कह रहे हैं कि पिटीशन का फैसला हो जावेगा, उसके बाद में कार्यवाही होगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह निवेदन करूंगा कि रिजल्ट इलेक्शन के किस बेसिस पर तैयार होते है। डिक्लेअर रिजल्ट इलेक्शन के किए जाते हैं वे पैकिंग से नहीं किये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : ये बातें सारी जांच में आ जावेगी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : आखिर आपको उससे जबाब तो तलब करना चाहिये था।

श्री मथुरादास माथुर : हमने जबाब तलब किया। वह कहता है कि मेरी क्लेरिकल एरर हुई है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अगर उसने जवाब दिया भी है और आप कोई

Page No 39

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

कार्यवाही नहीं करते तो मैं समझता हूं कि आप अन्याय कर प्रत्साहन दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अब इस पर काफी बहस हो गई है। श्री मानसिंह महार अपना भाषण जारी करें।

श्री मानसिंह महार : अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसले की ओर आकर्षित किया, मंत्री महोदय ने उस मसले को टालमटोल करने की कोशिश की, लेकिन मैं यह समझता हूं उन्होंने पंचायतों के चुनाव लड़े नहीं, विधान सभा या पार्लियामेन्ट के चुनाव लड़े हैं और जैसा कि मैंने कहा वे आकाश में ही उड़े हैं, धरती पर नहीं चले। उन्हें मालूम नहीं कि देहात की पंचायत के वार्ड मेम्बर की क्या हालत है ? इस प्रकार की गलतियां कम से कम २५ पर्सेन्ट केसेज़ में हुई कि हारे हुओं को जीता हुआ डिक्लेअर किया गया है और जीते हुओं को हारा हुआ डिक्लेअर किया गया है।

श्री मथुरादास माथुर : यह आपके केस में तो नहीं हुआ ?

श्री मानसिंह महार : मेरे केस में तो जरूर हुआ है। आपकी और चौधरी चाचा की मेहरबानी थी। मैं तो हारा हुआ भी जीता हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो कुछ मंत्री महोदय ने कहा ठीक है, लेकिन हमको बहम है। मैं फैक्ट निवेदन करता हूं पैकेजेज़ की सील तोड़ कर बदल दिया जायगा। ऐसे कई केसेज़ हुए हैं। इलेक्शन पिटीशन हुई, पैकेजेज़ की सील तोड़ कर रद्दोबदल किया गया।

फागी तहसील में माधोराजपुरा के सरपंच की मिसाल रखूंगा, वह दो—तीन वोट से जीता। जयपुर कलेक्टोरेट में एक क्लर्क को पैसे देकर पैकेजेज़ तुड़वाये गये और हारे हुए सरपंच के नाम के आगे ६ बैलेट पेपर्स पर डुप्लीकेट मोहर लगा दी और जो जीता हुआ था, इससे जीते सरपंच के ६ वोट कम हो गये और इस तरह से जीता हुआ सरपंच हारा हुआ डिक्लेअर किया गया और जो हारा हुआ था वह जीता हुआ डिक्लेअर किया गया। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं।

मैं इस मसले पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता था। मैं भी सरपंच का चुनाव लड़ा हूं और जीता हूं बावजूद इसके कि राजस्थान सरकार ने एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया। कुल १५०० वोट पड़े, वहां १५०० वर्कर भेजे। मैं प्रचार करने कहीं नहीं गया। मैंने गांव के मित्रों को कहा कि मैं बाहर की मदद नहीं लूंगा। मैं इस मसले पर बोलना नहीं चाहता था, पर कल जिस उदासीनता से हमारे मंत्री महोदय ने जबाब दिया, उसने मजबूर किया कि कुछ बातें बताऊं। आमेर तहसील के एक गांव में एक केन्डिडेट को दिन भर पोलिंग स्टेशन के अन्दर नहीं घुसने दिया, इसका लिखित प्रमाण चाहें तो मैं कल पेश कर दूं... ...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : ऐसे तो कई हैं।

श्री मानसिंह महार : मोहर बागड़ा चुनाव में खड़ा हुआ, उसको दिन भर पोलिंग स्टेशन में नहीं घुसने दिया गया। मैं चार बजे मोटर ले कर गया तो उसने कहा कि अन्दर तो अनियमितताएं हो रही हैं, जैसे तैसे मोहरें लगा रहे हैं। मैंने लिखित में एप्लीकेशन लिखकर दी कि यह ले कर जाओ फिर भी उसको अन्दर नहीं आने दिया, लिखित एप्लीकेशन रिटर्निंग ऑफिसर को दी उसने उस पर लिखा, "you are not allowed to enter in the polling station"

वह गरीब आदमी है, उसने पिटीशन नहीं की। मन्त्री महोदय कहते हैं कि पिटीशन कर दो। एम.एल.ए. पिटीशन कर सकता है पर एक गरीब आदमी पिपीशन नहीं कर सकता, १०० रुपया पिटिशन के लिये देना पड़ता है, ५० रुपये पिटीशन के जमा कराने पड़ते हैं। आप चाहो तो मैं वह कागज सदन की मेज पर पेश करूंगा। मैं इस पर नहीं बोलना चाहता था पर मंत्री महोदय ने मुक्त कंठ से अपने विभाग की तारीफ की कि यह हो गया वह हो गया इसलिए मजबूर होकर मुझे कहना पड़ा।

पंचायतों के चुनाव आपने जीते, उसके लिये बधाई है पर जिस तरह पंचायतों को अयूब खां की नादिरशाही की तरफ चला रहे हैं। मैं भारत का एक सपूत हूं, इसलिए कहता हूं कि आप भारत में डेमोक्रेसी की हत्या करना चाहते हैं, इसलिए आपको शर्म आनी चाहिए, आप आज हंसते हैं, आपको रोना चाहिये यहां पर। जिस प्रकार से पंचायती चुनाव कराये हैं इसके लिये मैं एक ही संज्ञा देता हूं वह यह है कि आपने पंचायती राज के साथ रेप किया है। यह फैक्ट है। इतनी अनियमितताएं की गई हैं, इतनी नीचता से चुनाव कराये गये हैं कि कह नहीं सकता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : यह ३७६ की कार्यवाही किसने की है ?

श्री मानसिंह महार : वह तो जो करने के आदी हैं वे ही कर सकते हैं।

गोविन्दगढ़ पंचायत समिति के खादी भंडार में ४०० आदमियों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर, कहीं मास्टरों की मदद से, कहीं पटवारियों की मदद से, कहीं ग्राम सेवकों की मदद से, कहीं पुलिस के सिपाहियों की मदद से, कहीं थानेदारों की मदद ली गई और उनको जुड़ा गया। जिस प्रकार हिटलर की जर्मनी में ज्यूज को कन्सेन्ट्रेशन कैम्प में रखा गया उस तरह से नहीं। ८ बजे रात को राजस्थान के राजस्व मंत्रीजी गोविन्दगढ़ पधारे, २००, ३०० आदमियों का पहरा लगा दिया और राजस्थान के राजस्व मंत्रीजी ने कहा कि यदि आप अपने इलाके का विकास चाहते हैं तो कांग्रेस को वोट दीजिये... :

श्री मथुरादास माथुर : इसमें क्या गलत कहा ?

श्री मानसिंह महार : और सुनिये। और उन्होंने कहा कि अगर किसी विरोधी को वोट देते हो तो आपके विकास कार्य ठप्प हो जायेंगे।

श्री रामकिशन (वैर) : अब कहिये । इसमें क्या हो गया ?

श्री मानसिंह महार : अरे, कैरों से सबक लो । सरदार प्रतापसिंह कैरों से सबक लो, वह भी यही कहा करते थे । पर कैरों की हत्या का षडयन्त्र कहां हुआ । अध्यक्ष महोदय, मैं कहना नहीं चाहता था पर....

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : आपका यह इरादा है क्या ?

श्री मानसिंह महार : अजी, आप जैसी पिद्दियों को कौन पूछेगा, यह तो माथुर साहब जैसों के लिये है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : सदन के एक माननीय सदस्य को एक पिद्दी कहना बहुत अनपार्लियामेंटरी है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उनको इसमें एतराज नहीं ।

श्री मानसिंह महार : वह तो अध्यक्ष महोदय, उनका मुंह ही पिद्दी जैसा है, अगर आप कहें तो मैं माफी चाह सकता हूँ ।

जब हनुमानगढ़ के चुनावों में पंजाब के गृह मंत्री दरबारासिंह आये थे तो हनुमानगढ़ में सारा श्री गणेश हुआ । दिल्ली और पंजाब की पुलिस कहती है कि हत्यारे राजस्थान होकर पाकिस्तान गये । यह सर्व सिद्ध है कि यह एक एक योजना थी तभी तो हत्या के ठीक १५ मिनट बाद राजस्थान के एक उपमंत्री ने जाकर देखा कि हमारी योजना सही ढंग से हुई, इसलिए उन्होंने सदन से कहा कि मैं मुख्य मंत्रीजी से मिल कर गया था । यह ऊपर से नीचे तक लिंक है, पर क्या करें, किससे कहें ? ऊपर से नीचे सब हैं तो बेचारी पुलिस भी चुप है । मैं निवेदन करता हूं कि आज राजस्थान में अराजकता इस पराकाष्ठा पर पहुंच गई है कि हम लोगों की जिन्दगियां भी खतरे में हैं। हम अपने आपको सेफ नहीं महसूस करते । मैं आपसे सही निवेदन करता हूं कि हमें रात रात भर डर लगा रहता है कि कहीं हम कत्ल न हो जायं मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि कम से कम हम आपके....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : भारत के सपूत को बचाया जाय ।

श्री मानसिंह महार : हम लोगों को बचाया जाय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं ।

हम लोगों के मुकाबिले में किस प्रकार के घृणित प्रचार किए जाते हैं उसका नमूना आपके सामने रखता हूं । हनुमानगढ़ के चुनाव में जब महारानी गायत्री हनुमानगढ़ पधारीं तो राजस्थान की सी० आई० डी० के एक आदमी ने महारानी साहिबा को जाकर कहा कि आप पहले तो हनुमानगढ़ मत जाइए, अगर हनुमानगढ़ जाती हैं तो आप मानसिंह महार को साथ मत ले जाइए, मानसिंह महार आपको कत्ल करा देगा, यह उसने महारानी के राजमहल में जाकर कहा । वह आदमी हैड कांन्सटेबल महादेवसिंह है, आपके राजस्थान सी० आई० डी० का आदमी है । इस प्रकार की घृणित बात उसने उनसे

(श्री मानसिंह महार)

कहीं। मैं महारानी गायत्री देवी की हत्या की कल्पना कर सकता हूं ? यह तो उधर बैठने वाले दुष्ट लोग ही षड्यंत्र कर सकते हैं। वे ही इतने नीच कारनामों तक पहुंच सकते हैं। इतनी जिन्दगियां खतरे में हैं। जब से हनुमानगढ़ में उप चुनाव हुआ है तब से सोचता हूं कि अब हम यहां जिंदा भी रह सकेंगे या नहीं, हमारी सांस घुट रही है।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : फरवरी का बिल तो जल्दी से ड्रॉ कर लो।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आप महारानी से संबंध अच्छे कर लें।

श्री मानसिंह महार : इस सदन में अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि गुड़ के, क्रिय विक्रय संघ की कई लंबी-चौड़ी बातें आती थीं, लेकिन आज लोगों की जुबान में ताला लग गया है। मैं हनुमान-गढ़ गया तो सूरजभान के अपहरण की किताबें पढ़ीं, तो मैं दंग रह गया। तो जब ऐसी बातें सामने आती हैं तो डर लगता है, लेकिन मर जाऊं तो भी चिंता नहीं, लेकिन मैं तो बोलूंगा और बोल कर ही रहूंगा।

जो पुलिस है उसके बारे में थोड़ी सी बात कहूंगा। उच्च अधिकारी पुलिस के अच्छे हैं, उनकी बुराइयां नहीं करता, लेकिन नीचे की लेवल पर कोई सुधार नहीं हुआ है। मेरी कॉन्स्टीट्यूएंसी भीलपुरा में जनरल इलेक्शन के ६ माह बाद एक कत्ल हुआ एक भूरा हरियाना ब्राह्मण का। कत्ल साबित होने के बावजूद लोकल पुलिस ने कुछ नहीं किया। राजस्थान सी० आई० डी० में केस गया। एक थानेदार को तफशीश में लगाया. डेढ़ साल तक सी० आई० डी० मौके पर नहीं गई। डेढ़ साल बाद सी० आइ० डी० के थानेदार ने दो-तीन आदमियों को गिर-फ्तार किया। उसके बाद थानेदार ने ७ दिन का रिमांड लिया और ६ दिन के लिए बाहर चले गए, पीछे से किसी ने पूछताछ नहीं की, थानेदार ने १५००) रुपये रिश्वत के रूप में ले लिए और सातवें दिन आकर अदमवकुए में उस आदमी को छोड़ दिया गया। आप उस थानेदार की डायरी देखिए।

दूसरा नमूना भी मैं अपनी कान्सीट्यूंसी का रखना चाहता हूं, वह है कल्याण बांगरा का जो कि साल डेढ़ साल पहले अपनी औरत को घर से ले चला मारने की नीयत से। गांव से डेढ़ मील दूर रात के समय उसकी निर्ममता से हत्या कर दी, उसके हाथ-पांव और गुप्तांग काट दिए। दो हजार रुपये लेकर आगे चला और मुड़ौता ग्राम था और हरबख्श धारण नामक आदमी था उसके पास जाकर कहा कि मैं यह काम करने आया हूं, ये दो हजार रुपए लो और मुझे बचाओ। हरबख्श ने उस आदमी को पकड़ा, उसके साफे से उसके दोनों हाथ बांधे और वहीं उसके पास ही मीणों का कुआं था उस कुएं के अंदर उसे ढकेलकर दो हजार रुपये हजम कर गया। वह आदमी मर गया। औरत को तो चुपके से जला दिया, लेकिन पुलिस

(श्री मानसिंह महार)

को कोई सूचना नहीं । आदमी की लाश सड़ गई । लाश को ४ दिन बाद निकाला, थानेदार पहुंचा । एक मुसलमान थानेदार था उस समय चोमूं का, दो महीने की छुट्टी से आया था, वह मौके पर पहुंचा । मारने वाले ने एक हजार रुपए सरपंच को दे दिए कि किसी तरह कह दो कि हम तो लाश को पहिचानते ही नहीं । थानेदार को हजार रुपए मिले, उसने लिख दिया कि लाश पहिचानी नहीं जा सकती, उसको जला दिया । वह खुद मर गया, उसकी औरत मर गई, आज तक कोई एक्शन नहीं; यह आपकी पुलिस का हाल है । मगर गरीब लोग इस हालत में नहीं हैं कि दावे करें या और कुछ करें, अगर करते हैं तो तीन तीन वर्ष तक सुनवाई चलती रहती है । यह हालत है आपके पुलिस राज्य की ।

पुलिस तो वह चीज है जिसने एम० एल० ए० को पीट लिया, उनके घर वालों को बंद कर दिया, कोई सुनवाई नहीं । मुख्य मंत्रीजी पुलिस विभाग को संभालते हैं, उनके नजदीकी आचार्य साहब डिप्टी मिनिस्टर हैं वह तो घर की रखैल के बराबर है.......

श्री निरंजननाथ आचार्य (उपमंत्री गृह) : पोइंट ऑफ आर्डर, आपने इतनी गालियां दी हैं, दुष्ट कह दिया, पिद्दी का मुंह कह दिया । आपका न मालूम कोई अप्सरा जैसा मुंह है, अब रखैल शब्द का इस्तेमाल किया, या तो हमें भी लाइसेंस दिया जाय, ताकि हम भी डिक्शनेरी से ढूंढ ढूंढ कर शब्द निकालें ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : इस तरह से पूरी छूट होना एक माननीय सदस्य के लिए शोभा का विषय नहीं ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): जिस समय गोकुलप्रसाद गालियां दे रहे थे उस वक्त आप कहां गये थे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं बनेड़े में था ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : शुरूआत आप लोगों ने की है । जब आपका आदमी गालियां देता है तब कुछ नहीं कहते हैं । गोकुलप्रसाद ने कहा, लोग नंगे होकर आए, कितनी झूठी बात कही ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री मानसिंह महार : What I meant was 'monopoly'. In Hindi there are certain words which I cannot express and as Hindi has been declared the official language, I always try to speak in Hindi and translate the English words in Hindi. If some words offend my friends on the other side of the House, I apologise to my friends that by the word 'Rakhel' I meant only 'monopoly'.

श्री निरंजननाथ आचार्य : The 'Rakhel' is a historical word and it is not applicable to us.

श्री मानसिंह महार : I did not hear the Hon. Deputy Minister; Otherwise I would give him.........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इस प्रसंग को छोड़ दें और संयम से बोले तो ऐसा वातावरण पैदा नहीं होगा।

श्री मानसिंह महार : कोई हिन्दी का शब्द मोनोपोली का हो तो बता दें।

श्री अध्यक्ष : ऐसे शब्द अंग्रेजी के इस्तेमाल कर सकते हैं।

श्री मानसिंह महार : अध्यक्ष महोदय, पुलिस के बारे में मैंने चन्द बातें निवेदन कीं। ये बातें कहने से हमारे मुख्य मंत्रीजी नाराजगी महसूस कर रहे हैं। जैसे सांचोर से आने वाले माननीय मित्र ने उनके मुस्कान की बात कही थी वह भी अभी गायब हैं और उसी प्रकार उप-मंत्री, गृह भी नाराज दिखायी देते है, तो मैं अब इस पुलिस महकमे को ही छोड़ देता हूं। आप राजी रहिये और जैसा चाहें अन्याय करते जाइये ! आपका अन्याय तो होगा ही, मैं गरीब, कहूँ या न कहूँ।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं पुलिस के बाद शिक्षा विभाग की ओर चलता हूं।

श्री अध्यक्ष : थोड़े समय में ही आप समाप्त कर दें।

श्री मानसिंह महार : आप फरमा दें कि इतने समय में ही खत्म कर दूं, तो मैं उसको वहीं छोड़ दूंगा। क्रय विक्रय संघ पर तो अंत में आऊंगा ही।

एक माननीय सदस्य : बहुत फरमाबरदार हैं।

श्री मानसिंह महार : तो अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के माने में बहुत प्रगति की हमारी सरकार ने। राज्यपाल ने भी आंकड़े दिये है, उनको पढ़ कर मैं गद्गद् हो गया। मंत्री लोग भी शिक्षा के बारे में फरमाते हैं तो वाकई दिल खुश होता है, लेकिन गांवों में स्कूलों में जाते हैं तो, अध्यक्ष महोदय, नतीजा इसका उल्टा मिलता हैं। अध्यक्ष महोदय, आज हमारी सरकार जो स्कूलों व लड़कों को सुधारने के बजाय लड़कों को बिगाड़ने का काम करती है। पचास-पचास, साठ-साठ लड़कों की भीड़ स्कूल में मिलेगी और बेचारा एक मास्टर मिलेगा। आप इमेजिन कीजिये। इतने छोटे बच्चों पर एक मास्टर कैसे काबू पा सकता है ? वे सारे उस स्कूल में ऊधम करते हैं, बदमाशियां सीखते हैं। सरकार को पंचायत समितियां लिखती हैं, साहब ! बीस पच्चीस लड़कों पर एक मास्टर होना चाहिये, ज्यादा से ज्यादा ४० पर कर दीजिये लेकिन वह हमारे मित्रों के कानों तक पहुँचती नहीं है, वे तो साठ लड़कों पर एक मास्टर देते है तो लड़कों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ भी करते हैं। इसलिए शिक्षा के तौर पर निवेदन करूंगा कि आप प्राथमिक शालाओं में एक नियम करिये कि ३० से अधिक बच्चों पर दो मास्टर हों। ४० पर कर दीजिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप मंत्री राजस्व) : है ही।

श्री मानसिंह महार : वह क्रियान्वित नहीं होता है । माथुर साहब ने कह दिया कि चुनाव अच्छे ढंग से हुए, लेकिन आपके कह देने से थोड़े ही होते हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : आपके कहने से नहीं होते हैं ।

श्री मानसिंह महार : एक निवेदन कर दूं कि अभी आप पंचायत चुनाव जीते हैं । म्युनिसिपेलिटीज में तो हारते हैं और जहां भी पहुंचे है आपने तो वह किया है कि जैसे शेर ने सियार की खाल ओढ़ ली हो । कहा कि पंचायत के चुनाव तो पार्टी स्तर पर नहीं हो रहे हैं लेकिन आपके आदमी हाथ जोड़ करके चुपके से पीछे घुस गये और आप डींग मारते हैं कि हम जीत गये । अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्रीजी से प्रार्थना करता हूं कि गरीब लड़कों के लिए जहां आप गांवों में हाई स्कूल या हायर सैकन्डरी खोलते हैं तो उनसे पैसा मत मांगिये । आपको खोलना है तो आप स्वयं सरकार की ओर से इतना पैसा दीजिये । आप इतना मत कहिये कि यदि आपको हायर सैकन्डरी खोलना हो तो इतना पैसा दीजिये । यह पैसा मांगना आपकी वनिया वृत्ति दिखाता है । आप गांवों में बनिये मत बनिये । जैसे हमारे आदरणीय कृषि मंत्रीजी हैं जो कृषिकों के बहुत ही शुभेच्छुक हैं । उन्होंने कल लम्बी चौड़ी बातें भी बतायीं । उसी प्रकार गांवों में हायर सैकन्डरी खोल तो बिना पैसा मांगे खोलिये । आप यह नियम बनाइये । मैं कहता हूं कि आप अपने भाषण में इस सदन में शपथ खाइये कि कम से कम आपका विभाग हायर सैकेन्डरी खोलने में पैसा नहीं मांगेगा । हायर सैकेन्डरी खोलने में पैसा आपका क्राइटेरिया नहीं होगा । आप समाजवाद की कल्पना करते हैं । उस समाजवाद की कल्पना करने वाली सरकार गांव वालों से पैसा मांग कर हायर सैकन्डरी खोले यह शर्म की बात है । मैं कहता हूं कि इस प्रकार की बात करते हैं तो आप समाजवादी शब्द को ही छोड़ दें । कांग्रेस के कोष से समाजवाद के शब्द को ही हटा दीजिये और यह नहीं करते हैं तो आप बापू के सिद्धान्त का हनन करते हैं ।

(घंटी)

बहुत थोड़े में ही कहता हूं ।

यह तो हुई शिक्षा की बात । अब मैं आता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर । कहा जाता है कि हम गांवों के अन्दर बहुत काम कर रहे हैं । उत्पादन बढ़ा रहे हैं; यह बढ़ा रहे हैं, वह बढ़ा रहे हैं । आप कितना ही उत्पादन बढ़ाइये, जब तक आप गांवों के अन्दर परिवार नियोजन को घर घर नहीं पहुंचायेंगे तब तक मैं आपको सही कहता हूं कि आपकी कोई प्रगति नहीं होगी ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार जयपुर) : आपके तो अभी अभी एक बच्ची हुई है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : शपथ लेने के बाद ?

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : इनका ओपरेशन आज ही कराया जाय और अस्पताल में पहुँचाया जाय ।

Page No 46

श्री मानसिंह महार : मैं निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थान के मंत्रियों के जब मैं दस-दस, ग्यारह-ग्यारह बच्चे-बच्ची देखता हूं तो मैंने भी उचित समझा कि एक बच्चा और पैदा करूं ताकि कभी केबीनेट बने तो मेरा भी नम्बर आ जाय। यह मैंने गलती की, लेकिन भैरोंसिहजी क्यों नाराज हों? उनके तो किसी अध्यापिका के आशीर्वाद से बच्ची हुई, लेकिन मेरे तो मेरे कर्मों से हुई। उनको आप पूछ लीजिये, वे सच बोलते हैं; आपको बतायेंगे कि अध्यापिका के आशीर्वाद से मेरे बच्ची हुई है। भगवान् करे, ऐसा आशीर्वाद उनको मिलता रहे।

श्री विजयसिंह झाला : मिनिस्टर बनने का क्राइटेरिया बच्चे पैदा करना ही हो जावेगा तो परिवार नियोजन कैसे होगा ?

श्री मानसिंह महार : इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि परिवार नियोजन गांवों के लिए बहुत आवश्यक है। पंचायत के चुनावों में मैं छोटी २ ढाणियों में गया। मोटर लेकर गया तो आपको आश्चर्य होगा कि जहां २० वोट हैं वहां आप देखिये कि सौ बच्चे इकट्ठे हो गये; कोई तीन वर्ष का कोई चार वर्ष का। आप सर्वे करा लीजिये, यदि मैं गलत होऊं। देश की आबादी इतनी तादाद में और तेजी से बढ़ रही है। मैं समझता हूं कि रूस और अमेरिका की आबादी होगी उतनी भारत की आबादी गत पन्द्रह वर्षों में बढ़ गयी होगी। आप आंकड़ों से मिला लीजिये। कितनी ही प्रगति करें आप यह देखिये कि रूस और अमेरिका की जितनी आबादी होगी उतनी भारत की १५ वर्षों में बढ़ गई है। इसलिए परिवार नियोजन के लिए सही ढंग से काम करना चाहिये। आपको चाहिये कि गांवों में डॉक्टर भेज कर उन लोगों के वहां ऑपरेशन कराना चाहिये। आज क्या होता है। परिवार नियोजन के लिए कैंप लगाये जाते हैं, पब्लिसिटी होती है। जब जाकर तलाश करते हैं तो ऑपरेशन कुछ नहीं हुए, डाक्टर लोग गये, सरकारी धन का खर्चा हुआ और वापिस आ गये। इसका ताजा ही नमूना पंचायत समिति गोविन्दगढ़ है। कैंप लगा, डाक्टर भी इकट्ठे हुए। रात को मैं भी पहुँच गया। मैंने पूछा कि कितने ऑपरेशन हुए; तो बताया साहब, एक दूसरे गांव का ग्राम सेवक नौकर था उसका हुआ, गांव में किसी का नहीं। ऑपरेशन हो जाते हैं तो मैं निवेदन करूं कि ऐसे गैर तजुर्बेकार डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं कि कामयाबी जिनको नहीं होती। इस सदन के एक दो सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने ऑपरेशन कराये लेकिन बच्चे हो गये। मीयां-बीबी में लड़ाई हो गई। यह दुर्गालालजी बाढ़दार हैं। मैं नाम नहीं लेता हूं। इस परिवार नियोजन ने बर्बाद कर दिया। कैसे? मैंने ऑपरेशन कराया और वह नाकामयाब हो गया और मुझे बहुत शर्मिन्दा होना पड़ा। इसलिए ऐसे परिवार नियोजन मत कीजिये, सुखाड़ियाजी साहब। आप कांग्रेस वाले तो बर्दाश्त कर जाते हैं लेकिन हम इज्जतदार आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम इज्जतदार हैं। हमारी महिलायें इज्जतदार घरों की बेटियां हैं।

थोड़ी अक्ल से काम लीजिये ताकि हम लोगों को शर्मिन्दा न होना पड़े। परिवार नियोजन के और कई तरीके होते हैं

Page No 47

(श्री मानसिंह महार)

उनको अपनाइये। हंसने की बात नहीं है इस चीज पर आपको गौर करना चाहिए। और भी कई लोग हमारे सामने आते हैं और रोते हैं। क्या किया जाय आप लोगों की गलती है नाकाबिल डॉक्टरों को आप रखते हैं। योग्य आदमी बुलाइये, यह काम बहुत डेलीकेट है, ऐसे पार नहीं पड़ता। मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा क्योंकि स्वास्थ्य मन्त्रीजी हैं नहीं, उनको तो रंगरेलिया करने दीजिये। उनका परिवार नियोजन से क्या वास्ता? अभी तो उनकी आबादी बढ़ाने की शुरुआत है। मुख्य मन्त्रीजी इस सीमा से पार चले गये हैं। उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए और परिवार नियोजन के लिये सही इन्तजाम किया जाना चाहिये। इसका इन्तजाम गांवों में किया जाय और वहां एक मन्त्री ऑपरेशन करावें उनके साथ १०० कांग्रेसी और आ जायेंगे। उनके पीछे हजारों कांग्रेसी कराने के लिए तैयार हो जायेंगे...

श्री मथुरादास माथुर : हमारा तो हो चुका है।

श्री मानसिंह महार : कई लोगों की गलत नसें तक काट दी जाती हैं, वे बेचारे स्त्रियों के लायक तक नहीं रहे। इसके बारे में सैकड़ों शिकायतें हैं। इस प्रकार से ऑपरेशन नहीं होने चाहिए। इसके लिए दक्ष डाक्टरों को गांवों में भेजिये। गांव वालों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करना सरासर अन्याय है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने भाषण के अन्तिम चरण में क्रय विक्रय संघ के बारे में निवेदन कर समाप्त करना चाहता हूं। आजकल राजस्थान क्रय विक्रय संघ के अध्यक्ष हमारे डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य हैं। आज इस क्रय विक्रय संघ की तरफ जयपुर जिले के लोगों का ध्यान रसकटिया राम, गुडिया राम की तरफ ज्यादा जाता है। उन दिनों जयपुर जिले के लोगों को न अच्छा गुड़ मिला, रुपया सवा रुपया सेर भी रसकटिया गुड मिला। आज भी कई दूकानदारों के पास इस गुढ की बोरियां रखी हुई हैं, जो तमाखू के अन्दर लपटी के रूप में काम आता है। वह एक ऐसा कांड था जिसका टेस्ट केस लेना चाहते हैं। हम समझते हैं, अगर सही ढंग से इसकी जांच करवाई जाय तो इसमें कई राज खुलेंगे। हमने इस मामले में इस सदन में बहुत जोरदार शब्दों में मांग उठाई थी और चालीस-पचास माननीय सदस्यों ने एक आवेदन-पत्र भी प्रस्तुत किया था कि इस मामले की सही ढंग से जांच की जावे। इसके साथ ही हमने यह मांग की थी कि बिश्नोई कमेटी की रिपोर्ट भी सदन की टेबुल पर रखी जावे। अध्यक्ष महोदय, वह रिपोर्ट आपके पास आई। आज, उस गुड़ कांड की जांच विजिलेन्स कमीशन के जरिये हो रही है उसके बाद भी बिश्नोई रिपोर्ट को गुप्त क्यों रखा जाता है? मैं राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, उनको वह रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने में क्या हिचकिचाहट है? हम उसमें यह देखना चाहते हैं, क्या यह सही है कि चौधरी कुम्भारामजी की अध्यक्षता के अन्दर इस प्रकार का प्रस्ताव पास हुआ था; सरकार द्वारा रेलवे कर्मचारियों को पैसा दिया जाय,

Page No 48

(श्री मानसिंह महार)

वेगन्स की प्रायोरिटी लेने के लिये। रिश्वत के रूप में यह हम देखना चाहते हैं। उस रिपोर्ट का उदाहरण एक सम्माननीय सदस्य ने दिया था। हम उसको सुनकर स्तब्ध रह गये।

आज मैं मुख्य मन्त्री महोदय से फिर निवेदन करना चाहता हूं कि वह रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की घोषणा करें। हम समझते हैं कि कुम्भारामजी बिल्कुल पाक एवं साफ हैं, वे इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकते, फिर आप डरते क्यों हैं रिपोर्ट रखने से ? क्यों डरते हैं ? कुम्भारामजी का उससे कुछ बिगड़नेवाला नहीं। वे इस प्रकार की गलती नहीं कर सकते। आप रिपोर्ट को रख कर, गुप्त रख कर उनको डराना चाहते हैं, यह कुम्भारामजी पर अन्याय है, इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, हमारे दिमाग में प्रिय राजस्व मन्त्रीजी की पूरी कदर है उनकी कदर आप कम मत करिये, इस खातिर रिपोर्ट को जरूर रखिये।

बिश्नोई कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आपने लालाराम को गिरफ्तार किया ? यू० पी० के व्यापारियों को पकड़ कर लाया गया। आपके एन्टीकरप्शन का विभाग इसके लिए मुबारिकवाद का पात्र है। लालाराम को पकड़ लिया लेकिन कालेराम और मुड़राम के लिये क्या कियाकुछ नहीं किया यह क्या तमाशा करते हैं। न्याय का गला मत घोंटिये। हम यह सही ढंग से चाहते हैं। जिस प्रकार पंजाब में दास आयोग बैठा था उसी प्रकार का आयोग बिठाइये। आपको पता चल जायगा कुम्भारामजी निर्दोष हैं तो उनकी दुर्गति इस तरह से मत करिये। मैं यह चाहता हूं कि कुम्भारामजी को इस कलंक से बरी करिये सुखाड़िया साहब, आप कुम्भारामजी के सिर पर यह तलवार मत लटकी रखिये ताकि वे आपकी जी हुजूरी करते रहें। इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं पुरजोर शब्दों में प्रार्थना करूंगा कि बिश्नोई कमेटी की रिपोर्ट को सदन के सम्मुख जल्दी से जल्दी रखा जाय और इसके साथ साथ दास आयोग जैसा आयोग बैठाकर इस मामले की जांच करवाई जाय और इस गुड़ कांड से उनको बरी किया जाय। मैं यह नहीं कहता कि वे दोषी हैं वे ऐसे आदमी नहीं उनको मैं अच्छी तरह से जानता हूं सुखाड़ियाजी, यह जो आपकी शतरंज चाल है यह अच्छी नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मरने से डर गये मालूम होते हैं।

श्री मानसिंह महार : अब अन्त में अध्यक्ष महोदय डेवलपमेंट विभाग का एक उदाहरण देकर अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपने बहुत समय ले लिया।

श्री मानसिंह महार : एक मिसाल मैं डेवलपमेन्ट विभाग की देकर चन्द मिनटों में समाप्त कर देता हूं। आप कहते हैं कि फलां पंचायत समिति में इतना रुपया बांटा

(श्री मानसिंह महार)

गया, फलां में इतना बांटा गया। बांटने का तरीका देखिये, नजारा देखिये। सामुदायिक मन्त्री से मैं प्रार्थना करूंगा झोटवाड़ा पंचायत समिति जो यहां से बहुत नजदीक है वहां पर विकास अधिकारी श्री मुरारीलालजी माथुर हैं, उन्होंने अपनी धर्मपत्नि श्रीमती चन्द्राकुमारी के नाम से आज से दो-तीन वर्ष पहले एक तकावी ली। वहां से दस बारह मील माचुआ ग्राम में सात बीघा जमीन खरीदने के लिये उस जमीन पर तकाबी ली। उस पैसे से मोटर खरीदी, मोटर खरीदने के बाद उस जमीन को बेच दिया और तकावी लेने के लिये जमीन का ट्रान्जेक्शन बताया उसके बाद उस जमीन को बेच दिया गया। उसके बाद झोटवाड़ा गांव में श्री मुरारीलालजी माथुर ने अपनी श्रीमती के नाम सवा बीघा जमीन खरीदी। उस सवा बीघा जमीन के लिए तीन हजार रुपये कीमत दी गई। सवा बीघा जमीन में क्या कुंआ बनता। उस लोन से हथरोई के पास में जो नई बस्ती बनी है गोपाल बाड़ी या गुलाब बाड़ी वहां पर उने पैसों को बंगले में खर्च किया।

आप इस तरह से तकावियां बांटते हैं। एक तरफ तो टी. टी. कृष्णामाचारी ने कहा है, शहरों से लोग गांवों में जाये; लेकिन राजस्थान की उल्टी हालत हो रही है। किसी नाम से तकाबी ली जाती है और वह शहरों में लगाई जाती है। यह तथ्य है जिसको सुखाड़िया साहब देख लीजिये, तकाबी ली, कुआ बना नहीं, जमीन भी बिक गई इस तरह से विकास अधिकारी ने तकाबी का दुरुपयोग किया, इसकी इन्क्वायरी की जाय और कुसूरवार साबित होने पर उसको सजा दीजियें, नहीं तो मेरे गलत कहने पर मुझे सजा दीजिये। मैं तथ्य रख रहा हूं। मैं चाहता हूं कि कोई तथ्य रखे जायं ताकि सरकार ध्यान दे। सरकार को चाहिये कि इन बातों की तरफ ध्यान दें और भ्रष्टाचार को रोकें।

सीधे शब्द कहते हुये मैं, मेरे सदन के खास कर उस ओर बैठने वाले मित्रों से अपील करूंगा कि हमारे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें गांव की तरक्की की तरफ ध्यान दिया गया हो। ऊपरी लीपा-पोती, इन्डस्ट्री, अकाल सहायता, यह सब तो हो गया। पर गांव के बारे में ऐसी बातें कही गई हैं जो वहां क्रान्ति पैदा करे, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। इसलिए कम से कम आप लोग जो गांवों से आने वाले मेरे मित्र हैं, वे तो इस धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में मत बोलना।

ये दो शब्द कहते हुए मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि जिन तथ्यों की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया है वे उनकी जांच करावें, निष्पक्षता से करावें, यह न सोचें कि चूंकि स्वतन्त्र पार्टी के किसी सदस्य ने कही हैं तो उनको दबा दिया जावे, टाल दिया जावे। यह नहीं होना चाहिए।

अगर आप भारत में जनतन्त्र को जिन्दा रखना चाहते हैं और जिस प्रजातन्त्र की आप दुहाई देते हैं जिस प्रजातन्त्र को लाने के लिये हमारे बापू और पं० जवाहरलाल

(श्री मानसिंह महार)

नेहरू ने हमको प्रेरणा दी थी उस प्रजातन्त्र में विरोधी पक्ष की बातों को अधिक सुनना चाहिये। मैं तो यही दो शब्द कहना चाहता हूं।

श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायात) : अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बहुत ही संक्षेप में कहें तो अच्छा है।

श्री मानिकचंद सुराणा : समय आप बता दें तो।

श्री अध्यक्ष : दस मिनट और पन्द्रह मिनट के बीच में।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वैसे बहुत लम्बी बहस हो चुकी है और मैं इस सदन का ध्यान सिर्फ उन मुद्दों की तरफ दिलाना चाहूंगा जिन पर अभी तक अपेक्षाकृत कम कहा गया है।

राज्यपाल महोदय ने जो अपने भाषण में राजस्थान में प्रत्येक विभाग में जो कुछ भी हो रहा है उसका ब्यौरा देने की कोशिश इस सदन में की है और एक सब्ज बाग का चित्र सारे राजस्थान के सामने पेश किया गया है कि राजस्थान में चारों तरफ प्रगति ही प्रगति हो रही है।

इस प्रगति के लिए राजस्थान में अध्यक्ष महोदय, जगह जगह मुख्य मंत्रीजी का दशाब्दी समारोह भी मनाया जा रहा है और इस सारी प्रगति का श्रेय वर्तमान मंत्री मुख्यी जी को दिया जा रहा है कि जो कुछ भी राजस्थान में किया वह उनके काबिल और सुदृढ़ नेतृत्व के कारण किया और उनकी सूझ-बूझ के कारण किया।

मुझे अफसोस सिर्फ इतना है कि हमारे माननीय राज्यपालजी ने भी उनके इस प्रकार के दशाब्दी समारोह की ओर जो शब्द एक हैड ऑफ दी स्टेट को नहीं कहने चाहिये उस तरह के शब्द उनकी प्रशंसा में इस्तेमाल किये। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं उस प्रसंग में वर्तमान में नहीं जाना चाहता।

लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में राज्य की खाद्य स्थिति के बारे में जो कुछ भी कहा कगा और जो यह कहा गया है कि राज्य सरकार ने प्रयत्न किया है कि वह खाद्य की बढ़ती हुई कीमतों को रोके, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल्कुल असत्य है, तथ्य से परे है।

अगर यह सरकार सबसे बुरी तरह फेल्योर हुई है तो इसी फूड फ्रन्ट पर हुई है, खाद्य के फ्रन्ट पर हुई है, जिसके लिये मैं विशेष तौर से खाद्य मन्त्रीजी को जिम्मेदार समझता हूं।

जिस सरकार ने घोषणा की कि वह ६४) रुपये क्विन्टल के भाव निर्धारित करती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ६४) रुपया क्विन्टल राजस्थान के किसी भी शहर

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

में गेहूं उपलब्ध नहीं हो रहा है और यह सरकार टुकुर-टुकुर देख रही है स्पेक्टेटर दर्शक की तरह। कोई एक्शन, कोई सक्रिय कदम आज तक सरकार ने जनता को ६४) रुपया क्विन्टल में गेहूं उपलब्ध कराने के लिये नहीं उठाया है।

१०६ व्यक्तियों को कोटा में गिरफ्तार कर लिया। ३ व्यक्तियों को जयपुर में गिरफ्तार कर लिया। कर लिया होगा और अखबारों में प्रचार करा दिया होगा। लेकिन हकीकत में ६४ रुपया में गेहूं नहीं मिलता। आपने दो बार लाइसेन्सिंग ऑर्डर को तरमीम किया। माननीय कुम्भारामजो के चुनाव के वक्त में आपने इस क्लॉज को हटा दिया कि काश्तकार के पास २० क्विन्टल से ज्यादा नहीं हो सकता और उनके चुनाव के बाद इसको फिर दुबारा लागू कर दिया कि काश्तकार भी बिना परमिशन के २० क्विन्टल से ज्यादा गेहूं का स्टॉक नहीं रख सकता। लेकिन सिर्फ कानूनी धाराओं को जोड़ने और हटाने के अलावा आपकी सरकार ने क्या किया ? कितना अनाज मुहैया किया है। न आपने होर्डरों से लिया, न बड़े काश्तकारों से लिया। सिर्फ धाराओं को रद्दोबदल करने के अलावा आपने कुछ भी नहीं किया।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो सरकार यह समझती हो कि केवल हमारी घोषणाओं से आर्थिक मूल्य बदल जावेंगे वह सरकार एक स्वप्न ले रही है। वह आर्थिक स्थिति को आर्थिक सिद्धान्त को नहीं समझती है। सिर्फ सरकार की घोषणाओं से आर्थिक प्रचलित मूल्यों के निर्धारण में फर्क नहीं पड़ सकता।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो सरकार ६४) रुपये क्विन्टल में गेहूं उपलब्ध करना चाहती थी उसका फर्ज था कि व्यापारी अगर इस भाव से नहीं बेचते हैं और पचासों तरह के बहाने करते हैं कठिनाइयां बताते हैं तो खुद व्यापार करती, काश्तकारों से लेती और अगर वे रिफ्यूज करते तो एन्क्वायरी करती और ठीक दाम पर उपभोक्ताओं को, जिनमें छोटे काश्तकार भी शामिल हैं मुहैया करती। राजस्थान के दो करोड़ निवासियों को मुहैया करती। पर यह असफलता राजस्थान सरकार की इतनी बड़ी है, अध्यक्ष महोदय, कि इस पर कोई टीका-टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है।

मैं खाद्य मंत्रीजी से तो यह कहना चाहूंगा कि आपके फूड ग्रेन्स लाइसेन्सिंग ऑर्डर की अवहेलना इतनी बार की गई है कि एक महीने में दस लाख बार उल्लंघन होता है। कितने ट्रान्जेक्शन्स होते हैं जो वायोलेट करते हैं आपके ऑर्डर को। आप कह सकते हैं कि इतनी पुलिस हमारे पास नहीं है जो इतना इन्तजाम कर सके। और आपकी पुलिस भी क्या करती है ? अध्यक्ष महोदय, कोटा में १०६ को गिरफ्तार किया गया। इसकी कहानी में संक्षेप में निवेदन इसलिये करना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, जिनको गिरफ्तार किया गया उनके बारे में आपके हाई कोर्ट ने कह दिया कि गलत तौर पर, गलत कानून के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है। कलेक्टर, कोटा

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं था। सरकार को जो अधिकार सदन ने ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का दिया है मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि उनका मिसयूज़ किया गया है और उनका मिसयूज़ नहीं होना चाहिये। राजनैतिक तरीकों से प्रयोग नहीं होना चाहिये। हां, जो वास्तव में होर्डर है, उनके साथ डील करने के लिये और भी अधिक पॉवर कानून के तहत आवश्यक हों तो वे लिये जावें, पर गैर कानूनी तरीके से व्यापारियों को भी परेशान करना उचित नहीं है। उनको जो भी लिबर्टी हमारे लॉ ऑफ दी लैंड के तहत है उसको अगर हम वायोलेट करते हैं, यह भी बर्दाश्त करने को हम तैयार नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय, सिर्फ इतना ही नहीं हुआ कि हाई कोर्ट ने उनको छोड़ दिया पर इतना हुआ कि हाई कोर्ट के छोड़ देने के बाद में व्यापारियों के संघ ने एक प्रस्ताव पास कर दिया, निन्दा कर दी राजस्थान सरकार की और निन्दा करने बाद में दो दिन बाद उनके प्रेसीडेन्ट और सेक्रेटरी को आपकी सरकार ने पकड़ लिया क्योंकि निन्दा का प्रस्ताव सरकार के खिलाफ कैसे पास किया इन्होंने ? उनको दुबारा गिरफ्तार कर लिया। चार्ज बनाया उनके खिलाफ और फिर आपके डिस्ट्रिक्ट जज, कोटा ने कह दिया कि इन पर कोई चार्ज नहीं बनता है इसलिये डिस्चार्ज करता हूं।

यह एक नमूना है, जिस तरह कि आपके ये लॉज़ इम्प्लीमेंट किये जाते हैं। जयपुर में तीन को पकड़ा। ६४) रुपया का आपका रेट था, पर एक घनश्यामदास ताम्बी ने ६५) २८ रुपया क्विन्टल के भाव से बेचा और उस आदमी को इस भाव से बेचने के लिये राज्य सरकार ने कह दिया कि इसने ६४) पर बेचा और १·२८ पैसा सेल्स टैक्स के लिये। यह सेल्स टैक्स चार्ज किया जा सकता है। मैं पूछना चाहता हूं, खाद्य मंत्री जी से कि आपको यह मालूम नहीं है कि इस पर सेल्स टैक्स फर्स्ट पोइन्ट पर है, लास्ट पोइन्ट पर नहीं है। पर सरकार के लिये कानून कोई महत्व नहीं रखता। उसके लिये तो महत्व रखती है महरबानी और जब घनश्यामदास ताम्बी से सरकार का मेलजोल है तो कानून इसका क्या बिगाड़ सकता है?कलेक्टर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, डी. एस. पी. उसको हिरासत में नहीं ले सकता; फिर चाहे दूसरे व्यापारी को उसी जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जावे।

(१ म० प०)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के उदाहरण तो और भी बहुत से हैं लेकिन राज्य सरकार अभी इस फूड फ्रन्ट पर सोई हुई है। खाद्यमंत्रीजी कहेंगे कि पिछली साल अनाज का उत्पादन बहुत बढ़ गया और खाद्यमंत्रीजी के जो डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर हैं, उन्होंने भी एक पुस्तिका में लेख छापा कि १९६४–६५ में ५८ लाख टन अनाज का उत्पादन राजस्थान में हुआ। उसके पहले वर्ष में ३६ लाख टन हुआ क्योंकि अकाल था। में पूछ सकता हूं कि २२ लाख टन का उत्पादन अधिक हुआ उस साल में राजस्थान में कीमतें बढ़ीं और अब यह कहा कि

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

हमने राजस्थान से अनाज बाहर ले जाने पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। कोर्स अनाज पर रोक है कि २५ परसेन्ट से ज्यादा बाहर नहीं जा सकता और अगर कोई व्यापारी बाहर भेजता है तो उसको ५० परसेन्ट कुल अनाज का यहीं बेच कर जाना होगा । जो कीमत बढ़ी है उसको इस खाद्य नीति ने और भी भयंकर रूप दे दिया है ।

इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, कोई खाद्यान्न का प्रश्न नहीं है । खाद्यान्नों के लिए सरकार कहती है कि हमने सरकारी आन्दोलन को बहुत प्रोत्साहन दिया है और सहकारी आन्दोलन बढ़ रहा है। राज्यपाल महोदय ने कहा है कि सहकारी भण्डार दिन प्रति दिन लोकप्रिय बनते जा रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, इस लोकप्रिय बनने वाले सहकारी भण्डारों के प्रति सरकार का रवैया क्या है, यह भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। राज्य सरकार ने जयपुर केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भण्डार के विरुद्ध दो बार नोटिस जारी किये और दो बार नोटिस जारी करके उसको यह कहा गया कि तुम्हारे बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स को डिज़ोल्व क्यों नहीं कर दिया जाये ? यदि किसी कानून की अवहेलना सहकारी समिति करती है तो मुझे खुशी है कि हमारी सरकार इतनी जागरूक रहे । जागरूकता कितनी है, उसका मैं एक सेन्टेन्स पढ़ कर सुनाता हूं। जो चार्ज शीट भेजी गई है उसमें सबसे पहला चार्ज यह है कि जयपुर केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भण्डार अनावश्यक व्यय में धन लगाता है; जैसे खर्चीली पार्टियां और अनावश्यक इश्तिहार । हमारी सरकार की नजर कहां तक जाती है ? मामूली बीस–तीस रुपये का पर्चा छप गया तो चार्जशीट । कोई भंडारकार खरीदने का विचार रखता है तो उसको चार्जशीट दे दी जाती है । लेकिन इसके मुकाबिले में राजस्थान राज्य क्रय विक्रय संघ जिसके अध्यक्ष चौधरी कुम्भाराम जी थे उसका क्या हाल है ? सन् १९६१–६२ की ऑडिट रिपोर्ट यह कहती है कि जब कि नियम यह है कि चेयरमैन किसी तरह का आनरेरियम नहीं लेगा और चेयरमैन पर कोई व्यय नही होगा । उस समय ऑडिट रिपोर्ट यह कहती है कि ६२०० रुपये इनकी कार अलाउन्स के लिये खर्च किया, एक पर्सनल असिस्टेन्ट दिया, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दिया । इस तरह से दस हजार रुपया चौधरी कुम्भाराम पर खर्च हुआ, इसका मुझे गिला नहीं है लेकिन इनकी अध्यक्षता में उस क्रय विक्रय संघ की रिपोर्ट में यह आया कि १० लाख के जो असेट्स दिखाये गये हैं वे बिल्कुल डाउटफुल हैं । यह उसकी ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है । ४।। लाख का जो लेना दिखाया है उसमें १.६९ लाख का लेना डाउटफुल है, वसूल होने योग्य नहीं है । अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं यहां तक लिखा गया है कि बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में से ही लोगों ने फर्जी फर्म के नाम से सामान खरीद लिया और १८ हजार रुपया रख लिया और नेमीचन्द जैन के लिये बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स की रिपोर्ट में लिखा गया है–१९६१–६२ और १९६२–६३ की जो रिपोर्ट है मैं उसका हवाला दे रहा हूं। इस सबके बावजूद इस तरह के सहकारी

(श्री मानकचन्द सुराणा)

भण्डारों पर हमारे सहकारी मंत्रीजी और हमारी राज्य सरकार का क्या रवैया है कि जो कार खरीदने की कोशिश में हैं उनको चार्जशीट दी जा सकती है, इन्क्वायरी हो सकती है लेकिन एक क्रय विक्रय संघ जिसके १० लाख के असेट्स डाउटफुल हों और १।। लाख रुपये जो लोगों को ऋण के दिये हैं उनकी वसूली नहीं हो सकती उसके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता क्योंकि राजनीति में उनका महत्वपूर्ण हाथ है। वे कितने ही घोटाले करें, कुछ नहीं हो सकता। जो विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट है जो कि सदन में नही आई और जिसकी इन्क्वायरी चल रही है हम यह कहना चाहते हैं कि वह इन्वेस्टीगेशन बहुत धीरे तरीके से चल रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

और उसमें बहुत शीघ्रता की जानी चाहिये और जितनी शीघ्रता से इसमें इन्क्वायरी की जायेगी उतनी सफलता मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा जो बिश्नोई कमेटी की रिपोर्ट अध्यक्ष महोदय को दी गई जिसको इस विधान सभा के माननीय सदस्यों ने पढ़ा और जिसके एक्सट्रेक्ट्स लोकसभा में कोट हुये, मैं नहीं समझता कि मुख्य मंत्री जी आप उस रिपोर्ट को क्यों नहीं छपाते हो, बिश्नोई कमेटी की रिपोर्ट को अब पब्लिक डॉक्युमेंट क्यों नहीं बनाना चाहते हो, मेरी समझ में नहीं आता क्योंकि मुख्य मंत्रीजी यह महसूस करते होंगे कि यदि वह रिपोर्ट प्रकाशित हो गई तो कुम्भारामजी को अपने मंत्रि मंडल में रखना कहीं मुश्किल न हो जाये। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि कोई रिपोर्ट आज दिन तक नहीं छिप सकती और जो रिपोर्ट आपने स्पीकर महोदय को दी उसके लिये मेम्बर का राइट तो है कि उसको पढ़ ले, नोट्स ले लें लेकिन राजस्थान के अन्दर उस रिपोर्ट को छिपाना अगर मुनासिब मानते हैं तो मैं मांग करता हूं कि इसको सदन की मेज पर रखा जाये। अध्यक्ष महोदय, इस तरह बीसियों रिपोर्ट्स हैं जिनको सरकार छिपाती है। अभी मेनन कमेटी के द्वारा जो डाइरेक्टर ऑफ प्रिन्टिंग प्रेस के मामले में जांच कराई गई थी, आज तक उस मेनन कमेटी की रिपोर्ट को सदन में नहीं लाया गया है, उसका भी प्रकाशन नहीं किया गया है। मैं मांग करता हूं कि उसको भी सदन में रखा जाये।

इसके साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से राज्य सरकार हिन्दी के मामले को नहीं सुलझा पाई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा संक्षेप में क्योंकि आपने १५ मिनट का समय दिया और मैं समझता हूं कि राज्य के जो बहुत से मसले हैं उनसे हिन्दी का मसला इस राज्य के लिये अभी भी बहुत गम्भीर है। हालांकि हमारा हिन्दी प्रान्त है, लेकिन राजस्थान राज्य सरकार कौन सा कदम उठायेगी जिससे हिन्दी अपने स्थान को प्राप्त कर सके, इसका कोई हवाला हमारे राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में नहीं दिया। मैं मुख्य मंत्री जी, जो हिन्दी के प्रेमी हैं उनसे कहना चाहूंगा कि सारे हिन्दी स्पीकिंग स्टेट्स से दक्षिण वालों का कहना है और उन्होंने आंकड़े पेश किये हैं कि सिर्फ ३।। करोड़ लोग ऐसे हैं

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

कि हिन्दी पढ़ सकते हैं और उनके मुकाबिले ये हिन्दी भाषी प्रान्तों की जो फुल पोपुलेशन है वह १५ करोड़ है। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह दायित्व राजस्थान पर भी है, जिसमें ३० लाख लोग हिन्दी पढ़ना और लिखना जानते हैं कि हिन्दी का प्रसार किया जाये। यहां लिट्रेसी बढ़ाई जाये जिससे दो करोड़ जनता में जिसकी ६ साल से ज्यादा उम्र है, चाहे फिर कोई ८० साल का हो या १०० साल का हो, सब में हिन्दी का प्रसार हो।

२६ जनवरी से हिन्दी को पूर्ण रूप से लाने की बात विधान सभा में कही गई और पहले बिल आने वाला था वह भी सरकार ने वापिस ले लिया, इसके बाद भी राज्य सरकार के कार्यों में कोई फर्क नहीं पड़ा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे मुख्य मंत्री जी हिन्दी में लिखना शुरू कर दें, मुझे यह भी मालूम है कि और भी दो-चार मंत्रियों ने हिन्दी में लिखना शुरू कर दिया है, लेकिन आपके जो दूसरे अधिकारी हैं वे जब तक सारा काम हिन्दी में नहीं करते हैं हिन्दी स्थापित नहीं हो सकती हमारे यहां। आपकी यूनिवर्सिटीज़ का यह काम है। आपकी राजस्थान यूनिवर्सिटी, जोधपुर यूनिवर्सिटी और उदयपुर यूनिवर्सिटी का काम है और इनके हिन्दी विभागों का काम है कि जितने भी तकनीकी विषय हैं उन सारे विषयों में जो पुस्तकें अवेलेबल नहीं हैं उनका ट्रान्सलेशन करवाया जाये। हमारी यूनिवर्सिटियों में जो संस्थायें चल रही हैं एम. बी. बी. एस. और इन्जीनियरिंग की इन सारी संस्थाओं के लिये दो साल की अवधि, मैं समझता हूं काफी है। राज्य सरकार इसमें ऐसी पुस्तकें तैयार करवा दें जिससे कि उच्च शिक्षा भी हिन्दी में दी जा सके। हाई कोर्ट के जजमेंट्स के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वे हिन्दी में होने चाहिये और हिन्दी में इसकी शुरुआत करनी चाहिये। इनके जो फैसले हों वे हिन्दी में हों लेकिन अभी तक राज्य सरकार यह सोचती है, उसने हिन्दी को अपनी भाषा घोषित करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर दी है। मैं समझता हूं कि इसके लिये बहुत सक्रिय और सक्षम कदम राज्य सरकार को उठाना आवश्यक है और ये उठाये जाने चाहिए। इसलिए अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में हिन्दी का प्रसार, युनिवर्सिटियों में हिन्दी का प्रसार राज्य के जितने कार्यालय हैं हिन्दी का प्रसार करना बाकी है वह राज्य उनमें सरकार को करना चाहिये और इस बारे में बहुत चिन्तन राज्य सरकार को। करना है।

आखिर में अध्यक्ष महोदय........

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : जल्दी ही समाप्त कर दें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं सिर्फ मुख्य मंत्री जी के पास जो पुलिस विभाग है, अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा बहस में नहीं जा सकता हूं और न ज्यादा तथ्यों में जा सकता हूं समयाभाव के कारण। मैं कहना चाहता हूं कि चूरू और रतनगढ़ में जो कुछ हुआ है वह एक तरफ यदि आप दशाब्दी समारोह

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

मनाते हैं और दूसरी तरफ आपकी पुलिस एक पब्लिक मीटिंग को घेर कर ५०० आदमियों पर लाठी-चार्ज करके उनको जख्मी बनाती है, तो मैं कहना चाहता हूं कि आपके दशाब्दि समारोह के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात और कोई हो सकती है तो रतनगढ़ और चूरू की घटनायें हैं जो आपके खुद के द्वारा गृह मंत्रालय चलाया जा रहा है। आपके पास होने के बावजूद आप जनता की भावनाओं के अनुकूल कोई कदम नहीं उठा पाये। वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर वहां पर मौजूद हैं उसको सजा नहीं दी जा रही है और वह एस. पी. सुरेन्द्र शर्मा जिसने एक बनवावरी की हत्या की है और डिप्टी मिनिस्टर साहब कहते हैं कि सेल्फ डिफेन्स में मार दिया.......

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : मैंने नहीं कहा है, मजिस्ट्रेट ने जिन्होंने इन्क्वायरी की है। उन्होंने कहा है।

श्री मानिकचंद सुराणा : सेल्फ डिफेन्स में पुलिस ने मारा है वह मजिस्ट्रेट महोदय कहते हैं, राज्य सरकार नहीं कहती है, लेकिन राज्य सरकार दूसरे तरीके से सोचती है वह आज तक क्या कदम उठा पाई है उन बनवावरियों की रक्षा के लिये। अब भी उन बनवावरियों पर मुकदमे चल रहे हैं। वे आज भी जेल में हैं अनडिफेन्डेड। एक तरफ तो आप सोशियल वैलफेयर के लिये हजारों रुपयों का बजट इस सदन के द्वारा मन्जूर करवाते हैं शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कि हम उनको कानूनी सहायता भी देंगे जहां कि उसकी जरूरत होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन बनबावरियों पर एक दम पुलिस द्वारा लाठी चार्ज करके और गोली चलाने से जो एक की मृत्यु हुई है वे कुम्भाराम जी को प्रिय होंगे क्योंकि उनका नारा है कि जाट, गूजर, मीणा सब बराबर हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उनके साथ शिड्यूल्ड कास्ट्स भी हैं जिनके कारण आप आज पद पर हैं। अगर आप आज उनको भूलते हैं तो वे भी आपको भूल जायेंगे और अगर वे आपको भूल जायेंगे तो आपकी कुर्सी भी आपके नीचे से निकल जायेगी। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार यह मानवीय अधिकार और मानवीय स्वतंत्रता के प्रतिकूल है कि पुलिस को अधिकार इतने दे दिये जायें कि आज पुलिस डिप्टी सुप्रिन्टेन्डेन्ट हिटलर्स की तरह से जिले के अन्दर काम कर रहे हैं और जन प्रतिनिधियों की कोई इज्जत नहीं है, चाहे मुरलीधर जी को वहां का एस. पी. और डिप्टी एस. पी. डंडा लगाये, चाहे मोहनलाल सारस्वत के साथ धक्कम-धक्का हो जाय लेकिन सरकार को शर्म नहीं आ सकती है। वहां के ऐसे अधिकारी वहीं रह गये। जिन्होंने कि चूरू में लाठी चार्ज किया उनको रतनगढ़ में मौका दिया और चूरू के एक मूंज गांव में एक आदमी को मारने की इजाजत दी। मैं यह कहना चाहूंगा कि पुलिस विभाग इस तरह से कार्य करे तो यह जनता में तीव्र असंतोष पैदा कर रहा है और यदि आप सक्षम नहीं हैं कि आप इस तरह के अधिकारी को दण्डित कर सकें और आपकी सरकार के पास में कोई कानून नहीं है कि किन्हीं नियमों के प्राव-

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

धान के तहत उनको सजा दे सकें तो आप ऐसे नियम बनाइये, लेकिन यह कहना कि हम कुछ नहीं कर सकते जैसा कि कल माथुर साहब कह रहे थे कि स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के डाइरेक्टर को सदन में बुला देंगे अगर मान जाय तो उसकी मरजी और न माने तो उसकी मरजी। अगर सरकार के इस तरह के सीमित अधिकार हैं तो अधिकार बढ़ाने के लिये सदन तैयार है. लेकिन इस तरह की अक्षमता को हम बरदाश्त करने को तैयार नहीं है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं चूरू और रतनगढ़ की घटनाओं के बारे में बड़े ही कड़े कदम की मांग करता हूँ और मैं किसी मजिस्ट्रेट की एन्क्वायरी से सन्तुष्ट नहीं हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हाई कोर्ट के जजेज् या हमारे रेवेन्यू बोर्ड के चैयरमैन या मेम्बर से एन्क्वायरी करायें, लेकिन रतनगढ़ और चूरू की घटनाएं जिसमें बनबावरियों पर गोली चला ये इस बात के लिए उचित है कि इसमें हाई कोट के जज के द्वारा एन्क्वायरी करवाई जाय, चाहे आप दौलतमल जी भंडारी से करायें या इन्द्रनाथजी मोदी से करायें या और किसी जज से कराये जिसके ऊपर आपका भरोसा हो, जिसके न्याय के ऊपर आपका भरोसा हो, लेकिन जुडीशियल एन्क्वायरी हाई कोर्ट के जज के द्वारा सारे मेटर की करायें, यह मैं मांग करता हूं, अध्यक्ष महोदय, और इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि मुझे समय सीमित दिया है, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : अध्यक्ष महोदय,........

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा।

श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनूं) : माननीय अध्यक्ष, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका अनुमोदन करने के लिए खड़ी हुई हूं। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में उन कार्यो का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया है जो राज्य सरकार कर रही है और उन कार्यों की भी चर्चा की है जो राज्य सरकार करने वाली है। अपने अभिभाषण में राज्यपाल महोदय ने उन कार्यों के बारे में विधान सभा के सदस्यों की सम्मति और सहयोग की अपेक्षा की है इसलिए मैं माननीय राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देते हुए भी कुछ मुद्दों पर अपनी असहमति प्रकट करना अपना पुनीत कर्त्तव्य समझती हूं।

यों तो विश्व के किसी भ। ग का प्रशासन ऐसा न था और न ही है जिसमें कमियां और खामियां न हों, इसलिए इस बात को मद्देनजर रख कर यदि राजस्थान के पिछले १० वर्षों के इतिहास को देखा जाय तो निष्पक्ष तौर से यह राय जाहिर की जा सकती है कि पिछले १० वर्षों में राजस्थान ने हर क्षेत्र में प्रगति की है और इसी बात को मद्देनजर रखकर हमें यह कहना पड़ेगा कि राजस्थान हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है और हमारे वर्तमान मुख्यमन्त्री जी के लिए भी यह बात कही जा सकती है कि उन्होंने पिछले १० वर्षों में राजस्थान को एक दृढ़, स्थिर और बेहतर प्रशासन-व्यवस्था प्रदान की है।

(श्रीमती सुमित्रा)

माननीय अध्यक्ष जी, पिछला वर्ष राजस्थान में अकाल का वर्ष था, बहुत व्यापक रूप से राजस्थान में अकाल पड़ा था। यों तो इससे पहले भी राजस्थान में कई मर्तबा अकाल पड़े हैं, परन्तु इस बार जिस व्यापक रूप से अकाल पड़ने पर इस समस्या को गम्भीरता के साथ लिया गया है तथा जिस तरीके से राहत—कार्य करवाये गये वैसा पिछले सालों में कभी नहीं हुआ था। लोगों को काम तो दिया ही गया, रोजगार देने के साथ ही साथ राज्य सरकार को ५,१४,४८,०००) रुपये भी व्यय करने पड़े, लेकिन इसके उपरान्त भी जिस प्रकार से ये राहत-कार्य करवाये गये और जिस प्रकार लोगों को अकाल सहायता दी गई वह काबिले तारीफ है।

माननीय अध्यक्षजी, राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में इस बात को बड़े गर्व और हर्ष के साथ दोहराया है कि योजना के प्रथम चार वर्ष में हमने वे लक्ष्य करीब करीब पूर्ण कर लिये हैं। जो वार्षिक योजनाओं में निर्धारित किये गये थे, कृषि उत्पादन कार्यक्रम की ओर राज्य सरकार पूरा ध्यान दे रही है। परन्तु इस अच्छी पैदावार और अन्न उत्पादन का लक्ष्य पूरा करने के बावजूद भी क्या राजस्थान की राज्य सरकार अन्न के भावों पर कंट्रोल कर पाई है ? मैं समझती हूं, किसानों को अन्न उत्पादन के भावों की न्यूनतम सीमा बांध कर किसी हद तक राहत प्रदान की है किन्तु क्या उपभोक्ताओं को राज्य सरकार उचित मूल्य पर अन्न मुहैया कर पाई है ? मैं समझती हूं इसमें राज्य सरकार की सम्पूर्ण रूप से असफलता रही है। इसके साथ ही अन्न के लक्ष्य को पूरा कर लेना राज्य सरकार के लिए कोई गौरव की बात नहीं है क्योंकि आज भी राजस्थान के अधिकांश भाग में रहने वाले किसान भगवान के भरोसे हैं। आज भी उनको प्रकृति के सहारे की आवश्यकता है कितने ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर राजस्थान सरकार सिंचाई के साधन मुहैया कर पाई है और कितने गांवों में सरकार बिजली दे पाई है ? फिर क्या उद्योग के लिए दी जाने वाली बिजली की दर और कृषि के लिए दी जाने वाली बिजली की दर समान है ? मैं बिजली के बारे में यह निवेदन करना चाहती हूं कि राज्यपाल महोदय के मुंह से राज्य सरकार ने कहलवाया है कि गांधी सागर बांध में पानी की कमी के कारण बिजली की कमी हुई। मैं समझती हूं, यह बिल्कुल गलत बात है। दरअसल में बांध में पानी की कमी का कारण वर्षा की कमी नहीं है, बल्कि गलती से फाटक खुले रह जाने से पानी की यह कमी हुई हैं। इसलिये मैं राज्य सरकार से चाहती हूं कि वह जांच करावें कि इस वर्ष में इतनी वर्षा होने के बावजूद भी पानी की कमी क्यों रही ? जैसा कि लोग कहते हैं गांधी-सागर में पानी की कमी के कारण वर्षा की कमी नहीं है, बल्कि फाटक खुले रह जाने के कारण पानी बाहर निकल गया। इसलिए पानी की कमी रही।

इसके साथ साथ मुझे यह बात अर्ज करनी है कि गांवों में किसानों को कृषि के लिये जो बिजली दी जाती है वह १२ पैसा प्रति युनिट

(श्रीमती सुमित्रा)

दी जाती है जबकि उद्योगों के लिये बड़े बड़े सेठों को खास तौर से एन. बी. सी. आदि को दो या तीन पैसे प्रति युनिट की दर से दी जाती है; फिर किसानों को अन्न उत्पादन के लिये १२ पैसे की दर से बिजली दी जाना क्या न्याय संगत है ?

पशु-पालन के क्षेत्र में राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वे प्रशंसनीय हैं; खास-तौर से ऊन उद्योग और मत्स्य उद्योग के विकास के बारे में राज्यपाल महोदय ने कहा है कि सरकार पूर्ण रूप से जागरूक है, यह भी खुशी की बात है।

उद्योग धन्धों का भी पिछले साल में जो विकास हुआ है वह सचमुच हमें गौरव प्रदान करता है क्योंकि उससे हमारे लोगों को रोजगार मिला हैं, हमारे लोगों की आर्थिक उन्नति हुई है, पर-केपिटा इन्कम बढ़ी है, इसके लिये भी सरकार प्रशंसा की पात्र है।

राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा है कि पिछले दो वर्षों से राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतिकरण के कार्यक्रम को बढ़ावा मिला है और कृषि कार्य के उपयोग की दृष्टि से खास रियायत दी जायगी, ऐसी आशा की जाती है। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक बिजली वाले कूओं की संख्या ३००० तक पहुंच जायगी। राज्यपाल ने अपने भाषण में तीन हजार कुओं का जिक्र किया है इसलिये ये आंकड़े गलत नहीं होने चाहिये, लेकिन मेरी समझ के बाहर है; ये तीन हजार कूए कहां कहां हैं ? मैं मेरे जिले की बात जानती हूं, वहां पर सिर्फ दो कूओं को बिजली मिल पाई है। भाखरा की बिजली चूरू से झुन्झुनू तक आती है। इस लाइन पर न जाने कितने ही गांव पड़े हैं जहां के लोगों ने बिजली की मांगकी है। उनके आवेदन-पत्र पड़े हैं, बार बार रिप्रेजेन्टेशन्स किये हैं, पर अभी तक एक भी गांव में एक भी कुए को बिजली नहीं दी है; इसलिये समझ में नहीं आता कि तीन हजार की संख्या कहां पर पूरी की है ? इसके बारे में मेरा नम्र निवेदन है कि किसी भी गांव को एक्सक्लूड नहीं किया जाय, जो किसान आवेदन करते हैं तथा जो प्लान रेम्युनरेटिव होती है उसे राज्य सरकार को कार्यान्वित करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय बाढ़ की रोकथाम के लिए जो कामां पहाडी की नाली बनाई है और घग्धर के पानी का सदुपयोग किया है वह खुशी की बात है; जहां बाढ़ की तबाही से प्रांत का बचाव हो सकेगा उसके साथ साथ पानी का सदुपयोग हो सकेगा; लेकिन बाढ़ से बचने के लिये ही सही या और काम के लिए ही सही झुंझुनूं जिला हमेशा उपेक्षित रहा है पानी के बारे में। हम आशा करते थे कि घग्धर की बाढ़ का पानी सिंचाई के लिये न सही, लेकिन पानी के लिये तो हमें उपलब्ध करा सकेंगे; लेकिन इस पानी का उपयोग करेंगे।

(१. २५ म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभानेत्री, पदासीन)

वही भाग्यशाली लोग जो सदा से काम करते आये हैं।

Page No 60

(श्रीमती सुमित्रा)

राज्यपाल महोदय ने जलदाय के बारे में संतोष प्रकट किया है । लेकिन मेरी समझ में संतोष प्रकट नहीं किया जा सकता क्योंकि अब भी ऐसे गांव हैं जहां पीने के लिये स्वच्छ, मीठा पानी नहीं मिल रहा है और पानी के लिये अब भी मीलों दूर जाना पड़ता है। इस साल जो अकाल पड़ा, झुन्झुनू के उत्तरी हिस्से में पानी के लिए २०,००० रु० खर्च हुए; कांग्रेस सरकार को आये १० साल हो गये, इस अर्से में भी यदि हम लोग प्राइमरी आवश्यकतां जो पीने के मीठे पानी और स्वच्छ जल की है उसको पूरा नहीं कर पाये तो मैं समझती हूं यह हमारे लिये संतोषजनक काम नहीं कहा जा सकता । इसलिये मैं उन मंत्रीजी से जिनका इस विभाग से संबंध है अपील करती हूं कि वे क्षेत्रीय भावना को त्यागें क्योंकि सम्पूर्ण एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवैल्स बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और जेसलमेर में किये जाते हैं, झुन्झुनू भी डेजर्ट एरिया में है, इसलिये मंत्रीजी सम्पूर्ण क्षेत्रीय भावना को त्याग कर, मानवीय दृष्टिकोण रख कर एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल्स का प्रयोग झुंझुनू में भी करें क्योंकि अब तक जिन चार जिलों में यह काम हुआ है उनके साथ ही और भी डेजर्ट एरिया राजस्थान में है उस जगह भी ध्यान केन्द्रित करें ।

सड़कों के बारे में निवेदन करना था कि कहां पैसा खर्च होता है, कहां सड़कें बनती हैं और कहां सुधरती हैं; कुछ पता ही नहीं चलता क्योंकि मैं जिस एरिया से आती हूं वही एरिया मैंने देखा है, राजस्थान का और एरिया मैंने नहीं देखा है; मेरे एरिया में न तो नयी सड़कें बन पाई हैं और न पुरानी की मरम्मत ही हुई है; बल्कि उन पर खड्डे पड़े हुए हैं । इतना अवश्य है कि हमारा जिला प्रधानमंत्रीजी अवश्य आभारी हैं जिनके आगमन के बहाने से जयपुर से झुंझुनू तक की सड़क का जीर्णोद्धार हो गया । उनके नाते ही सही, मैं राज्य सरकार को इसके लिये धन्यवाद देने में कंजूसी नहीं करूंगी ।

खनिज क्षेत्र में भी विकास हो रहा है इसके लिये हमें खुशी है । शिक्षा के क्षेत्र में भी राजस्थान प्रगति कर रहा है, यह संतोष की बात है। शिक्षा पर व्यय भी १५ करोड़ से आगे बढ़ गया है मगर शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। पंचायत समितियों ने प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की जो दुर्दशा कर रखी है वह किसी से छिपी नहीं है। प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों का जिस तरह से हैरेसमेंट होता है, ट्रान्सफर्स होते हैं उससे शिक्षक समुदाय का भविष्य बड़ा अनिश्चित है । यह भी सही बात है कि शिक्षकों का अनिश्चित जीवन और उनको जो परेशानी है उनका हमारे भोले व अबोध शिशुओं पर असर पड़े बिना नहीं रह सकता इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि राज्य सरकार इस तरफ ध्यान दे ही ।

इसके साथ ही साथ मैं राज्य सरकार का ध्यान इस तरफ भी आकर्षित करना चाहती हूं कि हमारी राज्य सरकार को गांव और शहरों के साथ जो असमानता

(श्रीमती सुमित्रा)

की नीति रहती है उसको भी राज्य सरकार दूर करे। अभी हमारे यहां जितने भी स्कूल खुलते हैं, जितने भी कॉलेजेज़ खुलते हैं इसमें हम देखते हैं कि गांव वालों से पीपुल्स कॉन्ट्रीब्यूशन की बात की जाती है, शर्तें रखी जाती हैं, रुपया पैसा जमा कराने के बाद स्कूल खोले जाते हैं जब कि शहरों के साथ ये कन्डीशन्स और ये शर्तें नहीं लगाई जाती हैं। इसलिए राज्य सरकार से मेरा नम्र निवेदन है कि इस बात को वह गम्भीरता से ले और शहर और गांवों के साथ बरती जाने वाली जो असमानता की नीति है इसको दूर किया जाय।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी राजस्थान में नये नये कॉलेजेज़ और महाविद्यालय खोल कर सरकार प्रगति कर रही है।

चिकित्सा का जहां तक सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चिकित्सा की सुविधा बढ़ी है; परन्तु मुझे यह कहते हुए संकोच होता है कि इस विभाग में जिस प्रकार की पोल और माल-एडमिनिस्ट्रेशन है—उस तरह की दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं है। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है—"झुंझुनू और सरदार शहर में दो नये अस्पताल खोले जा रहे हैं।" सरदारशहर का तो पता नहीं, झुंझुनू में एक नया अस्पताल ६ सितम्बर, १९६४ को खोल दिया गया था, उसके बाद काम भी शुरू कर दिया गया है, परन्तु इस बात का मुझे बड़ा अफसोस है कि वहां पर डॉक्टरों की नियुक्ति बहुत अर्से तक हुई नहीं। अब जब नियुक्ति हो गई है तो इतने बड़े अस्पताल में, इतने वेल-इक्विप्ड होस्पीटल में न तो कोई सर्जन है और न डॉक्टर हैं। डॉक्टरों की आपस में बनती नहीं है और उनमें झगड़े होते हैं। मैंने पचास दफा इस बात को मेडीकल विभाग के मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर और यहां तक कि मुख्य मंत्रीजी को भी निवेदन किया है कि वहां के हॉस्पीटल में बड़ी अव्यवस्था है, वहां पर कोई डॉक्टर अच्छा नहीं है। जो इन्चार्ज डॉक्टर हैं इस वक्त, उनमें जनता का विश्वास नहीं है। इसलिए वहां के हॉस्पीटल के बारे में कोई न कोई निर्णय लिया जाय ताकि लोगों की परेशानी और न बढ़े। इस बात को दुबारा दोहराने का मतलब यही है कि शायद इस कमी को राज्य सरकार समझे और इसे दूर कर दे।

सभापति महोदया, शांति और व्यवस्था के बारे में राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि इसकी स्थिति संतोषजनक है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि पिछले दिनों डी. आई. जी., सी. आई. डी., संतराम शर्मा ने एक वक्तव्य, स्टेटमेंट, दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि (राजस्थान में) अपराधों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है-चोरी, हत्या, डकैती और ४२० के जो मुकदमे हैं वे साल-दर-साल बढ़ ही रहे हैं। तो क्या उनके स्टेटमेंट को गलत समझा जाय ?

एक दूसरी बात मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूँ कि पिछले पंचायतों के इलेक्शन्स के अन्दर झुंझुनू जिले के अन्दर

(श्रीमती सुमित्रा)

पंचायतों के चुनाव के दौरान में एक मर्डर कर दिया गया था। उसकी जब यहां पर रिपोर्ट हुई और राज्य सरकार के पास सूचना आई तो राज्य सरकार ने अखबारों में स्टेटमेंट दिया था, जिसमें यह कहा था कि यह पोलिटिकल मर्डर नहीं है, यह चुनाव के सिलसिले में मर्डर नहीं किया गया है, बल्कि इसके अन्दर कोई व्यक्तिगत बात थी। लेकिन इस बारे मे मैं निवेदन कर देना चाहती हूं कि वह पोलिटिकल मर्डर था क्योंकि मर्डर के बाद चार दिनों तक एफ. आई. आर. दर्ज नहीं की गई। वह क्यों नहीं की गई ? वह इसलिए नहीं की गई क्योंकि वह एक बड़े असरदार व्यक्ति से सम्बन्धित थी और वह थानेदार, जिन्होंने एफ. आई. आर. दर्ज की, उनके घर पर पड़े मिन्नतें कर रहे थे कि इस एफ. आई. आर. को चेंज कर दें, आप जिस आदमी का नाम लिखवाना चाहते हैं उसका नाम मत लिखवाइये, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता।

(विराम)

इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि नवलगढ़ के पास एक ढाणी में जो एक माली का मर्डर किया गया था उस केस के बारे में आज तक राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया है और थाने से रिपोर्ट मंगा कर देखी जाय कि वह एफ. आई. आर. रोजनामचे में कितने दिनों के बाद दर्ज की गई है, इस केस में कितने मुलजिम पकड़े गये हैं, उस केस में क्या कार्यवाही की जा रही है ? मैं चाहती हूं, राज्य सरकार इस बारे में ध्यान देकर इस केस की तफतीश करे।

सभापति महोदया, अन्त में मैं यह कहते हुए अपना स्थान ग्रहण करूंगी कि राज्य सरकार समाजवादी समाज व्यवस्था के जिस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना चाहती है उसमें जो भी व्यक्ति या वर्ग बाधक बनते हैं उनसे डर कर उनके सामने झुके नहीं और दृढ़ता के साथ अपने कर्त्तव्यों का पालन करते हुए जनता को भी इस बात का अनुभव और अहसास कराये कि वह एक लोक कल्याणकारी सरकार है।

श्रीमती सभानेत्री : श्री हांडा ! मैं आपसे निवेदन करूंगी कि कम से कम बोलने की चेष्टा करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : कम से कम समय लूंगा। कम से कम बोलने की चेष्टा नहीं करूंगा, बोलने की अधिक से अधिक चेष्टा करूंगा। समय कम से कम लूंगा।

सभापति महोदया, राज्यपाल का यह अभिभाषण तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष का अभिभाषण है और इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारम्भ हो जायगा....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : शुभारम्भ हो जायगा !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : राज्यपाल के अभिभाषण पर कल धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए राज्य के कृषि मंत्री ने इस अभि-

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

भाषण में समाजवाद की दिशा की ओर चलने का विश्वास व्यक्त किया और कहा कि यह योजना का अन्तिम चरण हमें समाजवाद के पवित्र मंदिर में ले जाकर खड़ा कर देगा और कांग्रेस का सिद्धान्त हमें समाजवाद की ओर ले जा रहा है। भुवनेश्वर के शंखनाद की घोषणा करते हुए उन्होंने गरीबी दूर करने, बेरोजगारी दूर करने, ऐसे कारखानों का विकास करने जिससे कि आगे मशीनरी और कृषि का उत्पादन बढ़ सके-इसकी घोषणा करने, वे सब बातें उन्होंने बताई। लेकिन वे यह बताना भूल गये कि जो जीप भुवनेश्वर से चली थी उसके चारों टायरों का पंक्चर दुर्गापुरा में आकर हो गया था और उसके बाद स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कांग्रेस की बुनियादी नीतियों के अन्दर भी परिवर्तन आना शुरू हो गया। वे यह भी बताना भूल गये कि आज सरकार ने विदेशी कोलोबोरेशन से कम्पनी खोलने के खुले लाइसेन्स देना शुरू कर दिया है, जो कि स्वयं भुवनेश्वर को प्रस्ताव के विपरीत है। वह यह भी बताना भूल गये कि महात्मा गांधी ने विन्नी के कपड़े को विदेशी कपड़ा घोषित किया था और शायद वह यह भी भूल गये बताना कि हिन्दुस्तान के अंदर पचास कम्पनी थीं जो विदेशी कोलोबोरेशन से चलती थीं, वहां आज वाइस सौ कम्पनी इस प्रकार की हैं जो विदेशी कोलोबोरेशन से चलती हैं। वह कृपा कर महालनबीस की रिपोर्ट तो पढ़े लेते, जिसको फरवरी १९६४ के अन्दर सदन में रखा था, जिसका निर्माण स्वयं स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल जी नेहरू ने करवाया था।

आज राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के अन्दर इस बात की घोषणा की है कि हमारी पर-कैपिटा इन्कम बढ़ जायगी और वह ३५५ से बढ़ कर ४१८ हो जायगी और जब हम अगली योजनाकाल में प्रवेश करेंगे तो १९७१ के करीब हमारे राजस्थान की आमदनी १०७२ बढ़ जायगी जो अभी ७६० है। इसके साथ ही वे इस बात का भी जिक्र करते कि हमारे यहां रुपये की कीमत, जैसा कि जे. पी. अग्रवाल ने कहा था, अगर १९४७ के रुपये की कीमत सौ नये पैसे थी तो वह अब १७ नये पैसे हो गई है। और विशेषज्ञों का कहना है कि १७ नये पैसे भी एगज़ेगज़रेटेड दर बताई जा रही है, वह १४ नये पैसे हो चुकी है। वे महालनवीस रिपोर्ट के उस पैरा को कोट करते जिसमें कहा है कि भारतवर्ष की ८ हजार करोड़ बढ़ी हुई इन्कम का ६० प्रतिशत तो २०० परिवारों की जेब में चला गया है और बाकी ४२ करोड़ में पहुंचा है, जब कि देश की आबादी २२.३ प्रतिशत बढ़ी है। इस प्रकार होने पर यह समाजवाद होता जिसकी ओर वे बढ़ना चाहते हैं।

मैंने कृषि मंत्रीजी के भाषण को बड़े गौर से सुना और पिछले सदन में भी जब उन्होंने भाषण दिया था तब भी सुना। उन्होंने एक ओर सिंचाई के विकास का चित्रण किया है। मैं यह कहूंगा कि सिंचाई के सम्बन्ध में विकास हुआ है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। पहली पंच वर्षीय योजना

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

में उन्होंने कहा कि हमने १.३ लाख एकड़ भूमि सिंचित योग्य की और उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना में २१ करोड़ रुपया खर्च किया और अधिक धरती सिंचित योग्य बनाई। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में ७.७ लाख अधिक सिंचित धरती की बात कही गई है जो इस योजना के अन्तिम वर्ष तक हो जावेगी।

राज्यपाल महोदय ने लिखा है कि ४.४ लाख टन अधिक अनाज की बात कहते हैं, जब कि कृषि मंत्री १० लाख टन अधिक अनाज की बात करते हैं, कुल मिला कर ३२ लाख टन अनाज राजस्थान में पैदा हो जावेगा। पिछली बार ८ लाख टन की कमी बताई थी और आज सरकार ने अपने आंकड़े ठीक कर दिये। उस समय जब कि राजस्थान में हाहाकार मच रहा था, अनाज कम पैदा हुआ। नहरों में पानी कम दिया गया और आज भी जब वे अपने विभाग को मैडल देना चाहते है, प्रसन्न करना चाहते हैं कि वे आंकड़े जो ८ लाख टन अनाज कम हुआ वह पूरे हो गये और अब ३६ लाख टन अनाज पैदा होगा। वे राजस्थान के पेट को आंकड़ों से भरना चाहते हैं। उनको यह दृष्टिगोचर नहीं होता कि सुबह से शाम तक विदेशी अनाज को लेने के लिये लोग क्यू में खड़े होते हैं। सरकारी कर्मचारी बाजार में अनाज के लिये टाकरें खाते रहते हैं और उनको ८०) रु० क्विन्टल अनाज मिलता है जबकि उनकी घोषित कीमत ६४) रु० क्विन्टल है।

मैं आपको बताऊं, कृषि मंत्रीजी, आपने समाजवाद की बात की, मगर किया क्या? पहली जनवरी को आपने क्या किया कि जो आपने विदेशी गेहूँ विदेशों से भिक्षा और दान में मिलता है, उसकी कीमत भी ११ पैसे प्रति किलो बढ़ा दी। और तो और, ५० हजार टन का जो कोटा मुकर्रर था वह आज गिर कर १५ हजार हो गया। और सरकार ने यह तय किया कि गांवों में अनाज नहीं दिया जावे। मैं यह कहूंगा कि क्या गांवों में खेती करने वाले और मजदूर नहीं हैं, क्या वहां पर गरीब लोग नहीं हैं? जब वहां पर गरीब, खेती करने वाले और मजदूर और निर्धन लोग बसते है तो उनको विदेशी ग्रेन उपलब्ध समाजवादी सरकार में नहीं होता!

आपने सिंचाई के विकास का ढोल पीट दिया। मैं, सभापति महोदया, निहायत अदब से अर्ज कर देना चाहता हूं कि ऑर्डर निकालने से, घोषणा कर देने से और समाजवाद की दुहाई देने से समाजवाद नहीं आवेगा, लोगों के पेट में अन्न नहीं जावेगा। अगर आप इसी तरह से समाजवाद की बातें करते रहे और कुछ काम नहीं किया तो मैं यह कहूंगा कि आप समाजवाद को इतना बदनाम कर देंगे कि समाजवाद के लिए लोग यह समझने लगेंगे कि समाजवाद अच्छी चीज नहीं है, लोगों के सामने समाजवाद का वह चित्र नहीं रहेगा। आपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाईं। आपके कोऑपरेटिवज काम कर रही हैं। मैं यह कहूंगा कि आपने इस कोऑपरेटिव मूवमेंट को कितना बदनाम कर दिया? आपने समाजवाद की बुनियादी नीतियों में परिवर्तन कर दिया।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

जिस समय स्टेट ट्रेडिंग के लिये अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने बातें कहीं तो आपने उनकी मज़ाक की। आपने कहा कि हमारे पास फन्ड कहां से हो? इसके लिये वे बतावें। वे नहीं बताये। मैं आपको बताना चाहता हूं। आपके यहां पर बैंक हैं, सिलोन की सरकार बेंकों को ले सकती है, सीरिया की सरकार बेंकों को ले सकती है, बर्मा और अलजीरिया की सरकार बेंकों को ले सकती है, मगर आप बेंकों से नहीं ले सकते। मैं यह कहूंगा कि देश के ८ बड़े बड़े पूंजी-पतियों की पूंजी उनमें लगी हुई है जो अनाज को होर्ड करते हैं। आपकी हिम्मत होनी चाहिये, आपने उनके सामने अपनी नीति को गिरवी रख छोड़ा है। अगर आप इन २०० देश के मोनोपोलिस्ट और पूंजी-पतियों के सामने अपने देश की नीति को गिरवी रख चुके हैं तो फिर धन कहां से आपको नजर आवेगा ?

सभापति महोदया, सिंचाई की ओर मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। आंकड़ों में अधिक अन्न पैदा हो गया, लेकिन सरकार की ओर से कोई प्रयत्न नहीं किये गये। यह ठीक है कि माइनर ईरिगेशन आदि से सिंचित क्षेत्रों का विकास हुआ, उससे अनाज़ ज्यादा मिला, लेकिन जो लोग मकसद करके अधिक अनाज पैदा करते हैं उनकी ओर सरकार की दुर्लक्षपूर्ण नीति रही। आपने अभी तक २४ हजार सेटलमेंट के केसेज़ डिसाइड नहीं किये, डूंगरपुर और गंगानगर के भूमि से भूमि के बेटे वंचित हैं। भूमि-हीनों को भूमि नहीं मिल रही है। आपने राजस्थान केनाल को १ अप्रेल से भारत सरकार के सुपुर्द कर दिया है। मगर तीन वर्ष हो गये आपको कहते हुए कि राजस्थान केनाल के लिये अलॉटमेंट के रूल्स बनायें। टीनेन्सी एक्ट की धारा १५ ए हाईकोर्ट में अल्ट्रावार्स कर दिया। कोलोनाइज़ेशन में लोगों को पट्टे देने की बात हुई मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों को पट्टे दिये गये। मैं यह कहूँगा कि अभी भी आपके कोलोनाइज़ेशन दफ्तर में ३॥ लाख किसान लोगों की दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं और उन पर किसी तरह का निर्णय नहीं हुआ है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : कितनी हैं ? गंगानगर जिले की आबादी कितनी है ? आपने ३॥ लाख प्रार्थना-पत्र बताये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं सारे राज-स्थान की कहता हूं। अकेले गंगानगर की १०॥ लाख की आबादी है। ३॥ लाख दरख्वास्तें राजस्थान की दो करोड़ जनता की तरफ से पहुंच चुकी हैं। अगर आप यह कहते हैं कि ३॥ लाख नहीं तो तो १ लाख सही, मुख्य मंत्रीजी खुश हो लें। दो लाख सही। मगर लाखों दरख्वास्तें वहां पर पड़ी हुई हैं। लेकिन अभी तक रूल्स नहीं बनाये है। वहां पर १० हजार जागीरदारों को जमीन अलॉट हो चुकी है। लोग बड़े बड़े चक ले रहे हैं। चीफ इंजी-नियर जोधपुर के हैं उन्होंने ८ एकड़ चक वहां ले रखो है उसमें उनके ट्रेक्टर चल रहा है। टी. ६ और टी. डी. १४ ट्रेक्टर अभी चल रहे है। अभी चीफ

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

मिनिस्टर टेलीफोन करके पता लगा सकते हैं वे अभी भी वहां पर चल रहे हैं।

इसके अतिरिक्त और भी महरबानों को जमीन अलॉट हुई हैं, लेकिन वे लाखों दरख्वास्तें अभी पेन्डिंग पड़ी हुई हैं। पहली अप्रेल तक वे आ नहीं सकेंगी और पहली अप्रेल को राजस्थान कैनाल को भारत सरकार ले लेगी और वह कानून बनाएगी और इसमें लाखों राजस्थान के भूमिहीन किसानों के भाग्य नहीं जागेंगे। जिन लोगों ने वहां पर १०-१० मील से पानी लाकर पीया है उनके भाग नहीं चेतने वाले है। उनको यह आशा थी कि जब ३६ लाख एकड़ सिंचित एरिया होगा उनके भाग्य जागेंगे। सभापति महोदय, और तो और, इसके अतिरिक्त यह कहूंगा कि कृषि मंत्रीजी के परिवार ने इस राजस्थान के नहरी क्षेत्र में धरती अलॉट करवाई है।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : मेरे तो किसी परिवार वालों ने कोई धरती वहां अलॉट नहीं करवाई है। आप गलत बात कह रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके रिश्तेदारों ने भूमि अलॉट करवाई है।

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं करवाई है, आप गलत बात कह रहे है। आप गलत बातें कहने के आदी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं इसका प्रमाण पेश करूंगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं अभी चाहता हूं कि आपके पास अगर कोई प्रमाण हो तो आप बताइये, अन्यथा इस तरह की गलत बातें न कहें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अभी मेरे पास नकल नहीं हैं। नकल मंगवाई हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपके पास नकल होगी नहीं, यह बकवास हैं। गलत बात आप न कहें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : होगी, होगी और मैं उसको पेश करूंगा।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : यह "बकवास" शब्द है, इसको निकाल दिया जावे। यह ठीक है कि इनको सिद्ध करना चाहिये, मगर यह "बकवास" शब्द हैं इसको निकलवा देना चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे कोई एतराज नहीं हैं। जो बातें कहें वे जिम्मेदारी से कहें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं जो बातें कह रहा हूं वह जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आप चिन्तित न हों। मैं समय आने पर उनको पेश करूंगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : अगर आप किसी बात को सदन में कहते हैं तो बुनियाद के साथ कहिये, अन्यथा इस प्रकार की गलत बातें कह कर जो सारे सदन को मिसगाइड कर देते हैं वह न करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मुझे आपका चैलेंज स्वीकार है। मैं उसको सदन में पेश करूंगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं कहता हूं कि आप अभी करिये, अन्यथा इसको विथ्ड्रॉ करिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप इन्कार कर दीजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे किसी रिश्तेदार को जमीन नहीं अलॉट की है और न मुझे लेने की जरूरत है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ठीक है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप इस तरह की बेबुनियाद बातें यहां से कहते हैं: आपको विथ्ड्रॉ करना चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं इसके सुबूत में सही कॉपी पेश करूंगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह आप पेश करते तब कहते। अभी कहा है, आपके पास कोई सुबूत नहीं है; इसलिए इसको विथ्ड्रॉ करना चाहिये।

(शोरगुल)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): You Can say when you have proof.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप बेचैन मत होइये, मैंने इनकी कॉपीज मंगाई है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : गलत बात से कोई बेचैन नहीं होता, कोई बेचैन नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप बिना बुनियाद के बोलते हैं, बिना कन्ट्रोल के बोलते हैं, बिना सुबूत के बोलते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप इन्कार कर दीजिये कि चौधरी रामनारायण जी के द ए. पी. डी. में जमीन नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : उनका मुझे पता नहीं है। आपने कृषि मंत्री और उनके रिश्तेदारों का कहा, इसलिये मैं बोला। मैं उनकी बात को नहीं जानता; चौधरी रामनारायणजी के पास है या नहीं है; है तो जायज है या नाजायज है। उनके बारे में आपने कहा तो मैं नहीं बोला, आपने मेरे लिये और मेरे रिश्तेदारों के लिये कहा तो मैं बोला।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं समय आने पर सुबूत रखूंगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : सुबूत रखें तब तक माफी मांगिये। सुबूत रखें तब यह कहना।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कतई माफी मांगने की जरूरत नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपसे कहता हूं कि तथ्य के साथ बात रखिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हो चुका साहब, होचुका; कृपा होगी आपकी, आप बैठिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरी कृपा की कोई बात नहीं, मैं चुप बैठा रहा करता हूं। आपके पास जब सुबूत हो तब वह बात आप कह सकते ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने आपके चैलेंज को स्वीकार किया है। आप सब्र रखिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं तो सब्र से बैठा रहा करता हूँ । जब ओरों के खिलाफ आप कहते हैं तो सब्र से बैठा रहता हूं। आप मेरे खिलाफ भी कहें और मैं उस समय नहीं बोलूं, यह आप मुझसे अपेक्षा करते हैं तो मैं यही कह सकता हूँ कि यह आपकी कितनी कृपा है !

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : माननीय कृषि मंत्री जी कहते हैं कि मेरे रिश्तेदार ने कोई जमीन नहीं ली है; तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके रिश्तेदार नियमों के प्रावधानों के अनुसार जमीन लेंगे तो क्या आपकी मंजूरी लेकर लेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एक्स जागीरदार जमीन ले सकता है, मैं ले सकता हूं, मेरे भाई ले सकते हैं, पर न मैंने ली है न मेरे रिश्तेदार ने ली है, न मुझे लेने की जरूरत है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : एक्स जागीरदार को नियमों के तहत जमीन मिल सकती है , तो क्या नियमों के तहत आपके किसी भाई ने जमीन प्राप्त की है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने निवेदन किया कि मेरे किसी भाई ने नहीं ली है, न मैंने ली है, इसीलिये मैंने कहा है कि मैंने नहीं ली है, न मेरे रिश्तेदार ने ली है। आपने बिना तथ्य के कहा। जब तथ्य आपके पास हों तब आप कह देते।

श्रीमती समानेत्री : समय कम है, आप अपना भाषण शीघ्र समाप्त करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय,........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : "सभापति महोदया" कहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह तो पार्लियामेंट में स्पीकर महोदय का रूलिंग हो चुका है, महोदय कहें या महोदया कहें।

मैं मुख्य मंत्रीजी को उनके वादे की याद दिलाता हूं कि गंगानहर, राजस्थान केनाल एरिया के पानी का जिक्र किया था तो उन्होंने सदन में आश्वासन दिया था कि हरीके बैरेज और भाखरा पौंडेज पर हम रेगुलेटर लगायेंगे और अपने इन्जीनियर्स पुट अप करेंगे। आज उनके आश्वासन को काफी समय होने आया, पर न कोई रेगुलेटर लगे हैं और न हमारे इन्जीनियर ही वहां डेप्यूट हुए हैं। आज फिर गंगानहर के पानी की हालत उतनी ही गम्भीर हो चुकी है जितनी कि पहले थी। केवल दो-तीन महीने हमें पानी सप्लाई हुआ, उसके बाद इन्टरप्टेड सप्लाई पंजाब से आती रही है। जब हमारी पड़ौसी रियायत को सप्लाई करने का प्रश्न होता है तो हम ज्यादा देते हैं और जहां हमारे लेने का प्रश्न आता है तो हमें सप्लाई

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

नहीं मिलती। भाखरा पौंडेज पर हमको १५ प्रतिशत लेने का हक है, पर हमें हमारा १५ परसेंट का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है, हम अभी तक ११ परसेंट से ऊपर प्राप्त नहीं कर सके हैं। यह गंगानहर के बारे में है। पंजाब हरीके पौंडेज से वे हमें २७०० क्यूसेक्स की सप्लाई २ घंटे करते हैं, उसके बाद ३०० क्यूसेक्स कर देते हैं।..........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो मैं निवेदन करूंगा कि जो ड्राफ्ट सुपरिन्टेन्डिग इन्जीनियर ने तैयार किया है उसे स्टडी करें। बहुत कम सप्लाई राजस्थान को दी जाती है। ईस्ट केनाल को १५ अक्टोबर के बाद उन्हें चलाने का अधिकार नहीं, पर उन्होंने बराबर उसे चलाया है। कुल स्थिति पानी की उतनी ही गंभीर है जितनी कि पहले से चली आ रही थी। केवल ३ महीने जब कैरों की जगह श्री रामकिशनजी ने चीफ मिनिस्टरशिप सम्हाली तो सप्लाई ठीक आई, उस समय बरसात भी ठीक हुई थी। उसके बाद फिर वही गम्भीर स्थिति है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं दो मिनट लूंगा।

आज बिजली की वही स्थिति है, ५ पैन स्टॉक्स हमारे हैं, गांधीसागर से रेगुलेटेड सप्लाई नहीं है। आज चम्बल के बारे में बड़ी अजीबो गरीब सफाइयां दी जाती है। एक तो यह कि वर्षा कम हुई, दूसरी यह कि सीज़न के लैटर पार्ट में बारिश हुई, जब कि वेजिटेशन ग्रो हो चुकी थी। इससे जो वाटर कैचमेंट में आता था वह कम पड़ गया। पिछले सदन में माननीय विद्युत् मन्त्रीजी ने यह सफाई दी थी। न प्रश्न है रेज़िस्टेन्स का, न कम बारिश का, सबसे बड़ा प्रश्न लोड फैक्टर का है। १३२ किलोवाट की बड़ी ट्रान्समिशन लाइन्स हैं। १० परसेंट ब्रेकडाउन बताते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि २० परसेंट ब्रेकडाउन होता है।४०हजार किलोवाट कास्टिक सोडा को दी गई, फिर ६० परसेंट लोड फैक्टर का तय किया। रिटायर्ड कमिश्नर दौलतसिंहजी को पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बनाया तो ६० परसेंट लोड फैक्टर का समझौता हुआ.......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : यह आपको मालूम है क्या कि एग्रीमेंट किसी फैक्टरी के स्टार्ट होने से पहले होता है, किसी के अपोइन्टमेंट के बाद में नहीं होता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : फाइनेलाइज़ हुआ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : लोड फैक्टर की व्याख्या को समझ जायं तो अच्छा होगा। इसका मतलब ६० परसेंट से ६० परसेंट करेंट सप्लाई करने का नहीं है।

(२.०० म. प.)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं उसको टैक्नीकल अच्छी तरह से समझ सकता हूं। आप भी इलेक्ट्रीसिटी में छोटे मोटे इंजीनीयर रहे हैं, मैंने भी एम० एस सी० फिजिक्स में की हैं।

Page No 70

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने इंजीनियरी नहीं की।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एम० एस० सी० में लड़कों को पढ़ाता भी रहा हूं, आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। जितना टर्बाइन व्हील डाइरेक्ट करेगा उतनी बिजली की सप्लाई बढ़ेगी, उतना लोड फैक्टर बढ़ेगा। टर्बाइन की व्हील डाइरेक्शन के लिए ज्यादा पानी यूज़ किया जायगा। हाइडल और थर्मल स्टेशन्स में अन्तर है.......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

थर्मल में आपको डेफीनिट सप्लाई देनी पड़ेगी क्योंकि फ्यूल कन्ज्यूम करते हैं और वाटर के अंदर वाटर के फ्लो को रेग्युलेट कर सकते हैं। दूसरी बात पंजाब की है। हमारा १८-१६ हजार किलोवाट का अधिकार था, लैफ्ट बैंक पर पॉवर हाउस बन चुका था, शो कॉज़ नोटिस जारी हो चुका, लेकिन आज तक ४ हजार से ज्यादा नहीं ले सके। इसके अलावा पांच टर्बाइन्स रन करते हैं लेफ्ट बैंक पर; टर्बाइन स्टैंडबाई रहना चाहिए। ६० परसेंट लोड फैक्टर होना चाहिए। पंजाब ६० परसेंट लोड फैक्टर रन कर रहा है। पांचों टर्बाइन्स चल रहे हैं और आपको देते हैं ६० परसेंट लोड, लोड फैक्टर का। एक तरफ आप अधिक दे रहे हैं और दूसरी तरफ पंजाब अधिक ले रहा है।

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युतमंत्री) : सभा नेत्री महोदया, राज्यपाल के भाषण पर वाद विवाद का आज आखिरी दिन है और इन दो तीन दिनों में कई माननीय सदस्यों ने अपने अपने दृष्टिकोण रखे हैं, समस्याएं भी रखी हैं, दिक्कतें भी सामने पेश की हैं, मैं सारी चीजों में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि ऐसी कई चीजें हैं जिन पर मेरे साथियों ने जवाब दिया है और मुख्य मंत्री भी जवाब देंगे।

राजस्थान इस वक्त ट्रांजीशनल स्टेज से गुजर रहा है और आपका और हमारा सबका कर्तव्य होना चाहिए कि हम इस बात का प्रयास करें कि जल्दी से जल्दी, जो समय हमारे सामने है उसमें हम राजस्थान की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें और राजस्थान के अंदर भी ऐसी एम्प्लॉयमेंट पोटेयिन्शल डेवलप कर सकें कि राजस्थान की जनता को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। जो भी दो-तीन दिन की बहस में मुझे सुनने का मौका मिला, उसमें ज्यादातर क्रिटिसिज़्म के रूप में बातें आई हैं। यह सही है कि जनतंत्र में विरोधी दल को यह अख्तयार होता है कि वह 'क्रिटीसाइज़' करे और क्रिटीसाइज़ करना जनतंत्र की परम्परा में शामिल होता है लेकिन साथ साथ जैसे मैंने पिछली मर्तबा भी कहा तथा और भी फिर निवेदन करूंगा कि सिर्फ क्रिटिसिज़्म ने ही जनतंत्र नहीं चलता है या विरोधी दल का सिर्फ क्रिटिसिज़्म ही हो जाना, उससे सारी चीज हो जाय तो यह सही नहीं। मैं माननीय सदस्यों से, सभानेत्री द्वारा, यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपको क्रिटिसिज़्म के साथ साथ कॉन्क्रीट सजेशन्स भी रखने

(श्री हरिश्चन्द्र)

चाहिए क्योंकि अगर उन सजेशन्स को सरकार एडॉप्ट करती है तो उनके फलस्वरूप राज्य की उन्नति हो सकती है। इस समय जो हमारे सामने समस्या है वह यह है कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत किया जाय और उसके ऊपर कांग्रेस की जो नीति है वह स्पष्ट है कि समाजवाद वह लाना चाहती है।

रायसिसनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस तरह झलक देने की कोशिश की कि कांग्रेस जो समाजवाद लाना चाहती है वह उस समाजवाद की तजवीज जनता के सामने रखते ही जनता में घृणा पैदा होगी। मैं अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि जनता ने स्पष्ट शब्दों में इन पंचायत समितियों के चुनावों में बता दिया है कि राजस्थान की जनता कांग्रेस के साथ है, कॉग्रेस के साथ रहेगी और माननीय सदस्य का जो यह कहना है कि इस तजवीज को देखकर राजस्थान की जनता भाग जायगी या हमारा नक्शा पेश करने से उनको घृणा उत्पन्न होगी, तो मैं यह मानता हूं कि यह बात सत्य से बहुत परे है। मैं तो आपसे ही निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार का राजस्थान में और हिन्दुस्तान में आप समाजवाद लाना चाहते हैं, वह हम नहीं लाना चाहते। बिल्कुल साफ शब्दों में हम आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि हम काफी सचेत हैं, हिन्दुस्तान भुगत चुका है। आप भाषा क्या बोलते हैं और करते क्या हैं; आप जो नक्शा पेश करना चाहते हैं उसके अंदर मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि हम और आप नहीं फिट होते हैं, इनके नक्शे में आप और हम नहीं नजर आएंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने सही बताया, राजा-महाराजा हमारे नक्शे में फिट नहीं होंगे।

श्री हरिश्चन्द्र : आप जो समाजवाद की बात करते है उसमें बड़ा अन्तर है। जैसा मैंने कहा, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। मुझे ताज्जुब होता है कि एम० एस सी० या बी० एस सी० फिज़िक्स में करके आए हैं, क्या आप शब्द निकालते हैं, या तो मैं यह समझूं कि इनका अपने शब्दों पर कन्ट्रोल नहीं है। जैसी चाभी चढ़ा दी, मामला चलता रहा।

मैंने लास्ट टाइम गांधी सागर के बारे में जो कहा था तब वेजीटेशन के बारे में जिक्र नहीं किया और आपको कहां से ख्वाब आ गया ? अगर हम कुछ कहते हैं तो आप बुरा मानते हैं, लेकिन आपको कहने से मतलब है और काम से नहीं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने जिक्र नहीं किया था, वेजीटेशन बढ़ाई जानी चाहिए ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने वेजीटेशन का नाम भी नहीं लिया, मैं कोई ऐसा पागल नहीं हूं, थोड़ी अक्ल रखता हूं। चम्बल में 'वेजीटेशन' बढ़ाई जाय, उससे चम्बल का फ्लो फल्ड रुक जाय; आप कह सकते हैं, मैं नहीं।

Page No 72

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कान में तो डाट नहीं डाल रखी है। मैंने कहा, वाटर पहुंचाने के सम्बन्ध में....

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने वेजीटेशन की कोई बात नहीं कही। अगर वहां जमीन पर घास...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके सिर से ही वेजीटेशन गायब है।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं अर्ज करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर काफी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं।

मैं अब जो बातें मेरे महकमे से ताल्लुक रखती है उन चीजों पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जहां तक सड़क का सवाल है, सड़कों के अन्दर भी राजस्थान ने, देश आजाद हुआ उस वक्त से लेकर आज तक काफी प्रगति की है। मैं आंकड़े आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ३१. ३. ४९ में कुल सड़कें ८,४१८ थीं और ३१. ३. १९६५ तक सड़कों का टोटल नम्बर १८,५०४ हो जावेगा। यानी ८ हजार से हम १८ हजार तक पहुँच जावेंगे। तो यह एक चीज बताती है कि देश की आजादी के बाद कांग्रेस सरकार ने प्रगति, 'जहां तक सड़कों का सम्बन्ध है, की है। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि ईच एन्ड एवरी इन्डिविजुअल मांग पर बहस होगी। मैं तो टोटल आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं।

इसी तरह से बिजली के महकमे पर भी यहां पर बातचीत हुई है। मैं यहां पर सभापति महोदया, आपके जरिये सदन को यह कहना चाहता हूँ खुशी के साथ कि २ की रात को १२ बजे पिछली तारीख में जयपुर से रतनगढ़ लाइन कम्प्लीट हो गई है। यह लाइन ७ दिसम्बर, १९६४ को शुरू हुई और २ मार्च, १९६५ को खत्म हुई। यानी ८६ दिन में १२८ मील लम्बी लाइन, १३२ के. वी. की लाइन गवर्नमेन्ट ने कम्पलीट की। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि यह सारा का सारा काम डिपार्टमेन्टली किया गया, ठेकेदार को कोई काम नहीं दिया गया। और मैं यह भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमने यह भी निर्णय लिया है कि २२० के. वी. लाइन जो हिसार से जयपुर आ रही है उसका काम भी ठेकेदार को न देकर डिपार्टमेन्ट को दिलवाये। मैं आप लोगों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस काम के अन्दर काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा और कई माननीय सदस्यों को मैंने आमन्त्रित भी किया था कि आप मेरे साथ आयें और वहां पर जो तकलीफें हमारे मजदूर वर्ग को उठानी पड़ रही हैं और जो तकलीफ वहां टेरेन की है उसको आप देखें, ताकि वहां के जो वर्कर्स हैं उनको प्रोत्साहन मिले और उनके साथ सहानुभूति रखें ताकि वे ज्यादा तेजी से काम कर सकेंगे। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि मेरे साथ एक रिप्रेजेन्टेटिव ऑफ लेबर, जिनका नाम दामोदर मोरिया है, साथ आये और वे इस वास्ते आये कि वे मेरे मेहरबान हैं और इसलिए मैं उनको ले गया क्योंकि वे मेरे हमदर्द हैं। मैं उनको निवेदन करना चाहता हूं कि खैर, मुझे धन्यादव

Page No 73

(श्री हरिश्चन्द्र)

नहीं देते इस काम के लिए, लेकिन जब इस काम को मजबूत करते हैं तो मजदूरों के नुमाइन्दे, मजदूरों के मददगार और हमदर्द हैं तो कम से कम, इस ८६ दिन के अन्दर १३२ के. वी. लाइन को बनाया; तो उन मजदूरों को ही धन्यवाद देते तो मेरा दिल बढ़ता, लेकिन उनके मुंह से यह भी नहीं निकला। मैं उनको बताना चाहता हूं, हालांकि उनकी कुर्सी खाली है कि मैं उनको क्यों ले गया ? वे फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं इस वास्ते मैंने उन्हें कहा कि आपको चलना पड़ेगा। क्यों चलना पड़ेगा ? अगर कोई मजदूरों को तकलीफ है, मजदूरों की व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है, अगर मजदूरों के दिल में ऐसी चीज पैदा हो रही है कि काम में रुकावट आ रही है तो आप मजदूरों के नेता होने की हालत में आप अगर वहां रहते हैं तो जो चीज लिखा-पढ़ी मे चलती है उसमें थोड़ी देर लगती है, इस तरीके से समस्या जल्दी हल हो सकती है। इसलिए मैं मजदूरों के रिप्रेजेन्टेटिव को ले गया। चूंकि ये इन्टक के हैं इसलिए उनको नाराजगी होना स्वाभाविक है। इसीलिए यह सारा झगड़ा माननीय सदस्य ने यहां आकर रखा है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह ऐसा प्लेटफॉर्म है कि सही माने में, सही तरीके से बात की जाय उससे हमारा भी होसला बढ़ता है और काम करने की भी दिलचस्पी बढ़ती है।

मैं यहां पर इसके साथ साथ जो पॉवर शोर्टेज है उसके बारे में भी अर्ज करूंगा। हमने नीम के थाने से खेतड़ी लाइन भी जोड़ी है। वह ३० मील लम्बी है और इस काम को भी विद्युत् मंडल के मजदूरों ने और वहां के कर्मचारियों ने एक महीने के अन्दर यह तीस मील की लाइन खींची है। आप यह पूछेंगे कि यह लाइन क्यों खींची ? जैसा मैंने पहले 'स्टेटमेन्ट' सदन के सामने रखा था उसमें यह कहा था कि फरवरी में पॉवर की औसत कट होगी, उस कट को मीट करने के लिए हमने यह ३० मील लम्बी लाइन खींची क्योंकि हमारी रतनगढ़-जयपुर लाइन तैयार नहीं होती इतनी जल्दी, इसलिए नीम का थाना खेतड़ी मिलने के बाद हम वहां से जयपुर को १ मेघावाट पॉवर ला सकते थे। उससे दूसरा नहीं आ पाया। इसके अलावा हमने पंजाब से बात करने के बाद ३ डिज़ल सैट्स मंगाये हैं और मैं यह उम्मीद करता हूं कि ३ डीज़ल सैट्स जो १ हजार किलोवाट के हैं उनमें से दो जयपुर को और १ भीलवाड़ा को अप्रेल के अन्त तक हम कमीशन कर देंगे, जिससे और कमी आने वाली है उसकी पूर्ति हो सके।

यहां पर यह भी कहा गया कि डी. सी. एम. को हमने ४० हजार किलोवाट ६० परसेन्ट लोड फेक्टर पर दी है और जो रेट मुकर्रर की गई है वह तीन नये पैसे है। इनके बारे मे इस सदन के अन्दर एक बार नहीं, कई मर्तबा चर्चा हो चुकी है और मैं इसका कई दफा जवाब दे चुका हूं इसलिए मैं आपका वक्त नहीं लेना चाहता कि यही बात फिर दोहराऊं।

इसके अलावा एक पोइन्ट यह रखा गया कि भाखरा से जो बिजली आती है

(श्री हरिश्चन्द्र)

उसको पर्याप्त मात्रा में राजस्थान नहीं ले रहा है। राजस्थान का शेयर जैसा माननीय सदस्यों को पहले भी बताया गया १५.२२% है।

कोमन पूल निकल जाने के बाद १५.२२%राजस्थान को मिलना है। इसका टोटल करीब २० मेघावाट के आसपास आता है उसमें से १४. १५ मेघावाट इस वक्त ले रहे हैं। बाकी जो पॉवर बची हुई है खेतड़ी में कॉपर स्मेल्टर के लिए रखा था अगर चल पाता। स्मेल्टर के आने में देरी हुई है। यह पॉवर भी हम ले लेंगे। बाकी जो चम्बल और भाखड़ा का कनेक्शन हो जाने के बाद यह दिक्कत कतई नहीं आयेगी, पॉवर इमीजियेटली युटिलाइज हो जायगा। कोशिश यह की जा रही है कि जो भी कमी इस वक्त महसूस हो रही हे उस कमी में हमें इस भाखरा पॉवर से मदद मिल सकेगी।

सतपुड़ा के बारे में भी कहा गया; ट्रान्समिशन लाइन नहीं लगायी गई। इसका सवाल उठता नहीं ट्रान्समिसेन लाइन लगती है तो उसका खर्चा हमारे पर पड़ता है। इसलिए हमने यह बात की कि सतपुड़ा के अन्दर जो हमारा शेयर है उसके लिये मध्यप्रदेश को कह दिया कि वह ले ले और उसका चम्बल में जो शेयर है उसमें से उतना ही पॉवर हमें इधर दे दे ताकि ट्रान्समिशन लाइन का खर्चा बच जाय। इसके लिए मैं आशा करता हूं कि मध्यप्रदेश राजी हो जायगा।

व्यास-सतलज लिंक पर अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि हमारा शेयर डिसाइडेड नहीं है। इस बारे में गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने एक कमेटी का निर्माण किया है। उसकी रिकमन्डेशन के आधार पर हमारा क्या शेयर होगा, पंजाब और राजस्थान का क्या होगा, वह कमेटी डिटमिन करेगी। उसके लिए जो हमें इन्डीकेशन मिला है उसके कहने की आवश्यकता नहीं।

रायसिंहनगर और अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात इस तरह से बताने की कोशिश की क्योंकि दौलतसिंह जी को एक ने तो राठौड़ बताया, दूसरे उनको भंडारी बताते हैं। पहले तो वे आपस में ही निबट लें और फैसला कर लें कि वे राठौड़ हैं या भंडारी। ताहम भी मैं उनको चैलेन्ज करता हूं, यहां पर कोई भी आदमी खड़ा होकर यह कह दे कि दौलतसिंहजी की इन्टीग्रिटी के बारे में कोई शुबहा कर लें तो मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं। दौलतसिंहजी, जिन्होंने राज्य सरकार की सेवा की है उनकी इन्टीग्रिटी में किसी को संदेह नहीं है। आपने जिस भावना से बातें की हैं, दौलतसिहजी उससे कहीं अच्छे हैं। आपका उनके लिये यहां कहना सदन के लिये शोभाजनक नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इसमें इन्टीग्रिटी का सवाल कहां से आया....

श्री हरिश्चन्द्र : आपने जिस प्रकार से कहा वह बिल्कुल गलत है। आपने जिस

(श्री हरिश्चन्द्र)

प्रकार इन्सीन्युऐशन लगाया; मैं राठौड़ हूं इसलिए दौलतसिंहजी राजपूत हैं उनको रखाया; इसलिये मैं पिघल गया, मुख्य मंत्री पिघल गये और उनको तीन पैसे युनिट पर पॉवर दे दी। आपका जो इस प्रकार इन्सीन्युएशन है वह सदन के अन्दर उचित नहीं है। आप इसी चीज को और भी तरह से रख सकते थे। किसी पर इन्सीन्युएशन लगाना यह शोभाजनक बात नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): पहले ये सर्विस में थे, बाद में फैक्टरी सर्विस में रखे गये। बाद में वहां से हट गये इसलिये कि आपका उनके डी० सी०एम० के साथ में एग्रीमेंन्ट था, उससे वे प्रेजुडिस्ड थे।

श्री हरिश्चन्द्र : दौलतसिंहजी की अपनी खुद की इन्टीग्रिटी है, उनका इससे कोई संबंध नहीं। अभी भी वे वहां हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अब तो बैंक में जमा हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : आप इस प्रकार के इन्सीन्युएशन हम पर डालें, यह गलत है। आपको इस सदन में इस प्रकार कहना शोभा नहीं देता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम दौलतसिंह जी की ईमानदारी पर कुछ नहीं कहते, आपकी ईमानदारी का सवाल है।

श्री हरिश्चन्द्र : पहले तो आप दोनों ही फैसला कर लें; भंडारी हैं या राठौड़? आपने बतलाया भंडारी। आपकी वर्बेटिम प्रोसीडिंग' मेरे पास है। बाडमेर डिस्ट्रिक्ट से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमारी तरफ इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोग्राम नहीं हुआ है। आपकी तरफ छः कस्बों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, मोकलसर सिवाना, हटिया, बलोतरा, महालियावास, दीवान्दी-इन छः का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। तीन का बाकी है, भीवानी, मावली मालियावास। मावली का रह गया है जो थोड़े दिनों के बाद हो जायगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा - दौलतसिंहजी डी० सी० एम० में काम करते हैं?

श्री हरिश्चन्द्र : मुझे क्या मालूम; मेरे पास सूचना है, करते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : नहीं करते हैं, वे एग्रीमेंट के बाद में बैंक में सर्विस करते हैं आपकी इनफोर्मेशन की स्क्रीनिंग तो यहीं हो गई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दौलतसिंह जी की इन्टीग्रीटी पर किसी को डाउट नहीं है, डाउट तो आप पर है। आप ६० पर्सेन्ट का एग्रीमेंट करवाते हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : आपने जो कुछ कहा है, पढ़ लीजिये। इसमें इस प्रकार का इन्सीनुएशन है कि नहीं? आपने जिस प्रकार से तसवीर दी है वह अलग है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : आपने जो मावली का नाम लिया वह कौन सी मावली है ?

श्री हरिश्चन्द्र : महालियावास है ।

एक मामला जनसंघ के नेता ने उठाया था इन्जीनियर्स के प्रोमोशन के बारे में । १९६२ में राजस्थान सरकार ने यह किया था; पी. डब्लू. डी. के अन्दर जिस प्रकार प्रमोशन होते हैं उनको भी डिपार्टमेंटल प्रोमोशन कमेटी के तहत प्रोमोशन्स दिये जायं । डिपार्टमेंटल प्रोमोशन कमेटी के अन्दर श्री आहूजा, एक्स मेम्बर, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, सेक्रेटरी पी. डब्लू. डी., सेक्रटरी अपोइन्टमेंट्स डिपार्टमेंट, चीफ इन्जीनियर, बी. एन्ड. आर. प्रोमोशन कमेटी में होते हैं ।

मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि इसके अन्दर जो चीज रखी गई है कि कोई मेलाफाइडी इन्टेन्शन से काम हुआ हो, मैं समझता हूं कि यह सही नहीं होगा । जो एग्रीव्ड पार्टी थी उन्होंने रिट की, हाई कोर्ट में गये । जो हुआ वह भी आपके सामने है । किस वजह से क्या जजमेंट दिया ? लेकिन जो फोटो स्टेट कॉपीज़ यहां पेश की गई हैं वे कॉपीज जो हैं उनमें मेरी यह मान्यता है कि टाइपिंग एरर है । और उनमें और ओरीजिनल डॉक्यूमेंट्स में काफी फर्क है । जो टोटल्स हैं वे तो ओरीजिनल डॉक्युमेन्ट्स के हैं, पर टाइपिंग में मदों के मार्क्स लिखने चाहिये वे टाइपिंग में रह गये हैं । इस वास्ते इस चीज को कहा, मैं समझता हूं कि इन्टेन्शनली चेन्ज किया गया हो और मेलाफाइडी इन्टेन्शन है, यह मैं नहीं मानता । यह एरर जरूर है ।

श्री भैरोंसिंह : इस रिट के सम्बन्ध में जो जवाब दिया है, गवर्नमेंट ने उसमें यह प्ली नहीं ली है कि टाइपिंग एरर थी ।

श्री हरिश्चन्द्र : जो जजमेंट हुआ है उसमें दो बातों पर जिक्र किया है और वह आपके सामने है ।

एक तो यह कहा कि सी. ए. आर. कम्यूनिकेट नहीं हुआ और एक वजह और बताई है । ये दो वजह होने से वापिस डिपार्टमेंटल प्रोमोशन कमेटी मीट करे और उन आदमियों को फिर चार्ज किया जावे और कमेटी के सामने वे पेश हों, यह कहा है । लेकिन जो उनके टोटल मार्क्स हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि जो टोटल है वह सही है ।

श्री भैरोंसिंह : टोटल में भी गलती है । आप रहने दीजिये ।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं समझा नहीं सका आपको । जो टोटल लगे हैं वह ठीक है । जो टाइपिंग हुआ उसमें एक के बदले आधा रह गया और दो की जगह एक हो गया । तो यह ओरीजिनल मार्क शीट से टाइपिंग एरर है; इस वास्ते ।

श्री भैरोंसिंह : मैं थोड़ा क्लेरिफाई कर दूं । टोटल में तो सही है । इस मार्क शीट में जनरल टोटल नहीं लगाई । एक एक

(श्री भैरोंसिंह)

इन्जीनियर को कितने कितने मार्क्स मिले हैं उसके टोटल मार्क्स दिये हैं। इसमें टाईपिंग मिस्टेक है और वह हैण्ड से करेक्ट की गई है। इसके बाद में जो टोटलिंग हुआ वह सारा सही है, उनके हिसाब से। पर टोटलिंग में टाईपिंग मिस्टेक को करेक्ट करके डेढ़ की जगह दो ढाई, यह सब हुआ है। अगर टाईपिंग मिस्टेक होती तो और जगह करेक्ट कर दिया हाथ से तो वहां भी कर देते।

श्री हरिश्चन्द्र : मेरा अर्ज करना दूसरा है। जो टोटल्स इसमें लगाये गये हैं अगर उनको पढ़ेंगे तो वह टोटल नहीं आवेगी।

श्री भैरोंसिंह : वहां ६१।। की जगह ६० आते हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं अर्ज कर दूं। जैसे सी. बी. एल. माथुर है। इसमें.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : ६२ आता है, ६२।। लिख दिया और ६२।। पर प्रोमोशन हो गया।

श्री हरिश्चन्द्र : डी. पी. सी. में ६२।। दिया है और इसकी टोटल आवेगी ६२।। इसमें है। अगर टाइप वाले की टोटल करेंगे तो ६२ आवेगा।

श्री भैरोंसिंह : यही तो हम कह रहे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : वही मैं कह रहा हूं। तो जो ओरिजिनल मार्क्सशीट है उसकी टोटल करेंगे तो ६२।। ही आवेगा।

श्री भैरोंसिंह : नहीं नहीं।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं आपसे कह रहा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब बढा दिये होंगे। आधा नम्बर।

श्री हरिश्चन्द्र : जहां तक मेरी सूचना है मैं यह कह रहा हूं। फिर मैं और विशेष जानकारी करके........

(२.३३ म. प.)

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पुनः पदासीन)

देख लूंगा। तो अध्यक्ष महोदय, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं.......

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, हम दूसरों से इन्क्वायरी नहीं चाहते। माननीय मन्त्री जी स्वयं ही इसे देख लें। उनकी स्वयं की आत्मा में विश्वास हो जाय कि इसके पीछे टोटलिंग जो हुआ और उसके आधार पर जो प्रोमोशन और रिविज़न हुआ उसमें किसी भी प्रकार से भी ज्यादती नहीं की गई है, यह वे कह दें। मैं यह चैप्टर यहीं क्लोज़ करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आत्मा में विश्वास।

श्री हरिश्चन्द्र : जिस तरह से यह क्वेश्चन पोज़ किया गया है यह मेरे लिए....

Page No 78

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एम्बेरेसिंग है........

श्री हरिश्चन्द्र : एम्बेरेसिंग रहता है। इस वास्ते कि मैं इस चीज को मान कर चलता हूं कि इसमें कोई भी कहीं पर भी मैल फाइडी इन्टेन्शन से कुछ किया गया हो, ऐसा नहीं है। क्यों ? मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूं कि जो फाइनल रिकमण्डेशन हमारे पास आई, बावजूद मार्कशीट के, उसमें चारों के दस्तखत थे, तो अगर मैलाफाइडी इन्टेन्शन होता तो चारों के दस्तखत फाइनल रिकमण्डेशन पर नहीं होते। इस वास्ते जो फाइनल मार्कशीट थी इसके बावजूद फाइनल रिकमण्डेशन पर चारों के दस्तखत उसमें हैं।

अब रह गया कि मार्कशीट में जैसा आपने कुछ कहा कि टोटल जब करते हैं तो टोटल आती नहीं, टोटल गलत है। उसके बारे में जहां तक मेरी जानकारी है, मैं कह सकता हूं कि जो मार्क्स बताये गये हैं उन मार्कशीट में और ओरीजिनल मार्कशीट में तफावत है। अगर ओरीजिनल मार्कशीट को देखेंगे तो उसमें टोटल वही आवेगा जो उसमें दिया है। इस वास्ते इन सारी चीजों को देख कर मैं यह विश्वास करता हूं कि मैलाफाइडी काम नहीं हुआ है। ताहम भी मैं स्वयं इस केस को और देख रहा हूं, कोई बात ऐसी नजर आवेगी तो जरूर उस पर कार्यवाही होगी।

अब और कुछ इस समय अर्ज नहीं करना चाहता। सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान जिस प्रगति की ओर चल रहा है और जिस तरफ तरक्की करते हुये हम तेजी से बढ़ना चाहते हैं उसमें आपका सबका सहयोग चाहते हैं ताकि राजस्थान की जनता की आर्थिक स्थिति दृढ़ हो और हम जो हैं, जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक राजस्थान की प्रगति कर सकें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमन् राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण इस सदन में दिया, उस पर पिछले चार-पांच दिनों से काफी वाद-विवाद हो रहा है। वाद विवाद के दौरान सदन के अनेक माननीय सदस्यों ने इस राज्य के विकास को ध्यान में रखते हुये अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये।

विरोधी दल की तरफ से इस राज्य के विकास को दृष्टि में रखते हुए अनेकों बातें सदन में प्रस्तुत की गईं।

बहस के दौरान कांग्रेस की तरफ से माननीय सदस्यों ने लोकतन्त्र के स्वस्थ विकास की दृष्टि से इस बात की शिकायत की और कल जब माननीय योजना मंत्री का भाषण सुन रहे थे हम तो उन्होंने भी इस बात की शिकायत की कि विरोधी दल के लोग सरकार की टीका अधिक करते हैं, सरकार की प्रशंसा नहीं करते, सरकार को एप्रीसियेशन नहीं देते।

वैसे यह बात तथ्य और व्यवहार से विपरीत है। जहां भी आवश्यक होता है और जब भी सरकार ने ऐसा काम किया है जो काबिल तारीफ था या है, तो मैं समझता हूँ विरोध पक्ष ने उसकी तारीफ की है, उसकी ताईद की है। लेकिन सरकार के द्वारा यह

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अपेक्षा रखना और विरोधी दल के द्वारा उठाये गये मुद्दों को यह कहकर टालना, मैं समझता हूं कि लोकतन्त्र के मूल सिद्धान्तों के विपरीत है।

यह बात सही है अध्यक्ष महोदय, कि इस लोकतन्त्रीय शासन पद्धति में विरोधी दल का जो रोल है उसके बारे में एक तरफ से सभी अच्छी तरह से जानते हैं। मैं थोड़ा इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं, उदाहरण देकर; कि मानो माथुर साहब, अध्यक्ष महोदय, किसी नाई की दूकान पर हजामत बनवा कर आये। हजामत कितनी भी अच्छी बनी हो, पर अगर फिर भी वे किसी को दिखावें कि मेरी हजामत कैसी बनी है और देखने वाला यह कहे कि और तो ठीक है, पर मूंछें आधी काट दी, आधी नहीं काटीं और यह सुनकर अगर माथुर साहब कहें कि तुमने तो तारीफ नहीं की मेरी, नाई यह कहे कि मेरी तारीफ नहीं की, शेव अच्छी बनाई है, मालिश अच्छी की है,पर क्या है कि आधी मूंछें काट दीं आधी नहीं, तो यह कहना और बताना जिससे पूछा गया उसका परम कर्त्तव्य हो जाता हैं कि वह यह बतावे। बाकी सब कुछ ठीक है। पर आपकी आधी मूंछें खराब हैं। अब धोबी कितना ही अच्छा कपड़ा धोकर लावे, टिनापोल लगाकर लावे, पर अगर उस पर प्रेस नहीं है तो क्या काम का धोबी अगर कहे कि मैंने तो बहुत अच्छा धोया है, टिनापोल लगाया है; पर अगर उस्तरी नहीं की है तो यह कहना उसका कर्त्तव्य हो जाता है और इसी भावना से प्रेरित होकर लोकतन्त्र के मौलिक सिद्धांतों के आधार पर विरोधी पक्ष का यह परम कर्त्तव्य है कि शासन में हो रही गलतियोंको सदन में लावे, जनता के सामने और शासन के सामने रक्खे।

इसी भावना के आधार पर उसी से प्रेरित होकर विरोधी पक्ष अपने कर्त्तव्यों को निभाता आया है और शासन की गलतियों को सदन के सामने रखता आया है। शासन को वह स्वयं रुख अपनाना चाहिए कि उन बातों का सही रूप से जवाब दिया जाये। समाजवाद और लोकतंत्र की बातें हम सदन में करते आये हैं। हमारे यहां पिछले दस साल में राजस्थान के विकास की अनेक बातें की हैं और हम इससे कभी इन्कार नहीं कर सकते कि विकास हुआ है। कुछ सीमा तक विकास हुआ है, लेकिन उसमें जो कमियां हुई हैं उनकी तरफ सदन का ध्यान आकर्षित नहीं किया गया तो विकास की गति अवरुद्ध हो जायेगी और जिस मंजील पर हम देश को पहुंचाना चाहते हैं उस पर नहीं पहुंचा सकेंगे। यह सही है कि केवल मात्र हमेशा विकास की बातें करते रहना कि राजस्थान के मुख्य मंत्री, श्री सुखाड़िया साहब के शासनकाल में इतना विकास हुआ है और उसी के गीत गाते रहना; राजस्थान कैनाल, भाखरा कैनाल और गंग कैनाल के ही गीत गाते रहना—केवल इसी से विकास नहीं हो सकता। मैं निवेदन करना, चाहता हूं कि यह विकास करने का काम—आपने सड़कें बनाई हैं हम मानते हैं, आपने नहरें खोदी हैं हम मानते हैं, पेड़ लगाये हैं हम मानते हैं, आपने स्कूल और कॉलेज खोले हैं हम मानते हैं, आपने अस्पताल और

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

डिस्पेंसरीज खोली हैं हम इसको भी मानते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह विकास का काम करने का हर शासन का कर्त्तव्य होता है। हर शासन विकास के काम कम या ज्यादा करता है।

अंग्रेजों ने भी डाकखाने खोले, टेलीफोन लगाये, हवाई जहाज चलाये। विकास की बात कह कर अगर हम छुट्टी लेना चाहें तो मैं उदाहरण के लिए कहूंगा कि छोटी सी बात है। इतिहास का पर्चा किसी विद्यार्थी के सामने आया और वह भी ८ वीं क्लास का विद्यार्थी, जिसने इतिहास पढ़ा नहीं, साल भर तक खेलता रहा है और इम्तिहान में पर्चा आ जाये कि बताओ उस राजा ने क्या किया। लड़का क्योंकि बुद्धिमान था उसने लिख दिया कि उस राजा ने चोरों को पकड़ा, सड़कें बनवाईं, नहरें खुदवाईं, डाकुओं को पकड़ा। वह यह सारा लिख कर चला आया और १० में से ५ नम्बर मिल गये और वह लड़का पास हो गया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसलिए यह कहना कि हमारे शासन में इतना विकास हुआ है और हमारे शासन में ही विकास हुआ है और दूसरों के राज्यों में नहीं हुआ, यह गलत है। दूसरे, शासन की अपनी नीतियां थीं, अपने स्रोत थे, आर्थिक स्रोत थे और इकोनोमिक रिसोर्सेज़ थे। देश को कर्जा नहीं मिलता था और दुनिया इतनी छोटी थी कि साधन नहीं थे इसलिए विकास की गति स्वाभाविक रूप से उतनी नहीं हो सकती थी। देश के आजाद होने के बाद देश जो पिछड़ा हुआ था उसके विकास के चरण आगे बड़े थोड़े और मैं समझता हूं कि सन् ४७ के बाद कोई भी पार्टी गद्दी पर बैठी होती तो वह अपने ढंग से विकास करती। विकास की गति में जो कमी आ आ रही है, जो बाधा है, जो गलतियां हैं उन पर अगर हमने विचार नहीं किया तो हम सही रूप से अपना कर्त्तव्य नहीं निभाते। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज सदन में केवल यह कहना सुखाड़िया साहब के बारे में कि दस वर्षों में उन्होंने जो काम किये और राज्य ने जो प्रगति की उसकी बड़ी भारी तारीफ और प्रशंसा वे करायें, कहीं पुस्तिका छपवायें, कहीं सोवेनियर निकलवायें, चांदी की शील्ड ली है वह लें; मुझे आपत्ति नहीं, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि देश के प्रधान मंत्री, श्री जवाहरलाल जी नेहरू, जिन्होंने देश में १७ वर्ष तक शासन किया, जो कि हमारे पहले और अंतिम ऐसे प्रधान मंत्री थे कि देश की आजादी के बाद से मृत्यु पर्यन्त तक जो प्रधान मंत्री बने रहे, जिनकी पर्सोनेलिटी के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, जिनकी निष्ठा और इन्टीग्रिटी के बारे में कोई एक शब्द नहीं कह सकता, उस व्यक्ति ने भी १७ वर्ष तक इस देश में स्वराज्य करने के बाद कोई चांदी की शील्ड नहीं ली। वह आदमी सही माने में डेमोक्रेटिक माइन्ड का था, इसलिए उसने कभी नहीं सोचा कि नेहरू का देश पर शासन है; उसने केवल यही विचार दिया कि कांग्रेस ने देश पर राज्य किया है। कांग्रेस को शील्ड के लिए माना जा सकता है लेकिन व्यक्ति

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

विशेष और वह भी उन परिस्थितियों में कि नेहरूजी को मरे अभी साल भर भी नहीं हुआ था, में समझता हूं कि लोग उनके नाम पर आंसू बहाते हैं लेकिन कांग्रेस के नेताओं का यह व्यवहार कैसे रहा है वह माननीय सदस्य सोचें । इसमें तो अच्छी वे विधवायें हैं कि जिनका पति मर जाये तो साल भर घर से बाहर नहीं निकलतीं, दावतें खाने का तो सवाल खड़ा नहीं होता; लेकिन जो विधवा शृंगार करे, जो चूड़ियां पहने, हार पहने, सोने और चांदी के जेवरात पहने, जो मालायें पहने और शृंगार करके सिनेमा देखे तो वह कुल्टा स्त्री हो सकती है, विधवा नहीं हो सकती । मैं कहना चाहता हूं कि एक नहीं, अनेकों अवसर हैं इन्डस्ट्रियल एस्टेट में साल भर के भीतर भीतर दावतें हुई । मैं भी वहां गया, वे भी गये और दूसरे मंत्रि-गण भी वहां पर थे । मैं कहना चाहता हूं कि विकास के सारे कार्यक्रम आपने किये हैं, विकास का आपका दस साल का युग रहा है । यह तो इतिहास बतायेगा, आगे लिखने वाले लिखेंगे और विधान सभा की सारी कार्यवाहियों का सारांश बतायेगा, माननीय सदस्यों के ये भाषण बतायेंगे, लिखने वाले बतायेंगे कि राजस्थान का विकास का युग रहा है, राजस्थान की तरक्की को बढ़ावा मिला है और उसका विवेचन करने के लिए हम यदि बैठें तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज हम बातें करते हैं सुखाड़िया साहब के विकास की; तो उनके ही युग में विकास का उदाहरण देता हूं । हमारे यहां जयपुर में मेडि-कॉलेज है, उदयपुर में भी आपने मेडिकल कॉलेज खोला है, बीकानेर में भी मेडीकल कॉलेज खोला है लेकिन शासन की व्यवस्था क्या है कि डॉक्टरी पढ़-पढ़ कर लोग निकल रहे हैं, हर साल निकल रहे हैं लेकिन नतीजा क्या है कि जयपुर शहर में जो लोग प्राइवेट प्रेक्टीशनर्स की दूकानों पर बैठे हैं वहां की हालत यह है कि मरीजों की मक्खियां उड़ रही हैं । दूसरी तरफ हमारे सदन के अनेक माननीय सदस्य गांवों की बात करते हैं तो वे बताते हैं कि गांवों में रोग फैल रहे हैं, मलेरिया चल रहा है, गांवों में मरीज मर रहे हैं । और सुखाड़िया साहब आपके राज्य की महिमा यह है कि गांवों में मरीज मर रहे हैं, डॉक्टर नहीं हैं और शहरों में डॉक्टर मर रहे हैं क्योंकि मरीज़ नहीं हैं ।

अब मैं थोड़ा सा माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बारे में कह दूं । आपने शिक्षा के लिए स्कूल खोल दिये, कॉलेजेज़ खोल दिये, यूनिवर्सिटीज़ चालू कर दीं, लेकिन आपने कभी अनुमान लगाया है कि पढ़े-लिखों की बेकारों की संख्या कितनी बढ़ती जा रही है ! एक उदाहरण मैं आपको शिक्षकों के बारे में रखूंगा । सभी माननीय सदस्यों को पता है कि राजस्थान का सरकारी शिक्षक यदि अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाये तो उसे फीस नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन वही शिक्षक खुद पढ़े तो फीस देनी पड़ती है । जरा आप व्यवस्था देखिये । मास्टर का लड़का पढ़े तो फीस नहीं, लेकिन मास्टर खुद पढ़े तो फीस देनी पड़ेगी । शिक्षक को

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ट्रेनिंग में भेजेंगे तो उससे आप फीस चार्ज करेंगे । यह किस आधार पर है ?

सारी विकास की योजनाओं की प्रगति पर विचार करें तो राजस्थान में अध्यक्ष ... मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैं देश की राजनीति की बातें नहीं करता, विकास की बातें नहीं करता हिन्दुस्तान के आजाद होने के बाद १७ वर्ष व्यतीत हो गये और देश में भाषा के सवाल पर झगड़ा होता है और झगड़ा किस बात पर होता है, कहते हैं कि हम अपनी भाषा की नीति को समझ नहीं सके । जो ऐसी ना-समझ सन्देह के आधार पर नीति समझ नहीं सकें और सैकड़ों की संख्या में लोग मार दिए जायें, मिट्टी का तेल छिड़क लें और हिंसा की घटनायें हो जायें, उसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं है ,जिम्मेदारी उनकी है जो कि शासन चलाते हैं । राजस्थान में क्या है, अध्यक्ष महोदय, हम पिछले दस साल में सुखाड़िया साहब की बात करते हैं। वे नवम्बर, ५४ में मुख्य मंत्री बने । जिस समय वे निर्वाचित हुए उस समय उनका बड़ा वेदना भरा दिल था । उन्होंने व्यासजी को गद्दी से हटाया । यह मैं उस आधार पर कह रहा हूं कि जो भाषण उन्होंने उदयपुर में दिया है । उनका दिल भर आया, लेकिन क्या किया ? राजस्थान के लोकतांत्रिक समाजवाद की जिस स्थापना की हम बात करना चाहते हैं, जिस डेमोक्रेसी की बात को लेकर चलते हैं उस राजस्थान में डेमोक्रेसी के लिए क्या किया ? डेमोक्रेसी यानी पोलिटिक्स यानी बॉडी पालिटिक्स । राजस्थान में लोकतन्त्र के विकास की दृष्टि से, राजस्थान में राजनैतिक काम करने वाले कार्यकर्ताओं को बढ़ावा देने की दृष्टि से आपने कौन सा काम किया ? आपने १६५५ में सबसे पहले सक्रिय कदम रखा । उसके पूर्व का इतिहास मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन ५५ से क्या किया ? जयपुर शहर के प्रसिद्ध कार्यकर्ता दौलतमलजी भंडारी से इस्तीफा दिलवाया गया । आपने छटनी शुरू की । उनसे इस्तिफा दिलवाया पार्लियामेंट से और आपने उनको हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया । आपने उसके बाद इन्द्रनाथ जी मोदी जो इस सदन की शोभा बढ़ाया करते थे, जो ऑपोजीशन के बड़े इम्पोर्टेन्ट मेम्बर थे उनको आपने हाईकोट का जज बनाया···

एक माननीय सदस्य : वे तो इनसे पहले हो गये थे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह भी कांग्रेस का शासन था । एक रेफरेन्स पुराना ही सही । वह इस ग्रुप का है या उस ग्रुप का, डेमोक्रैसी में जिस पर शासन का काम आया है, लोकतन्त्र को बढ़ावा देने का काम शासन सत्ता पर ज्यादा है । मैं कहना चाहता हूं कि सत्ता चलाने वाले की, यह बात सही है, इस देश में लोकतन्त्र को जिन्दा रखने की ज्यादा जिम्मेदारी है । क्या किया आपने? आपने राजस्थान के अन्दर जितने भी पोलीटिशियन्स थे, जितने भी पोलि टिकल इन्टेलेक्चुअल्स थे जो राजस्थान के स्वतन्त्र लोकतन्त्र के विकास में सहायक हो सकते थे, राजस्थान का स्वतन्त्र राजनैतिक निर्माण कर सकते थे, राजस्थान पोलिटिकल इन्टेलेक्चुअल्स

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

को लिक्विडेट करना शुरू कर दिया। डाकुओं को लिक्विडेट करना शुरू नहीं किया, भ्रष्टाचार को लिक्विडेट करना शुरू नहीं किया, राज- स्थान को, पोलिटिशियन्स को, पोलिटिकल इन्टेलेक्चुअल्स को लिक्विडेट करना शुरू कर दिया। राजस्थान की पोलिटिक्स को दिवा-लिया बना दिया। आपने उनको हाईकोर्ट का जज बनाया। आपने गुलाबचन्द कासली-वाल को जो कि इस सदन के सदस्य थे उनको एडवोकेट जनरल बना दिया। श्री वेदपाल त्यागी को जो कि विरोधी दल में बैठे हुए थे और जो कि विरोधी दल का जीवन थे उनको हाईकोर्ट का जज बना दिया। आपने चन्द्रभान भार्गव को हाईकोर्ट का जज बना दिया। आपने कांग्रेस कार्य-कर्त्ताओं को ही बनाया है, यह मैं शिकायत नहीं करता। वह एक अलग पक्ष है, लेकिन राजस्थान की पोलिटिक्स में जिनका कन्ट्री-ब्यूशन था, जो राजस्थान के राजनैतिक जीवन में जान डाल सकते थे, ऐसे अनेकानेक लोगों को लिक्विडेट करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं जो आपके सहयोगी थे, जो आपके अन्दर थे उनके साथ किया हो ऐसा नहीं है, सुखाड़िया साहब। जो आपके विरोधी पक्ष में कांग्रेस में लोग थे उनके साथ ही ऐसा किया हो, यह नहीं लेकिन कांग्रेस के अन्दर जो लोग थे उनको लिक्विडेट किया, व्यासजी को आपने लिक्वि-डेट किया, शास्त्रीजी को लिक्विडेट किया, पालीवालजीको लिक्विडेट किया, कुम्भारामजी को लिक्विडेट किया, मथुरादासजी को लिक्विडेट किया।

एक माननीय सदस्य: ये दो तो अभी बैठे हुए हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: सबको लिक्विडेट करते चले गये और कोई यह कह सकता है कि रास्ते के सब कांटे हटाते हुए आगे बढ़ते हुए आप चले गये। कभी जाटों का सहयोग लिया, कभी राजपूतों का सहयोग लिया।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : दो जो यहां बैठे हैं उन दो का तो यहां रीइन्स्टेटमेंट हुआ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: जहां तक नाथूरामजी का सवाल है वे कितने कट्टर विरोधी थे। इस्तीफा दे दिया, धमकी दे दी। वे कट्टर विरोधी हुए और कट्टर विरोधी होने से उनको अमे-रिका सैर कराने ले गये, आस्ट्रेलिया ले गये और वहां घुमा, फिरा कर भगवान जाने किस क्लब में ले गये और क्या किया, वही जानें। जैसे अयूब गया था पाकिस्तान का और वहां पर स्वीमिंग पूल में जैसे कीलर ने स्नान कराया था वैसे न मालूम क्या किया उसमें मुझे नहीं जाना चाहिए, लेकिन इनको ले गये, घुमाने ले गये। उसके बाद नाथूराम जी को देखिये। इनका भाषण सुनिये। जब सदन में सब बैठे रहते हैं तो माथुर साहब का भाषण होता है और जब सदन में से सब चले जाते हैं तब नाथूरामजी का मूड होता है। वे सुखाड़ियाजी की तारीफ करते रहेंगे। अब आप देखेंगे कि पिछले दिनों से कैसे बन गये कि अपनी बगल में दबा लिया। उन्होंने इस तरह के ब्लॉक खड़े कर दिये हैं जैसे एक खेल हुआ करता है,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जहां दो आदमी साथ होते हैं उसमें जब तक आदमी रह जाय तो वहां आउट नहीं होता है। तो इस तरह के ब्लॉक्स खड़े किये खेल के मैदान के कि कभी राजपूत ब्लॉक को बगल में दबा लेते हैं तो आउट नहीं होते हैं और कभी जाट ब्लॉक को दबा लेते हैं तो वह आउट होता रहे। यह जो स्ट्रेटेजी आपने राजस्थान में कम्युनल लेवल पर पैदा की है वह आपके ही हित में हो सकती है। आप स्वयं १० साल तक शासन चलायें। यह बात सही है कि आपकी कुछ बातों की तारीफ लोग किया करते हैं। कई यह कहते हैं कि आपकी मुस्कराहट ऐसी है जो लोगों को खा जाती है। इसलिए लोग कहते हैं कि इनको कुछ कहना हो तो इनकी तरफ देख कर मत बोलो क्योंकि इन्होंने गले पर मुस्करा कर हाथ धर दिया तो वह गये ! ऐसा है, एक तरीका है। आपका ज्वाला-प्रसादजी कितना ही क्रिटिसिज्म करें लेकिन उनको बाहर वे यही कहेंगे कि बहुत अच्छी स्पीच दी है और वे फूल जाते हैं, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की पोलिटिक्स ने यह जो सिलसिला चल रहा है यह सिलसिला बहुत ही घातक होने वाला है। राजस्थान की कांग्रेस के लोगों के साथ में यह सिलसिला चले तो राजस्थान के अन्दर कांग्रेस की इन्टरनल पोलिटिक्स की यहां पेशकश करने मैं नहीं बैठा हूं लेकिन बैलेन्स आफ पावर मैन्टैन करने में चतुर हैं। इन्टरनली कांग्रेस में भी डिस्पोटिज्म पैदा कर रहे हैं और डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है। विरोधी पक्ष के साथ जो व्यवहार किया जाता है उसके बारे में कई तरह की शिकायतें सदन में पेश हुई हैं। राजस्थान में १० साल में जो आपने काम किया है मैं कह सकता हूं कि वह आपने राजस्थान के पोलिटिशियन्स को लिक्विडेट करने की कोशिश की है और राजस्थान की राजनीति में जो इतने अच्छे रूप से विकास में सहायक हो सकते थे उन लोगों के लिए धीरे धीरे ऐसा वातावरण राजस्थान में पैदा कर दिया कि राजस्थान की राजनीति में गुण्डाइज्म रह सकता है, राजनीति में खराब लोग ही रह सकते है, उसमें राज–स्थान के अच्छे लोगों का काम नहीं है। यह १० साल में आपने किया है।

अध्यक्ष महोदय, अनेक बार इस सदन में यह आया है कि कैसे लोगों को वे संर–क्षण देते हैं, कैसे लोगों को उन्होंने पाल रखा है। मैं उन सारी बातों की ओर जो आपने १० सालों में किये है, आपके सारे कारनामों के ऊपर मैं सदन को ले जाना नही चाहता जो कि वक्तनफवक्तन सदन के सामने आई हैं। जिन पर कि आपका ध्यान आकर्षित किया गया, लेकिन जिन पर आपने कोई कार्यवाही नहीं की। मैं उन सारी बातों में जाना नहीं चाहता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक ताजा मामला। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूंगा कि हरिदेवजी जोशी की शिकायत भैरोंसिहजी ने कर दी; एस० के० डे ने जो जमीन ली उसके बारे में ३ बार मैं सदन में शिकायत कर चुका हूं, लेकिन जांच नहीं करा रहे हैं। हरिदेवजी जोशी की जांच कराने को तैयार नहीं हैं क्योंकि हरिदेवजी आपके साथ हैं। अगर वे साथ छोड़ दें तो एन्क्वायरी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

भेज दें। राजनैतिक गुरू जिन्हें, आप मानते हैं उनके खिलाफ एन्क्वायरी भेज दी लेकिन एक सेन्टर का मिनिस्टर जमीन खा जाय, डांगीजी का बेटा जमीन खा जायें, रूपाराम-पुरा में कुम्भारामजी जमीन खा जायें, भीखाभाई की बीछी जमीन खा जाये उनकी जांच कराने को आप तैयार नहीं, क्योंकि वे आपके साथ चल रहे हैं।

डांगीजी का मामला सदन में भैरोंसिह जी ने रखा है और उस मसले को नैतिकता के आधार पर उन्होंने रखा। यह रखा कि कैरों का हत्या-काण्ड हुआ। ६ फरवरी को कैरोंजी की हत्या हुई दिल्ली से १८ मील दूर। उस हत्या के दौरान में सनसनीखेज बातें सदन के सामने रखीं कि डांगीजी को वहां से भागना नहीं चाहिए था और रिपोर्ट करना चाहिए था। यह राजस्थान के उप-मंत्री को शोभा नहीं देता है, यह परम्परा नहीं है, नैतिकता के खिलाफ है। तो सुखा-ड़ियाजी ने खड़े होकर यहां सदन के सामने यह रखा है कि इसकी पंजाब पुलिस ने जांच कर ली है और जांच करने के बाद क्या नतीजा निकला कि अपने काम को डांगीजी ने देखा नहीं कि यह उनकी नैतिक जिम्मेदारी ही थी या कानूनी भी जिम्मेदारी थी। वे केवल नैतिक मुलजिम ही नहीं थे। में सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न इतना हल्का नहीं है। कैरों के हत्याकाण्ड के सिलसिले में जैसी कि हिन्दुस्तान की सारी पुलिस लगी हुई है, नन्दाजी और शास्त्रीजी जिसके बारे में चिन्तित हैं, सारे हिन्दुस्तान की, पंजाब पुलिस राजस्थान और केन्द्र की पुलिस छोड़ी हुई है, जहां सारा इन्वेस्टिगेशन हर लेवल पर हो रहा है, उस सारे इन्वेस्टी-गेशन के बारे में,.... उस केस के महत्व के बारे में और उसमें राजस्थान का डिप्टी मिनिस्टर

(३ म० ५०)

उसका नैतिक पक्ष छोड़ दीजिये उसका व्यवहारिक पक्ष भी सदन में आया है, मैं सारे फेक्ट्स में नहीं जाना चाहता लेकिन एक बात सही है, स्वयं डांगीजी ने सदन में स्वीकार किया है उससे इन्कार नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि मैं आधा घंटा बाद वहां पहुँचा, १ बजे पहुँचा, १२ बजे कृषि मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी से बात करके पहुंचा। आखिर यह क्रिमिनल केस है। आपको मालूम है विधि मंत्री जी जानते हैं, क्रिमिनल कैसेज में ऑफेन्सेज होते हैं, थ्योरीज होती हैं उनका इन्वेस्टिगेशन होता है, पंजाब में हलचल मच रही है, कोई कहता है पोलिटिकल मर्डर है। सदन में कहा गया कि दरबारा-सिहजी और राजस्थान के कुंभारामजी में मित्रता है। मर्डर का चार्ज उन पर भी लगता है, मैं यह नहीं कहना चाहता लेकिन इसका एक कानूनी पक्ष है उस पर सदन में विचार करना चाहिये। यह बात सही है कि कोइएन्सिडेन्स होता है, घटनाएं ऐसी होती हैं कि चोरों का सुबूत नहीं मिलता, जूतियां मिलती हैं, उनसे चोरों का पता लग जाता है। कभी कभी पंजाब के मंत्री दरबारासिंह जी के स्टेटमेन्ट आते हैं लेकिन अब तक राजस्थान के मंत्री कुंभारामजी का नहीं आया, खैर मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता। मैं दूसरी बात कह रहा था, आखिर १ बजे आप वहां पहुँच गये,ये कहते हैं १ बजे

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पहुंचा वहां पर ४ पुलिस के सिपाही मौजूद थे........

एक माननीय सदस्य : ३ थे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उन्होंने तीन या चार कहा है, इसलिये मैं उनकी चार की बात मानकर चलता हूं ।

श्री दिनेशराय डांगी (उप-मंत्री, सिंचाई) : प्रोसिडिंग्ज़ देख लीजिये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उन्होंने कहा है कि तीन या चार सिपाही वहां पर मौजूद थे । यह आपके भाषण की प्रति है इसमें, आपने कहा; कि ३ या ४ सिपाही मौजूद थे । जब भैरोंसिंह जी ने कहा कि वहां पर कौन थे तो आपने कहा कि ३-४ सिपाही थे । मैं कहता हूं वहां ४ सिपाही मौजूद थे, आप १ बजे वहां पहुंचे और आपको उन्होंने कहा कि कैरों की हत्या हो गई । उनके यह कहने के बाद आपने गाड़ी की झंडी बंद करने के बाद उनके प्रति मृतात्मा के प्रति श्रद्धा प्रदर्शित की और आगे बढ़ गये । जब उन्होंने आपसे कहा कि कैरों की हत्या कर दी, उसके बाद आपने जाकर पुलिस स्टेशन को जानकारी नहीं दी । यह एक नैतिक पक्ष उन्होंने रखा, लेकिन जानकारी नहीं दी तो उसका कानूनी पक्ष भी हो सकता है । कानूनी पक्ष क्या हो सकता है, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं । इस थ्योरी के दो पक्ष हैं । एक तो हिन्दुस्तान में आज तक जितने इन्वेस्टिगेशन इस सिलसिले में हुए, पेपर के कटिंग्ज़ जितने हैं उनमें से मैं स्टेट्समैन के एक कटिंग का पोर्शन, जिसमें लिखा है कि पुलिस कब पहुंची वह आपके सामने पढ़ना चाहता हूं ।

"Curiously, for nearly an hour after the shooting no one informed the police; nor did any passing motorist stop. It was only after some time that the Sarpanch of the village went to the Rai police station nearby. The police reached the spot at 1.45. By that time the assis--ins had made good their escape."

पुलिस पहुंची है १.४५ पर । अब हिन्दुस्तान में जो इन्वेस्टिगेशन्स हुए हैं उनके आधार पर हज़ारों लोग कहते हैं कि पुलिस पहुंची १.४५ बजे और राजस्थान के एक उपमन्त्री कहते हैं कि पुलिस की वर्दी पहने चार आदमी १ बजे वहां पर मौजूद थे; तो कहना चाहिये कि सारे इन्वेस्टिगेशन्स झूठे हैं, हिन्दुस्तान की पुलिस और सी.आई.डी. झूठी है और यदि इनका स्टेटमेन्ट गलत है, ये गलत हैं तो ये क्यों झूठ बोले सदन में ? इसके परिणाम पर सोचा है क्या ? मर्डर केस में यदि कोई झूठा बयान करता है, फाल्स इम्पोज़ीशन करता है, फाल्स एविडेन्स देता है तो उसका परिणाम क्या है ? सूचना नहीं देना एक जुर्म । सूचना गलत देना दूसरा जुर्म । सूचना गलत दी सदन में तीसरा जुर्म । हो सकता है, अपनी जान बचाने के लिये गलत कहा हो; कह तो दिया, लेकिन उसके परिणाम पर नहीं गये । एक पक्ष है सूचना नहीं दी तो क्या जुर्म बनता है ? नैतिकता को छोड़ दें, कानूनी पक्ष पर आवें तो इस सिलसिले में कोड ऑफ क्रिमिनल

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

प्रोसीजर है उसकी धारा ४५ कहती है, कोई भी हत्या हो जाय, घटना हो जाय तो उसकी सूचना गांव के नम्बरदार, पटवारी, बिस्वेदार, नायब तहसीलदार, तहसीलदार को देनी होगी । इतना ही नहीं आस-पास की जमीन के मालिक भी इत्तला देंगे और धारा ४४ कहती है :

"Every person, whether within or without the presidency towns, aware of the Commission of, or of the intention of any other person to commit any offence punishable under any of the following sections of the Indian Penal Code............ forthwith give information to the nearest Magistrate or police officer of such commission or intention."

आगे सेक्शन दिया है जिसमें ३०२ का भी जिक्र है :

"जुर्म हो जाय, हत्या हो जाय, हत्या होने वाली हो, जो जुर्म ध्यान में आया है उसकी सूचना मजिस्ट्रेट को देनी होगी ।" आपके कानून में लिखा गया जुर्म किया हो यह जुर्म की किताब नहीं है वह किताब दूसरी है । जुर्म की किताब क्या कहती है उसको कहने से पहले यहां इस बारे में अध्यक्ष महोदय, एक १९५६ की हैदराबाद की ऑथोरिटी है सैक्शन ४४ की, जो कहते हैं" जो आदमी सूचना नहीं दे उसके बारे में क्या कहा है उसमें यह देखिये: "Such a Person is practically a consenting party to the crime and an accomplice and though a conviction can be based on the uncorroborated testimony."

श्री मथुरादास माथुर : पेज नंबर बता दीजिये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पेज मैं काहे को बताऊं ।

(विराम)

अच्छा बता देता हूं । मैंने सारी रूलिंग्ज़ अध्यक्ष महोदय को एडवान्स में भेज दी है ।

श्री मथुरादास माथुर : उसमें पेज नंबर नहीं लिखा है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पेज १००. यह एक केस था, मैं निवेदन करूं.

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या सर्कमस्टान्सेज थे उसके ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरे पास समय का अभाव है । पहले मैं प्राइमाफेसी केस रखना चाहता हूं । यदि वे चाहते हैं तो मेज़ पालियामेन्टरी प्रेक्टिस भी लाया हूं उसके अनुसार क्या होना चाहिये, यह मैं आखिर में बताऊंगा । लेकिन कानून की दृष्टि से, कानून की नजर में मुलजिम है, अपराध किया है, अपराधी है, केवल मात्र इतना सा साबित करना सदन के सामने मेरा काम है । अध्यक्ष महोदय, इसके बाद एक ऐसा भी केस था जिसमें बेटे का मर्डर हुआ और बाप ने उसकी सूचना नही दी तो बाप पर भी केस चलाया जा सकता है और यह ऑथोरिटी इस बात को कोट करती है यह १९६४ का हिमाचल प्रदेश का है, पेज ६७ है । धारा ४४

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

क्रिमिनल कोड के अनुसार सूचना देना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि यदि सूचना नहीं दी जाय तो अध्यक्ष महोदय, मैं साथ में निवेदन करना चाहता हूं कि धारा २०२ है उसके अंतर्गत यह जुर्म है। धारा २०२ इंडियन पीनल कोड कहती है :

"Whoever, knowing by or having reason to believe that an offence has been committed, intentionally omits to give any information respecting that offence which he is legally bound to give, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine, or with both."

यह मैजिस्ट्रेट की मर्जी पर है कि लिहाज करके जुर्माना न करे और सजा दे दे। धारा २०२ में इसको पनिशेबल माना है। नम्बरलेस ऑथोरिटीज मेरे पास मौजूद हैं, उनको बता कर सदन का समय जाया नहीं करना चाहता। लेकिन सेक्शन २०२ में सूचना नहीं देते हैं तो ६ महीनों की सजा मिल जाती है, इससे ही पिंड छूटता। लेकिन सदन में जो बात कही गई उससे तो सारी एविडेन्स को टेम्पर-विथ किया गया है, फाल्सिफाई किया गया है। एक आदमी अदालत में कुछ कह दे, लेकिन राजस्थान की विधान सभा में अध्यक्ष का दर्जा हाई-कोर्ट के जज के बराबर होता है। यह सदन लोगों को सजायें देता है, यह हाउस है जिसकी प्रोसीडिंग्ज कोर्ट्स के सामने कोट की जा सकती हैं, स्टेटमेंट्स रेफर किये जा सकते हैं—ऐसी ऑथोरिटी के सामने राजस्थान के डिप्टी मिनिस्टर यह कहें कि वहां पर चार सिपाही एक बजे मौजूद थे। अध्यक्ष महोदय, तहलका मच गया इस समाचार से देश में, लोक सभा में एडजोर्नमेंट मोशन आया, पंजाब विधान सभा में एडजोर्नमेंट मोशन आया और लोग कहते हैं कि राजस्थान के डिप्टी मिनिस्टर ने बताया है कि एक बजे चार पुलिस वाले वहां मौजूद थे। ऑल इंडिया के अन्दर इस समाचार से तहलका मच गया। एक तहलका मच गया इनकी तीन लाइनों से और इनको मालूम नहीं कि क्या हो रहा है, जरूरत भी नहीं समझी मालूम करने की!

मैं पूछना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री ने इनका भाषण सुना, तो क्या उन्होंने उसके लीगल आस्पेक्ट्स को एग्जामिन करवाया है, क्या उन्होंने देखा है कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? इस सबको क्या आपने अपने लॉ डिपार्टमेंट से एग्जामिन करवाया है? इनका स्टेटमेंट था कि एक बजे वहां पर चार आदमी थे पुलिस की वर्दी में। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रोबेबल थ्योरी हो सकती है कानून के अनुसार। मैं कह सकता हूं कि पंजाब गवर्नमेंट के अनुसार वहां पर पुलिस दो, पौने बजे पहुंची। और इनका स्टेटमेंट सच मान लिया जाय तो एक बजे वहां पर पुलिस के सिपाही मौजूद थे। आप अखबार देखते हैं, ऐसे समाचार अखबारों में आते हैं कि लोगों ने हत्या की और हत्य करने के

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बाद गये और कपड़े बदल कर वापिस देखने आ गये कि पुलिस वाले क्या कर रहे हैं। तो श्रीमान्, वे चारों हत्यारे थे, जो आपको वहां पुलिस की वर्दी में एक बजे मिले और जिनसे आपने बात-चीत की। उन्होंने की थी हत्या। उन्होंने सूचना दी और उसके बाद चले आये वहां और आपने उन मर्डरर्स से बात की। यह एक प्रोबेबल थ्योरी हो सकती है और अगर लॉ मिनिस्टर साहब के मना करने से भी कुछ नहीं हो सकता और यह एस्टेब्लिश हो सकता है। मैं कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी से कि जब आपको यह कह दिया गया था कि एक बजे पुलिस के चार आदमी वहां मौजूद थे तो आपने क्यों नहीं सूचना दी पुलिस को, पंजाब गवर्नमेंट को आपने क्यों नहीं इन्फोर्म किया ? आप अखबार तो पढ़ते ही हैं और उसमें यह सूचना है कि पंजाब पुलिस वहां पर पहुंची पौने दो बजे और ऑफिसर पहुंचे छः बजे, जब कि आपके डिप्टी मिनिस्टर ने एक बजे वहां पर चार पुलिस के आदमी होने की बात कही तो क्या आपने पंजाब गवर्नमेंट को इन्फोर्म किया, सेन्ट्रल गवर्नमेंट को यह इन्फोर्म किया कि हमारे डिप्टी मिनिस्टर कहते हैं कि वहां पर चार आदमी थे एक बजे। लेकिन आपने नहीं कहा जब कि आपकी यह जानकारी में आ गया था और ऐसी स्थिति से जो फाल्स ऐवीडेंसेज हुई उसके सम्बन्ध में आप जिम्मेदार हैं। और यह आपकी जिम्मेदारी इसलिए है कि आप ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं। इसके साथ ही, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि हमेशा कत्ल करने वाला आदमी ही कातिल होता है, लेकिन उस कत्ल पर पर्दा डालने वाला आदमी भी उस कातिल से कम नहीं होता कानून की नजर में। आपकी जानकारी में था, आपकी नोलेज़ में था और राजस्थान के मुख्य मंत्री को यह नोलेज हो गई थी, फिर भी अपने इस सदन में कहा था कि यह चीज बिल्कुल गलत है और पंजाब गवर्नमेंट ने उसकी जांच कर ली है। पंजाब पुलिस के सामने केस गया था, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता और लुधियाना में आपकी कार पकड़ी गई थी और वहां क्या हुआ, दिल्ली से वहां पर ये क्यों गये, आपके साले के लड़के को कार में बैठा कर क्यों ले गये, सरकारी कार का दुरुपयोग किस तरह से हुआ– ये सब अलग प्रश्न हैं, अलग पक्ष है। लेकिन यह सही है कि वह ऑफिशियल विज़ीट नहीं थी...

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : नर्गिस का नाच देखने गये थे। नर्गिस बार बार नहीं आती।

एक माननीय सदस्य : वह बहाना था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस आदमी का कन्डक्ट कानून की नजर में क्रिमिनल का हो, जो आदमी कानून की नजर में मुजरिम हो, उस आदमी को अपनी सरकार में, अपने शासन में आप रखें, यह शोभा की बात नहीं है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, ऐसे आदमी के बारे में यह सदन विचार करे, भले ही कानूनी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पक्ष को छोड़ दे, उसे विधि मंत्रीजी एग्जामिन करें, लॉ डिपार्टमेंट से इस पक्ष को एग्ज़ामिन करायें, इस सम्बन्ध में कोई कमीशन बैठायें या इनके खिलाफ केस रजिस्टर किया जाय और उसके बाद इन सारी धाराओं के अन्डर में इनका चालान किया जाय। लेकिन यह सदन क्या करे? इस सदन के सदस्य सोचते हैं कि बहुत बुरा हुआ है, मिस-कन्डक्ट हुआ है, अनरिलायेबल कन्डक्ट हुआ, मिसबिहेविंग कन्डक्ट है जैसा कि इस सदन के एक सदस्य के द्वारा नहीं होना चाहिए, तो सदन क्या करे, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ क्या हो? तो, अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं निवेदन करूंगा, कि एक बार ऐसा ही मसला हाउस ऑफ कामन्स में आया था। एक बार क्या हुआ था, अध्यक्ष महोदय, हाउस ऑफ कॉमन्स में कि एक फ्लोइड केस, ६० का मशहूर है, उसमें क्या हुआ :

"Floyde had spoken offensive words concerning the daughter of James I and her husband."

यह इतना ही हुआ था। फिर क्या हुआ :

"In this there was no breach of parliamentary privilege. Yet the Commons took cognizance of the offence and sentenced Floyde to pay a fine of 1000......"

१५ हजार रुपये के लगभग। कोई दिक्कत नहीं है। बाली में आपका बंगला बना है सरकारी खर्च से वह नीलाम हो सकता है। एण्ड! इतना ही नहीं है। पहला एण्ड माफ किया जा सकता है तो दूसरा पानिशमेंट सदन इनको दे :"......and to stand twice in the pillory and to ride backwards on a horse's tail in his hand."

श्री रामकिशन (वैर) : यह परम्परा यहां की नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : घोड़े पर औंधे बिठायें और घोड़े की पूंछ इनके हाथ में दें—यह सजा भी दी गई है हाउस ऑफ कामन्स में....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : यह घोड़ों की जगह गधा हो जाय।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : गधे पर काला मुंह करके बैठाना चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सदन के विचार करने का सवाल है और मुख्य मंत्रीजी इस सम्बन्ध में विचार करें कि कौनसी कार्यवाही उनके खिलाफ करनी चाहिये। और अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपसे भी निवेदन करूंगा कि इस डेमोक्रेसी की रक्षा करना आपके हाथ में है और इस सम्बन्ध में आपको जो कार्यवाही करनी है वह अवश्य करेंगे। सारी रूलिंग्ज़ और सारे लॉ पोइंट्स को देख कर सदन के लिए यह शोभा की बात नहीं है कि ऐसा व्यक्ति सदन में बैठे। और अच्छा तो यह

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हो कि ये इस्तीफा देकर चले जायं। अगर नहीं जायं तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इनके बारे में मुख्य मंत्री जी आपकी जानकारी में सब कुछ है; मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं ऐसे चार्जेज़ इस सरकार के एक डिप्टी मिनिस्टर के खिलाफ लगा रहा हूं और वह भी उस मिनिस्टर के खिलाफ जो शिड्यूल्ड कास्ट का है, इससे मेरे दिल में भी वेदना होती है लेकिन मैं अपने कर्तव्य के कारण मजबूर हूं, राजस्थान के एक मंत्री की, शासन के एक मंत्री की इस राजस्थान की विधान सभा में और राजस्थान के कर्मचारियों और अधिकारियों में चर्चा चलती है, जिन घटनाओं का भैरोंसिहजी ने जिक्र किया था, उसी तरह की जो और घटनायें हैं उनकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आप चाहें तो मैं एक बात कहना चाहता हूं-कि इस तरह के एक नहीं अनेक कारनामें हैं, जिनका आपको भी पता है, ऐसा मंत्री राजस्थान मंत्रिमण्डल में रहे कि जिस अखबार के खिलाफ अदालत में केस चलाया गया और प्रोसीक्यूशन चलाया गया, वह अखबार आपकी नजर में गिरा हुआ है, वह अखबार आपकी नजर में बढ़िया नहीं है, अध्यक्ष महोदय, उन अखबारों को एडवर्टाइजमेंट दिलाया जाय और उसके लिए आपके डिप्टी मिनिस्टर सिफारिश करें; एक करवट अखबार है, जिसके बारे सरकार ने केस चला रखा है, जिसके खिलाफ प्रोसीक्यूशन चल रहा है, उस अखबार के लिए डांगी साहब ने चिट्ठी लिखी है उम्मेद मिल्स, पाली के चीफ ऑफिसर के नाम :

"That the desired advertisement may please be given for the full page at the rate of Rs. 200/-"

अब बताइये, ऐसा संरक्षण दिया जाय और यह कार्यवाही होती रहे और यह सदन उन पर शांत रहे ! यह सदन का अधिकार है........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : यह पेपर रेफर किया है, इसको सदन की मेज पर रख दिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय कहेंगे तो रख दूंगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं भी कहूं तो आपको रखना होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं आपका कहना नहीं मानूंगा।

श्री दिनेशराय डांगी (उप-मंत्री, सिंचाई) : इसमें अमाउन्ट लिखा हुआ है, यह आप झूठ बोल रहे हैं। एज़ डिजायर्ड है। यह भी बता दूं कि यह ड्रॉ नहीं हुआ है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : एक बात, अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं। यह डिप्टी मिनिस्टर की हैसियत से लिखा है या व्यक्तिगत हैसियत से लिखा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह मान लिया है। He has admitted.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : वे तो चौबीस घन्टे डिप्टी मिनिस्टर हैं।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह खुशी की बात है कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है। अब ड्रॉ हुआ है या नहीं हुआ........

श्री दिनेशराय डांगी : कौनसी तारीख का है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : १-४-६४ का है। और हुक्म है हुक्म ! एट लीस्ट २००। जब मुरलीधर जी ने पूछा था कि क्या यह सही है कि आपकी गाड़ी में बसन्तकुमारी जी भी थे या नहीं, तो उन्होंने कहा-थे; कहिये आपको क्या करना है ? सुखाड़िया साहब हमेशा यहां पर नहीं बैठे रहेंगे। आप कहते हैं, क्या करना है ! प्रतापसिंह कैरों जैसे व्यक्ति भी चले गये, और आप कहते हैं, क्या करना है ! प्रतापसिंह कैरों चीफ मिनिस्ट्री से हटने के बाद रोते रहे कि मेरी बीबी-बच्चों ने मुझे मरवा दिया। और अब सुरेन्द्रसिंह कैरो कहते हैं कि हमारी सारी जमीन-जायदाद राष्ट्र द्वारा ले ली जाय। और प्रतापसिंह कैरों के ऊपर जो दास कमीशन की रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट पर कुछ अधिकारियों के खिलाफ फोलो-अप कैसे हो रहें हैं ? आप यह मत समझिते कि राजस्थान कोई सुखाड़िया साहब की जागीर है और उनकी हुकूमत हमेशा रहने वाली है। यह हो सकता है कि कांग्रेस की हुकूमत रहेगी। यह लोक-तंत्र है और सुखाड़िया साहब के जाने के बाद मथुरादास माथुरजी की सरकार आयेगी या कुम्भाराम जी की सरकार आयेगी। दोनों में से कोई एक आयेगा। कौल साहब आने वाले नहीं हैं। उन दोनों में से कोई आयेगा तो देखो। आपके श्री मथुरादास माथुर जब होम मिनिस्टर थे तो रामरतन कोचर को गिरफ्तार करवा कर प्रोसीक्यूशन करवा दिया था, जो ए. आई. सी. सी. का और कांग्रेस का मेम्बर था। फिर सुखाड़िया साहब के पास होम चला गया, तो वह अदालत से बरी हो गये। वे बरी हो गये, यह भी आपकी हुकूमत में ही होता है। व्यक्ति बदलता है तो शासन की नीति भी उसके साथ बदलती है। यह कांग्रेस राज्य की महिमा है। जो जबर्दस्त हुआ छूट गया। आपके राज्य में छोटे से छोटा कर्मचारी छूट जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि इन घटनाओं के बारे में डांगीजी आप क्या कहते हैं ? आपने सरकारी जमीन पर कब्जा किया, बंगला बनाया और उस बंगले में सरकारी ट्रैक्टरों से काम हुआ। अगर आप इसको भी चैलेंज करते हैं तो मैं यह कहूंगा कि आप इसको सोच-समझ कर चैलेंज करिये। इसकी फोटोज़ पड़ी हुई हैं। इस प्रकार की एक बात नहीं अनेकों बातें हैं जो यहां पर नहीं कही जा सकतीं। मैं अध्यक्ष महोदय, यह कहूंगा कि आज राजस्थान में यह क्या हो रहा है ? आपने नहरें, सड़कें और स्कूलें आदि खोली होंगी, मगर इससे काम नहीं चल सकता....

श्री दिनेशराय डांगी : आपने जमीन के बारे में कहा। यह जमीन मेरे बाप के हाथ की खरीद है और मैंने लोन लेकर पैसा लगाया है। यह आपको मालूम नहीं है।

Page No 93

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

लोन क्या कोई लेता नहीं ? लोन लोग लेते हैं और लोन लेना कोई गुनाह नहीं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो जांच होगी तब पता लगेगा । मगर रूपाराम-पुरा में मुफ्त में जमीन ली है वह भी क्या आपके बाप की जमीन है ?

श्री दिनेशराय डांगी : मैंने कोई जमीन नहीं ली है । आप जांच करवा लें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये सारे मामले तो जांच के दौरान में आवेंगे । आप इसके लिये जांच कमीशन बिठवा दें ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से आज एक मसला जो सदन में कुछ थोड़ा सा आया और वह यह कि उपभोक्ता भंडार की अध्यक्षा, श्रीमती पुष्पा, उसके बारे में सरकार ने ज्यादती की । इन्डाइरेक्ट एक्शन यह कि कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट में, ट्रान्सफर एप्लीकेशन पेश हुई । मजिस्ट्रेट ने डिस्चार्ज कर दिया । बरी होकर घर चले गये । क्या यह मसला इतना ही सीधा है ? अगर यह इतना ही सीधा मसला है तो मुझे कुछ नहीं कहना है । मगर सारे केस में जो हलफनामा पेश किया वह हलफनामा कन्ट्रोवर्शियल है । उदाहरण के लिये मैं सारी बातों पर नहीं जाना चाहूंगा लेकिन एफीडेविट के बारे में जो उन्होंने कहा है आपको बताना चाहता हूँ । उन्होंने कहा है कि "Shri Kumbha Ram Arya addressed the petitioner in the following words :

"Look Less, it is not proper to challenge the Government whatever you and Bajranglal are doing this not going to harm either Mr. Sukhadiy or me. But you may be requireda to leave Jaipur. Hiralal fought against me, Jai Narain Vyas fought against us. What has been the result ? They were giants but you are a small fry. And if you dare fight against us first fight against your husband."

उसके बाद में सुखाड़िया साहब लिखते हैं :

"Of course, I dislike disputes but your attitude since a long time has not been proper. Indu (Mrs. Sukhaaia) had a talk with you, Manna Bhai (Shri Manna Lal, Brother in law of Mr. Sukhadia) consulted you, I myself advised you but you never cared for anything. You consider yourself to be the........"

कौन से मुन्ना भाई हैं, मुझे मालूम नहीं ।

एक माननीय सदस्य : इनके साला हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इनके सालेजी हैं, यह मुझे मालूम नहीं ।

"......sole guardian of truth and justice. Now you have come against Chowdharyji (Shri Kumbharam Arya) also. After all I have to run the party and the Government. You are well versed with the ways ot politics, therefore, whatever you finally decide tell Chowdharyji by this evening.

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

यह लोकतन्त्र है आपके दिमाग में ! मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या यही लोकतन्त्र है ? इस प्रकार की एक नहीं अनेक घटनाएं और अनेक एलिगेशन्स हैं। मुन्ना भाई ने दबाया या डाइरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ने उसको दबाया या आई० जी० पी० ने उसको दबाया, या चौधरीजी ने दबाया, आपने दबाया या आपकी पार्टी के लोगों ने दबाया। इस प्रकार के एक नहीं अनेक एलिगेशन्स हैं। मेलाफाइड हैं, ऐसे आरोप हल्फनामें में हैं, उनका कोई जवाब नहीं है। मैं यह किसी दूसरी कोर्ट की बात नहीं करता मैं कोई हाईकोर्ट को बात नहीं करता, कोई छोटी-मोटी अदालत की बात नहीं करता, मैं आपके सामने सुप्रीम कोर्ट का एक पेसेज छोटा सा पढ़कर सुनाना चाहता हूं। प्रतापसिंह कैरों के खिलाफ केस किया था उसके लिए सुप्रीम कोर्ट कहती है।

"In the present case it was the Chief Minister who was incharge of the Health Department in which the petitioner was employed and it was, therefore, the chief Minister as the Minister-in charge of the Health Department in which the petitioner was employed and it was therefore the Chief Minister as the Minister-in-charge of that portfolio who initiated these proceedings though the formal orders of the Ministry were issued by the Secretaries etc. of the Department. In the name of the Governor."

सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आपने किसी से कराया, चाहे डिप्टी मिनिस्टर से कराया, मगर जो आज्ञा हुई इसके लिये आप जिम्मेदार थे।

"For the purposes of the present controversy the functionary who took action and on whose instructions the action was taken against the petitioner was undoubtedly the Chief Minister and if that functionary was actuated by malafides in taking that action such action could be vitiated."

और आगे यह है।

"In the present case there were serious allegations made against the Chief Minister and there were several matters of which he alone could have personal knowledge and therefore which he alone could deny, but what was, however, placed before the Court in an answer to the charges made against the Chief Minister was an affidavit by the Secy. to Government in the Medical Deptt. who could only speak from official records and obviously not from personal knowledge about the several matters whichw ere alleged against the Chief Minister."

और इसलिए उन्होंने कहा।

"In these circumstances; it would not be proper to brush

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

aside the allegations made by the petitioner particularly in respect of those matters where they were supported by some evidence of a documentary nature, seeing that there was no contradiction by those persons who alone could have contradicted them."

यह प्रतापसिंह का है और इसके लिये उन्होंने कहा है कि चीफ मिनिस्टर का कोई हलफनामा नहीं है । उन्होंने इस प्रकार से उसको मेलाफाइडी माना है। इतना ही नहीं ।

एक ऑथोरिटी और है, सुप्रीम कोर्ट की है । आन्ध्र प्रदेश के रेडी साहब का केस हुआ, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे एलिगेशन्स लगाए जाएं और उनका जवाब नहीं या कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आए, तो इसका मतलब यह है कि वह सही है । पेज ६६२ पर है :

"Allegations of malafides and personal ill-will made against Chief Minister of the State-Petitioners stating detailed facts in their affidavits-No affidavit in reply from Chief Minister-Counter-Affidavit by Secretary rejected-Allegations against Chief Ministers held unrebutted-."

इस प्रकार के एक नहीं अनेक केसेज हैं । मैं चीफ मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं कि आपके खिलाफ जब किसी की तरफ से हलफनामा पेश किया गया, पर्सनल एलिगेशन्स लगाये, चौधरी कुम्भारामजी और सुखाड़िया के खिलाफ लगाये, मुन्नाभाई और राजेन्द्रशंकर भट्ट के बारे में और आई.जी. पी. के बारे में कोई बातें कही जावें और उन बातों का कोई कोन्ट्राडिक्शन नहीं किया जावे तो ऐसा मानकर चलना चाहिये कि चूंकि इसका कोई कोन्ट्राडिक्शन नहीं हुआ है इसलिये ये सारी बातें सही हैं और अगर ये बातें सही हैं अध्यक्ष महोदय, तो मैं समझता हूं कि ऐसे व्यक्ति, जो एक महिला की इज्जत छीन कर अदालत से अपने आप को डिस्चार्ज कराते हैं और ऐसे व्यक्ति एक चांदी की शील्ड हासिल करें और मुख्य मंत्रीजी यह कहें कि मैंने राजस्थान का विकास किया है; अगर आपने विकास किया है तो किया होगा और कोई भी होता वह करता । मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विकास इस प्रकार के काले धब्बे हैं उनको अगर नहीं मिटाया गया तो मैं यह कहूंगा कि राजस्थान में लोकतन्त्र खतरे में है । अगर ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिलता रहा और वे लोग चलते रहे तो अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस पर अगर यह कहा जाय कि मेरा कोई लेना-देना नहीं था, यह एक गंभीर बात है और इस पर विचार करना चाहिये और सोचना चाहिये । आपके राज्य में, छोटे कर्मचारी रो रहे हैं, बड़े कर्मचारी रो रहे हैं । छोटे कर्मचारी-मास्टर, पटवारी आदि सभी परेशान हैं, कोई सुननेवाला नहीं । नतीजा यह होता है कि लोगों को हाई कोर्ट में रिट करने के लिए जाना पड़ता है । मैने कई मामले सदन में रखे ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मैं जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं।

आपका छोटे से छोटा कर्मचारी, एल. डी. सी. हाई कोर्ट में जाता है और हाई कोर्ट में उसको न्याय मिलता है और वह री-इन्सटेट होता है। यह तो आपके राज्य में छोटे कर्मचारियों की हालत है। राजस्थान में बड़े बड़े अधिकारी और आई. ए. एस. अधिकारी भी आपके न्याय से संतुष्ट नहीं हैं, उनको भी न्याय नहीं मिलता और आपके चतुर्वेदी और श्री गोर्धनसिंह, कलेक्टर बीकानेर हैं, उनको भी न्याय नहीं मिला और उनको हाई कोर्ट में न्याय के लिए जाना पड़ा। कहने का तात्पर्य यह कि आपके यहां पटवारी, वैद्य, एल. डी. सी. व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के लोगों को न्याय सरकार से नहीं मिलता और न आई. ए. एस. ऑफिसरों को जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनको ही सरकार से न्याय मिलता है। पी. डब्ल्यू. डी. इंजीनियरों को न्याय नहीं मिलता और सबको हाई कोर्ट में न्याय के लिये जाना पड़ता है। आखिर यह बात क्या है? आखिर आप करना क्या चाहते हैं? आज आपका शासन भ्रष्ट हो गया है, आपके यहां लाल फीताशाही घर कर गई है और वह आज आपके काबू के बाहर की चीज हो गई है और आज इस चीज पर आप काबू नहीं पा सकते। यह चीज आपके काबू की अब नहीं रही है। अध्यक्ष महोदय, ये बड़े गम्भीर सवाल हैं। सदन इन सारे के सारे सवालों पर गम्भीरता से विचार करे। राज्यपाल महोदय ने भाषण दिया, उनको धन्यवाद देने का प्रस्ताव है, हम किसी को भी वैसे धन्यवाद दे सकते हैं, पर यह प्रस्ताव है इसके पीछे सारी सैद्धान्तिक भूमिका है, उस आधार पर ये सारी बातें यहां सदन में रखी हैं। यदि उन सारी सैद्धान्तिक भूमिका के आधार पर धन्यवाद देना चाहते हैं तो इन सारी बातों पर विचार करना होगा, इन्हें हंसी और मजाक में नहीं उड़ाना होगा। विरोधी पक्ष जो बातें कहता है जिम्मेदारी के साथ कहता है, हम भी जिम्मेदार हैं। हम जो यहां सदन में कहते हैं जिम्मेदारी के साथ कहते हैं। सुखाड़िया जी परम्परा की दुहाई देते हैं, पर डांगी को नहीं डांटा। क्या भैरोंसिहजी झूठ कहते हैं? मैं भैरोंसिहजी की तरफ से कहूंगा कि वे न रहेंगे, वे आगे नहीं आयेंगे पर डांगी झूठे हैं, उनके बारे में आप झूठ बोलते हैं तो आप भी झूठ बोलते हैं। सुनते रहते हैं आप सदन में। उधर से कोई बात हो जाय तो शासन के ऊपर आप है, शासन का कर्त्तव्य हो जाता है कि उस पर भी एक्शन लें। मैं एक उदाहरण रख देता हूं। हिन्दुस्तान में दुर्गापुरा स्टील का कारखाना सबसे बड़ा स्टील का कारखाना है। पर कारखाने का माल ऐसा कि रतनगढ़ टॉवर ले जाया जाय तो रास्ते में ही ३ जगह से क्रेक हो जाय दुर्गापुरा का। उसका टॉवर ऐसा कि मोटर में से उतारा कि ३ जगह से क्रेक हो गया, वह टॉवर रींगस के रास्ते में पड़ा है। यह पब्लिक सेक्टर का मजाक है, समाजवाद का मजाक है। केवल "समाजवाद-समाजवाद" चिल्लाने से समाजवाद नहीं आयेगा। इस प्रकार पोम्प एण्ड शो होते हैं, नौटंकियां होती हैं, नाटक होते हैं उनको बन्द करना होगा और राजस्थान को आगे बढ़ाना होगा।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

राज्यपाल महोदय यहां आते है, उसमें भी सारी व्यवस्था में सादगी लानी होगी। जमाना चला गया अंग्रेजों का, आगे भी चल रहे हैं, पीछे भी चल रहे हैं, बड़े आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, इस शान–शौकत को छोड़ दीजिये।

एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम राजस्थान में लोकतन्त्र की व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं और दूसरी ओर ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं जो १ करोड़ २० लाख रुपया खा जाय। कांग्रेस का एक सदस्य उनके पक्ष में बोला। वे खुद नहीं बोले, आप नहीं बोले। आपने कहा ये हमारे मन्त्रीमण्डल में आयेंगे। पर इन सारी बातों का खमियाजा एक न एक दिन राजस्थान की जनता को देना होगा। केवल नारों के आधार पर, घोषणाओं के आधार पर राजस्थान का शासन नहीं चल सकता। कांग्रेस के विधान सभाइयों के असफल प्रयासों को काबू में करने का आपने एक प्लान्ट लगा रखा है, आप बड़े इन्डस्ट्रियलिस्ट हैं, आपका कोई उद्योग नहीं, आपने राजस्थान मे एक कारखाना चला रखा है वह है बिफूलिग प्लान्ट, दुनिया को बेवकूफ बनाने का कार–खाना, उस कारखाने के आप प्रोप्राइटर हैं, इस कारखाने से किसी का हाथ काट लेते हैं, किसी का दिमाग काबू मे कर लेते हैं, किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है; बोलना चाहे पर वह बोल नहीं सकता, क्रय विक्रय संघ में १ करोड़ २० लाख का घोटाला हो गया था, लोगों का दम घुटता है, बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं सकते क्योंकि आपकी दया पर वे जीवित हैं। आखिर केरल में भी कांग्रेसी थे, उत्तर-प्रदेश में भी कांग्रेसी थे, केरल में १५ कांग्रेसियों ने फ्लोर को कोस किया और अविश्वास के प्रस्ताव का साथ दिया। पंजाब में दिलदार जवांमर्द कांग्रेसी हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, सब जगह हैं तो राज–स्थान के कांग्रेसी बन्धुओं से कहूंगा कि दिल में आप महसूस करते हो कि शासन भ्रष्ट है तो आवाज उठाओ, अपने अन्दर शौर्य लाकर लोकतन्त्र की सारी मान्यताओं को लेकर हिम्मत दिखाओ।

श्री जगनसिंह (दांता रामगढ़): उधर से आने वालों को तो रोको।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके खिलाफ भी चिट्ठी है।

तो मैं निवेदन करूंगा कि इन सारी बातों पर सदन विचार करेगा। मैं मुख्य मन्त्रीजी से भी निवेदन करूंगा कि जो हल्के हल्के पोइन्ट्स हैं, डूंगरपुर के जंगल के बारे में जो बात कही गई वे सही नहीं है, इस तरह की छोटी छोटी बातों को लेकर सदन का समय जाया न करें। जो छोटी छोटी बातें कही गई, उनको छोड़ कर, वीकर पोइन्ट्स को छोड़ कर जो स्ट्रोंगर पोइंट्स सदन के सामने रखे गये हैं उनका जवाब आप देंगे, इस उम्मीद के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस वार राज्य-

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

पाल महोदय के अभिभाषण पर जो इस सदन में वाद-विवाद हुआ और उस पर माननीय सदस्यों ने अपनी बातें कहीं, उनमें कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं; उनकी निगाह से, उन पर तो मैं बाद मे कहूंगा लेकिन मैं यह अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन को तथ्यों के आधार पर कुछ कहा जाय और गम्भीरता के साथ जो कुछ हम कह रहे हैं, स्वयं भी उस गम्भीरता को अनुभव कर रहे हैं, कम से कम ऐसा महसूस किया जाय और उसके बाद कहा जाय तो मैं समझता हूं ज्यादा उपयुक्त होगा ।

इस सदन में कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि राजस्थान में पर–केपिटा इन्कम कम है, हम पिछड़े हुए हैं, हमें तेजी से आगे बढ़ना है वगैरह प्रश्न यहां सरसरी तौर से इस सदन में चर्चा में आये; पर मैं ऐसा समझता हूं कि दरअसल गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है। कोई माननीय सदस्य किसी भी पार्टी से आयें, सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस सदन के सामने यह है कि हम किस प्रकार राजस्थान की जनता को आगे बढ़ाने के बारे में यहां के विचार-विनिमय से बल देते हैं। सारी चर्चाएं यहां हुई उनका विश्लेषण करें और स्वयं इस बात को देखें कि राजस्थान की जनता को आगे बढ़ाने की निगाह से आम लोगों की तकलीफों की निगाह से हमने कितना समय लिया और कितना केवल मात्र दूसरी चीजों पर लगा तो शायद हमें भी अहसास होगा कि हम कितने, अपना कर्त्तव्य है उसे पूरा करने में कामयाब हो रहे हैं ?

माननीय अध्यक्षजी, मैं कभी भी यह दावा नहीं करता रहा हूँ कि राजस्थान के अन्दर कोई काया-कल्प हो गया। राजस्थान जितना पिछड़ा हुआ रहा और जितना राजस्थान में काम करने का प्रश्न है, काफी गम्भीर प्रश्न है। कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा और सुनकर आश्चर्य हुआ कि कोई भी शासन होता है, विकास का कार्य तो करता ही है, यह शासन का कर्त्तव्य है। मैं समझता हूं जनतन्त्र में अलग अलग पार्टियों का महत्व इस बात पर निहित है कि कौनसी पार्टी किस तरीके से वहां की जनता को आगे बढ़ाना चाहती है। अगर इस सिद्धांत को मान लिया जाय कि हर शासन का काम विकास करना है और हर एक शासन जनता को आगे बढ़ाता है तो बुनियादी तौर से जो जनतन्त्र की प्रणालियां हैं, नीतियां हैं उन पर कुठाराघात करना हो जायगा ।

आज सभी जानते हैं कि हमारे देश में साम्यवादी देश के विकास के बारे में एक नीति रखते हैं। कुछ दिनों पहले जनसंघ की पार्टी ने पहली बार कुछ मुद्दों पर उनके विचार रखे, उसके बारे में कुछ कहा। उसी प्रकार स्वतन्त्र पार्टी जो भी उनकी नीति हो, चाहे सहमत हों, न हों! उनका यह कहना है कि पूरे एन्टरप्राइज एम्ब्रीशियस प्लान हैं, वे यह कह कर चलते हैं। तो क्या इस बात को आसानी से मान लेने का कारण उपस्थित होता है कि सभी चीजों में आपकी प्लान एम्बीशियस हैं, हमारे यहां बड़ी प्लान नहीं होंगी, वह

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

भी प्लान करेंगे और एक यह विश्वास करते हैं कि प्लानिंग के द्वारा एम्बीशियस प्लान बनाकर वे देश का विकास करना चाहते हैं, क्या दोनों के सोचने का और दोनों के काम करने का तरीका और उसका राजस्थान की जनता पर एक ही असर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जब हम इस बात को कहें तो मैं समझता हूं कि कोई कहे कि इस तरीके से देश की आर्थिक स्थिति में, सामाजिक स्थिति में सुधार आ सकता है, हमारे तरीके के अन्दर ज्यादा ताकत है देश को आगे बढ़ाने की। लेकिन यह कहना कि हरेक शासन चलाने वाला देश को आगे बढ़ाएगा, विकास के काम जो हो रहे हैं वे तो होंगे ही, मैं समझता हूं बुनियादी तौर से गलत है।

आज पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा देश को आगे बढ़ाना और इन योजनाओं को बनाने में इस तरह की नीति को अपनाना, उसकी शुरूआत इस कांग्रेस के शासन आने के बाद, बल्कि शासन आने के पूर्व कांग्रेस ने इस बात को सोचना शुरू किया था और आज उसका परिणाम है कि हम उस दिशा के अन्दर जा रहे हैं। आज आजाद कई मुल्क हैं, पड़ोस में भी हैं, शासन वहां भी हैं लेकिन क्या उनके तरीको में और हमारे तरीकों में बुनियादी तौर से मतभेद नहीं हैं, इन चीजों को गहराई से समझना होगा। इस बात को मानकर चलना होगा कि शासन पहले भी था, राजस्थान के अन्दर भी शासन था लेकिन उस शासन के होते हुए भी राजस्थान के विकास में जो पिछले वर्षों के अन्दर, मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे आजादी के १७ वर्षों के अन्दर जो कुछ देश के अन्दर काम किया गया है कई क्षेत्रों में वह पिछले १०० साल में नहीं हुआ है।

इन कामों के जरिए आज जनता समझती है, हम सदन में आकर इस बात के भाषण देते हैं; जैसे कि जनता में विद्रोह हो रहा है, विरोध हो रहा हैं, जो बातें यहां कही जाती हैं, बाहर भी कही जाती हैं, बराबर कही गई, आखिर जनता का बैरोमीटर क्या है? उनका अन्दाजा किस बात से लगा सकते हैं? आज इस बात को समझने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि विरोधी दल भी इस बात को मानेगा कि जब महुआ में एक उपचुनाव में कांग्रेस हारी थी, जबकि महुआ के अन्दर पिछले चुनावों के मुकाबले में कांग्रेस ने ज्यादा मत प्राप्त किए थे, तब सदन के अन्दर खड़े होकर विरोधी पक्ष वालों ने मिलकर कहा था कि सरकार के प्रति जनता का अविश्वास पैदा हो गया है और आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन आज यह कहने को कोई तैयार नही होता। उसके बाद लगातार एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और फिर पंचायती चुनाव जो राजस्थान भर में हुए उनमें कांग्रेस जीत कर आई है; तो जनता ने सरकार के अन्दर विश्वास प्रकट किया है।

श्री मानसिंह महार (आमेर): पोइंट ऑफ आर्डर, क्या कांग्रेस पंचायती चुनाव पार्टी बेसिस पर लड़ी?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पंचायत समितियों के प्रधानों के चुनावों में कांग्रेस, पार्टी बेसिस पर लड़ी थी । यह वर्किंग कमेटी का रिज़ोल्यूशन है । खैर, अध्यक्ष महोदय, यहां यह भी कहा गया कि पंचायतों के चुनावों के अन्दर कांग्रेस के पास साधन होने की वजह से कामयाब हुई, दूसरी पार्टी नहीं हो सकती । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर, टोंक और सवाई माधोपुर जिलों के अन्दर कांग्रेस पार्टी जितनी साधन सम्पन्न है उतनी और भी हैं, इस बात को हर एक व्यक्ति मानेगा । तो इस प्रकार तथ्य को साइडट्रेक करने की कोशिश की जाती है । यह आप कह सकते हो कि जनता ने कांग्रेस के अन्दर विश्वास व्यक्त किया है तो कोई हर्ज की बात नहीं है लेकिन इस तथ्य से इन्कार करके चलना और कहना कि इस मामले में साधनों की वजह से दूसरी पार्टियों की नाकामयाबी हुई तो जो कानून पेश किया गया, सब की सलाह से किया गया । जहां तक मुझे याद है जो इलेक्टोरल कॉलेज बनाया गया उसमें विरोधी दल भी ज्यादातर थे, उन्होंने भी सहमति प्रकट की थी कि यह बहुत अच्छा तरीका है और इससे लाभ होगा । यह बात ठीक है, हम भी विचार करते हैं कि पंचायती चुनावों के अन्दर जितना लंबा समय लग गया उस पर पुनः विचार होना चाहिए और ऐसा रास्ता निकालें जिससे इतना समय न लगे तो ज्यादा अच्छा हो, यह किसी एक पक्ष या दूसरे पक्ष का प्रश्न नहीं है । यह सचमुच सब दलों के लिए विचारणीय प्रश्न है कि इतने लम्बे समय तक चुनाव लड़ने में दिक्कत होती हैं । इसमें क्या करना चाहिए, उसके लिए रास्ता निकाला जायगा ।

यहां पर हमारे योजना मंत्री ने पर-कैपिटा और दूसरी बातों के संबंध में कल जवाब दिया था, मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता लेकिन एक बात निवेदन करना चाहता हूं जिसको मैंने पहले भी सदन के सामने कहा है कि राजस्थान एक तरफ पिछड़ा हुआ है, वह सत्य है, काफी हद तक, लेकिन दूसरी तरफ चाहे एप्लाइड इकोनोमिक्स की, रिसर्च इन्सटीट्यूट की किताब हो या स्वयं अपने अनुभवों से जिन बातों को देखते हैं कि यह राजस्थान का सौभाग्य है कि नेचुरल रिसोर्सेज हमारे यहां पर इस प्रकार के उपलब्ध हैं कि अगर सारे राजस्थान के लोग मिलकर शक्ति लगाएं कि आने वाले पांच-दस वर्षों में, कम से कम १० वर्षों तक, उससे ज्यादा भी हो सकता हैं, इतने वर्षों तक राजस्थान की शक्ति राजस्थान के विकास पर लगाएंगे और हम राजस्थान की जनता को उसकी तरफ प्रेरित करेंगे तो शायद जिस डॉक्टर लोकनाथन की किताब का यहां जिक्र किया गया उसमें बुनियादी तौर से बात कही गई है और वह सही है कि आज हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान, उड़ीसा और मध्य प्रदेश जैसी स्टेट्स के अंदर पोटेन्शियल है जिसके जरिए हम इन स्टेट्स को जिनकी पांचवी या छठी पोजीशन हैं उसको आगे बढ़ाकर ले जा सकते हैं । लेकिन सारी चीज इस बात पर निर्भर करती है कि हम राजस्थान की जनता को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं, जिस तरफ उनको ले जाना चाहते हैं । आज इसके लिए हमें बहुत बड़ी एफर्ट्स करने

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

होगे । मैं यह दावा नहीं करता कि जो तीसरी पंच वर्षीय योजना चली उन योजनाओं के अंदर कोई हमें आशातीत सफलताएं प्राप्त हुई हैं । पहले तीन वर्ष मुश्किल के रहे हैं, खास तौर से खेती की पैदावार, जैसा हम चाहते थे उस प्रकार की न होने की वजह से राजस्थान पर असर पड़ा, इसे हम आगे बढ़ाना चाहते हैं । सदन में मैंने देखा कि राजस्थान में प्राइवेट सेक्टर में उद्योग लगाए जाते हैं तो कहा जाता है कि जैसे हम पूंजी पतियों की दलाली करते हैं, हम पूंजीपतियों के लिए यहां पर उद्योग लगवा रहे होंगे । हम आज के दिन, यह सदन इस बात को गंभीरता से सोच ले कि पब्लिक सेक्टर के अन्दर जो कुछ यहां पर हो सकता है उस बारे में हम अपनी तरफ से भारत सरकार को, मिनिस्ट्री को, जो ज्यादा से ज्यादा कोशिश हमें दे सकती है, करते हैं । उसके बाद हम इस बात का प्रयत्न करते हैं कि जितना और सेक्टर्स के अंदर राजस्थान में एम्प्लॉयमेंट पोटेन्शिल बढ़ सके, अपने रिसोर्सेज को ताकत बढ़ सके उस बारे में कोशिश करते हैं । आज यह समझे हों कि राजस्थान में लाइन लगी हुई है उद्योगपतियों की उद्योग लगाने के लिए और हम किसी से कह दें कि चले जाओ, तुम्हारे लिए जगह नहीं है, तो यह भ्रम की बात है ।

आज इसके लिए कितनी कोशिशों से, कितनी मुश्किलों से कुछ चीजों को हम बेसिक बना पाये है जिसके आधार पर हमेशा यह होता है कि एक बार एक जगह इकोनोमी डेवलप होती है तो फिर वह इकोनोमी बढ़ती ही चली जाती है । बम्बई मद्रास, कलकत्ता, अहमदाबाद में उद्योग लग गये, जो उद्योग लगे हैं, किसी उद्योग को लाना चाहते है तो उसके लिए रॉ-मेटिरियल एक जगह होता है, दूसरी जगह वह रा-मेटिरियल नहीं होता है और दूसरी जगह लगाना है तो हालत यहां तक हुई है कि भारत सरकार के उद्योग मंत्रीजी को भी यह कहना पड़ा है कि यदि उद्योग दूसरी जगह लें जावेंगे तो सहूलियतें देंगे । राजस्थान की कंडीशन्स को देखें । इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट की बात दूसरी रही । कन्ज़म्प्शन की इन्डस्ट्रीज कहीं है उनकी मार्केट की स्थिति क्या है, स्पिनिंग युनिट्स लगी हैं, पता लगायें कृपा करके कि कितना सूत राजस्थान में खप रहा है और कितना बाहर जाता है । हम इस बात का भी पता लगायें कि पी. वी. सी' की फेक्टरीज यहां लगती हैं, कितनी राजस्थान में खपत होती है और कितनी बाहर बम्बई में और दूसरी जगह जाती हैं । या तो कन्जम्प्शन का मार्केट हो या रा मेटीरियल हो । दो में से एक इन्सेन्टिव यहां पर है, यह समझ में आ सकता है । राजस्थान में नुक्लियस तो बने; ऐसी चीज तो पैदा होती है, दूसरे उद्योग एन्सीलियरी इन्डस्ट्रीज और दूसरे उद्योग आये ।

साथ साथ अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन कर दूं कि राजस्थान में जो दूसरे उद्योग लगते हैं उन सबको एक दृष्टि से देख कर चलें । उद्योग का मतलब यह नहीं है कि उद्योग के अन्दर बिजली और दूसरी चीजें देते हैं, सहूलियतें देते हैं; उसके अन्दर क्या परिणाम निकलते है । देखना यह है कि

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

स्टेट एक्सचेकर को इन्डाइरेक्टली कितनी आमदनीहोती है । एक मिनट के लिए मान लिया जाय कि यह उद्योग यहां नहीं होता है, उसके वहाँ नहीं होने की हालत में उस उद्योग में काम करने वालों की तनख्वाह राजस्थान में बटेंगी तो वहीं से चीजों की खरीद भी होगी, उसको वही खर्च करेंगे तो उसके कारण सेल्स टैक्स, एक्साइज उसके जरिये और पैदा करने वाली बात आती है और साथ ही साथ जो सामान बाहर भेजा जाता में है उसके कारण इन्टर-स्टेट टैक्स आदि दूसरी बातों से डाइरेक्ट स्टेट एक्सचेकर को फायदा होता है । उसके एनेलेसिस में जावेंगे तो प्रत्येक इस परिणाम पर पहुंचेगा कि इस सरकार के आने के बाद भी राजस्थान में जो उद्योग खोले गये हैं उनसे पब्लिक को और राजस्थान की स्टेट एक्सचेकर को और उसकी इकोनोमी को लाभ प्राप्त हुआ है । तो इन चीजों को करने का प्रश्न आता है ।

अब यदि उन चीजों को किया जाय और सदन के अन्दर उन चीजों के बारे में भी एक प्रकार से बात कही जाती है, रूटीन के तौर पर कोई चीज हो जाय तो ठीक है, ज्यादा उत्साह से किसी चीज को करने जाइये, राजस्थान को आगे बढ़ाने जायं तो इस प्रकार का क्रिटिसिज्म आता हैं । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि दरअसल राजस्थान को आगे बढ़ाना चाहिये या राजनैतिक दृष्टि से यह करना चाहिये । अध्यक्ष महोदय, यह भी कहना चाहता हूं कि इन चीजों का असर राजस्थान के बाहर रहने वाले लोगों पर, दूसरी जगह भी पैदा होती है; हां, यह संभावना होती कि राजस्थान में प्राइवेट सेक्टर के बिना पब्लिक सेक्टर से हिन्दुस्तान में यह ऐसी स्टेट हो सकती थी जो औद्योगीकरण चाहते हैं वह सारा का सारा कर लेते, प्लान का इन्वेस्टेमेन्ट भी उसमें कर लेते, लेकिन हमारे सामने स्थिति यह है कि हमारे साधन सीमित होने के बावजूद भी हम चाहते हैं कि औधोगीकरण हो । शिक्षा के क्षेत्र में पीछे, मेडीकल फेसिलिटीज़ में पीछे, रोड्स माइलेज के लिहाज से लिया जाय तो हम हिन्दुस्तान पीछे, पीने के पानी को लिया जाय तो राजस्थान में पीने के लिये पानी नहीं है, उसके इन्तजाम का सवाल हैं, । आखिर कल्पना कीजिये कि राजस्थान में आगे बढ़ने की बात आती है उस राजस्थान के सब क्षेत्रों में दिक्कत है । एक ही क्षेत्र में दिक्कत नहीं है ।

हमने राजस्थान की इन परेशानियों को देख कर, अध्यक्ष महोदय, प्लानिंग कमीशन और भारत सरकार के वित्त मंत्री जीं से इस बात पर जोर दिया कि इस तीसरी योजना में भी राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट का वजन हम पर आता है तो उसका असर दूसरे सेक्टर पर पड़ता है और आज नहीं चौथी पंचवर्षीय योजना में उसका और ज्यादा असर आकर पड़ेगा और उसके बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना में भी उसका असर उससे भी ज्यादा आयेगा । क्योंकि राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट का एरिया और उसके कमान्ड का एरिया इस प्रकार का एरिया हैं। वैसा नहीं कि आज चम्बल क्षेत्र में नहर निकल जाती है तो जमीन लोगों के पास है,

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

पानी ले जाने का सवाल हैं, गांव वसे हुए हैं और सुविधायें हैं, लेकिन वहां पर तो गांव भी वसाने हैं, सड़कें भी ले जानी हैं, सवसे पहले पीने के पानी का इन्तजाम करना है, स्कूल का इन्तजाम करना हैं: और सब सरकार को खुद को करना हैं । जव यह वात आ वेगी उस खर्चे को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट के तौर पर रखा जाय तो फिर विचार कर सकेंगे कि कितना असर उसका होता है । इतने बड़े प्रोजेक्ट से रिटर्न होने, उसमें वक्त लगेगा तो कितना लगेगा । अभी यह कहा गया कि राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट की जमीनें अलॉट क्यों हुई और वह जल्दी से जल्दी सरकार को कर देनी चाहिये । मैं ये सारे प्रश्न सदन में पहले भी कह चुका हूं कि भारत सरकार ने जिस रोज इस प्रोजेक्ट को सेन्क्शन किया है उस वक्त ही यह कहा था कि अनइकोनोमिक रिटर्न देने वाला प्रोजेक्ट होगा । इसलिए जमीन के बारे में आगे क्या किया जाय, उसके बारे में भारत सरकार, पंजाब सरकार और राजस्थान सरकार मिलकर निर्णय करे, इस बात का रिज़ोल्यूशन किया गया । आज के दिन उस रिज़ोल्यूशन के होते हुए भी जो भी फैसले करने हैं वे मिलजुल कर करने हैं । प्रोब्लम छोटी नहीं है, वहुत वड़ी है । और मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की दृष्टि से हमेशा के लिए लाभप्रद है । हमको इसे नेशनल आस्पेक्ट से भी देखना होगा, राष्ट्रीय दृष्टि से भी देखना होगा । हम यह चाहें और राजस्थान के रिसोर्सेज से यह प्रोजेक्ट करने लगें तो उसमें पांच-दस साल ज्यादा लगेंगे, उसके यदि यह दस साल जल्दी पूरा होता है तो देश में खाने-पीने की चीजों की कमी को पूरा करते है और उसको मेकेनाइज़ करने में और लेवल अप करने में दूसरे तरीके से मदद मिलती हैं तो स्टेट के लिए भी अच्छा है और देश के भी हित में है । किसी प्रश्न को राजनैतिक दृष्टि से, किसी को कहें कि सारी जमीन पड़ी है उस पर कब्जा कर लो, किसी को देने की जरूरत नहीं, यह हो सकता है प्रोजेक्ट इन बने और आगे विकास न हो । दरअसल हम चाहते हैं कि करोड़ों रुपयों का धन पैदा हो और उससे देश का और राजस्थान का हित हो तो हमें इसके लिए व्यापक दृष्टिकोण रखना होगा और उस व्यापक दृष्टिकोण को रखे विना इन प्रश्नों को हल करने की वात करते हैं तो उसमें वहुत वड़ी दिक्कत आकर सामने खड़ी होती है ।

माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन करूं कि राजस्थान में दूसरी पंचवर्षीय योजना पूरी हुई, उस समय के अन्दर राजस्थान निश्चित तौर पर आगे वढ़ा । राज्यपाल महोदय ने जो कुछ यहां पर आंकड़े रखे, आगे वढ़ने की बात रखी, मुझे आश्चर्य होता है इस बात पर कि माननीय सदस्यों को क्यों इस वात से नाराजगी होने लगती है जब हम विकास की वात कहते हैं; हमने इन वर्षों में विकास किया है, आखिर उससे क्यों नाराजगी होनी चाहिये? मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि जो सरकार की नीति रही है और जो सरकार ने काम किये है उनको राजस्थान की जनता जानती है और यदि कहीं वोट लेने में कामयाबी नहीं

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

मिलती है और उससे नुकसान पहुँचता है तो सरकार की नीति की वजह से नहीं किन्तु वह तो लोवर लेवल पर हैरासमैंट की वजह से या डिले की वजह से पहुंचा है। हमारे बुनियादी तरीकों से नहीं पहुंचता है। उन सिद्धान्तों की बात पर चर्चा करते हैं, लेकिन उन बातों पर यह कह कर चलें सरकार और कांग्रेस के लिए कि बुनियादी तौर पर कांग्रेस की नीति, जैसा कहा गया कि आप एम्बीशियस प्लान बनाकर देश को दिवालिया बना रहे हैं.

(४.०० म. प.)

जो लोग यह बात कहतेहैं; क्या वे यह चाहते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन न बढ़े; आज जब चौतरफा उन्नति का सवाल है तो उसके लिये पैसा लाना होगा। मैं निश्चित तौर से इस बात के लिये सहमत हूं फेमिली प्लानिंग को प्रायोरिटी दी जानी चाहिये और दी जाती है.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : कब से ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दो-तीन साल से।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने कभी प्रायोरिटी नहीं दी......

एक माननीय सदस्य : न आपने।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : डिस्कशन का यह लेवल मैं ठीक नहीं समझता।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं फेमिली प्लानिंग के बारे में अगर हमारी आबादी बढ़ती है तो जो हमारी पंच वर्षीय योजना है जिसको हम समृद्धि का आधार मान कर चल रहे हैं, इस बारे में हम प्रयत्नशील हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में बहुत बड़े पैमाने पर इस काम को हाथ में लेने के बारे में विचार किया गया है, इससे बुनियादी तौर पर विरोध नहीं हो सकता। आज देश के सामने जो मुख्य समस्या है उसमें उत्पादन बढ़ाने की है, उसको बढ़ाने के लिये हमें ज्यादा से ज्यादा ताकत लगानी होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज राजस्थान और सारा देश, मैं समझता हूं, दुनियां के हर देश के सामने ऐसा वक्त आता है, विकास के दौरे में जब उनको मुश्किलें उठाकर देश को आगे बढ़ाना पड़ता है; आज हमारे देश के सामने भी वही परिस्थितियां हैं। एक तरफ जहां हमारे पर इतना आर्थिक वजन है, दूसरी तरफ अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी हमें चारों तरफ से घेरे हुई हैं, हमें इस तीसरी पंचवर्षीय योजना-काल में डिफेन्स पर ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। एक तरफ प्रोडक्शन की कमी और दूसरी तरफ डिफेन्स पर ज्यादा खर्चा; इसके कारण इन्फ्लेशन सामने आया। महंगाई का प्रश्न आया। कोई भी सरकार यह चाहती हो, देश के अन्दर महंगाई हो, यह कोई नहीं चाहती चाहे कांग्रेस की सरकार हो या अन्य पार्टी की सरकार हो। महंगाई बढ़े, यह कोई भी पसन्द नहीं करेगा। उसको रोकने के लिये अलग अलग तरह से कदम उठाने की कोशिश करते हैं। राजस्थान के दायरे में हम जो करने का प्रयत्न करते हैं वह सारे देश की आर्थिक नीति का प्लान है। उसके अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा कदम उठाया जाता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

लेकिन यह प्रश्न है वह गंभीर प्रश्न है, इसमें दो राय रख कर नहीं चल सकते। मैं निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार, सरकारी कर्मचारियों के प्रश्न और सरकारी कामकाज के क्षेत्र में काम करने वालों के लिये समय समय पर अपनी वित्तीय साधनों को ध्यान में रखते हुए जो कुछ भी संभव हुआ है करती रही है। ऐसी बात नहीं है कि हमने इस पर विचार नहीं किया हो। माननीय सदस्य इस बात पर गहराई के साथ विचार करें कोई फैक्टरी है, उसका मालिक लाखों-करोड़ों रुपया कमाता है और उसमें से बोनस के रूप में देता है या तनख्वाह बढ़ाता है तो यह अलग फैक्टर है। आज राज्य सरकार के लिये कर्मचारी इस बात का आन्दोलन करें कि अमुक तनख्वाहें बढ़ायी जायं, इतनी बढ़ायी जायं, अमुक की इतनी बढ़ी है, तो इसका परिणाम क्या होता है, यह सब माननीय सदस्य जानते हैं। इसका परिणाम, इतनी बढ़ाते हैं तो आखिर उसका वजन कहां आकर पड़ता है। पांच रुपया हम बढ़ाते हैं तो बजट पर डेढ़ करोड़ रुपये का वार्षिक खर्चा बढ़ता है। आज हमें इस बात की गम्भीरता को भी लक्ष्य में रखना चाहिये।

हमारा रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर है साल भर का, वह लगातार होने वाला खर्चा है। पंच वर्षीय योजनाओं के लिये हमारी तरफ से लगाने का संकेत होना चाहिये। अगर योजना में इन्वेस्टमेन्ट ज्यादा हो सके तो उसका फायदा भी आगे मिलने वाला है, तो इस तरह से दोनों साइड को बेलेन्स करना होगा। विकास के कामों में हम रुकावट डाल नहीं सकते और कर्मचारियों की दिक्कतों का भी हम अनुभव करते हैं। हमें दोनों दृष्टिकोण सामने रख कर चलना है और उसी के अनुसार चल रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा दें, यह कौन नहीं चाहता। लेकिन इसके दूसरे परिणामों की ओर भी ध्यान देना होगा। जहां कर्मचारियों को तनख्वाह बढ़ाने के लिये आन्दोलन करने के लिये भड़काते हैं, वहां जिस चीज को करने से उसके परिणाम होते हैं, वह है बहुत बड़े टैक्सेशन के। उस टैक्सेशन को जब लागू करने के लिये कहते हैं तो फिर विरोध करने के लिये खड़े हो जायेंगे। एक तरफ तो टैक्स नहीं बढ़ने चाहिये, यह भी मानते हैं दूसरी तरफ तनख्वाहें बढ़ें, यह भी चाहते हैं। ये दोनों बातें उपयुक्त नहीं होंगी। या तो आप परिणामों के लिये तैयार रहें या आप सुझाव दीजिये, इतना बढ़ना चाहिये और उसके लिये अमुक अमुक सेक्टर में टैक्स लगा देने चाहिये। एक पांच रुपये की वृद्धि पर डेढ़ करोड़ रुपये का खर्चा बढ़ता है, ऐसी हालत में कितना खर्चा बढ़ जायगा, इसकी कल्पना करना आसान बात नहीं होती। हमारा इन सारी बातों को बेलेन्स करके चलने का प्लान रहता है। अपनी तरफ से हम इस बारे में लगातार सोचते रहे हैं। जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है जितनी आर्थिक स्थिति हमारी होती है उसी बेक ग्राउण्ड के अन्दर देने की कोशिश हम करते हैं और करेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): महंगाई को रोकने का सरकार का फर्ज नहीं है क्या? सरकार ने महंगाई रोकने के लिये कौनसी नीति अख्तियार की है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन कर चुका हूं उसके बारे में। अन्न के बारे में जो भी नीति का निर्धारण होता है वह आखिर जाकर भारत सरकार की नीति है। राजस्थान के लिये क्या लाभप्रद हो सकती है उसमें देश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नीति का निर्धारण होता है। हमने सके लये जो भी कदम उठाये हैं वे आपके सामने हैं। जो भावों बीच में ट्रेन्ड था, हर सप्ताह जहां कीमत ऊपर जाती थीं, खरीफ की फसल आने के बाद पिछले महीने के अन्दर उस ट्रेन्ड में फर्क पड़ा है। ऑल इन्डिया लेवल पर जो एक्शन लेना होता है वही हम ले सकते हैं। इसके अलावा अभी भारत सरकार के वित्त मन्त्री महोदय ने जो भाषण दिया वह भी हम लोगों के सामने है। मैं समझता हूं इस सम्बन्ध में हम कोई कदम नहीं उठा रहे हों, यह बात नहीं।

चौथी योजना का समय ६६.६७ से चालू होने वाला है। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जिसका जिक्र किया है। मुझे बड़े दुख के साथ निवेदन करना पड़ता है कि सदन में जितने भी भाषण हुए आमतौर पर अगर उन भाषणों को माननीय सदस्य स्वयं देखें, उनका ख्याल होगा इस सं[बंध] में बहुत कम विवरण है। जहां हम राजस्थान का भविष्य निर्माण करने बैठे हैं उस सबंध में यहां विचार करते हैं; हम क्या कल्पना लेकर चलते हैं उस बारे में कितना विवेचन होगा, ये सारी चीजें आगे चल कर राजस्थान के भविष्य पर असर डालने वाली हैं।

मेरे खिलाफ आप चाहे कुछ कहें, मंत्रियों के खिलाफ कुछ कहें, इस प्रकार कहने से राजस्थान का विकास हो जाता हो और सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हों तो दूसरी बात है। जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा, मैं हमेशा के लिये इस कुर्सी पर बैठा रहने वाला नहीं हूं, यह सही बात है। जनतंत्र में कोई भी एक जगह बैठा नहीं रह सकता; वैसे ही माननीय सदस्य के लिये भी है, वे भी आयंदा इस जगह बैठे रहेंगे या नहीं।

(करतल-ध्वनि)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाजार, जयपुर) : इसमें तालियां बजाने की कौनसी बात आयी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आज जो समय उनको मिला है उस समय में वे भी राजस्थान के विकास में योग दे सकते हैं, और हम भी दे रहे हैं। आखिर कौन कितना सहयोग दे रहा है और दिया है उस बारे में तो यहां की प्रोसीडिंग्ज रहेंगी। मैं समझता हूं वह केवल हमारे कहने मात्र पर निर्भर नहीं रहेगा; जो रेकार्ड है वह उस बात को याद दिलायेगा कि अमुक अमुक व्यक्तियों ने अमुक प्रकार का सुझाव दया था।

माननीय अध्यक्षजी, यहां इस सदन में बहुत सी बातों को इस प्रकार से घुमा फिरा कर रखने की कोशिश की जाती है....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आपने चौथी योजना के बारे में कहा कि अपनी राय व्यक्त नहीं की, तो क्या

(श्री भैरोंसिंह)

आपने इसका ड्राफ्ट फाइनल कर लिया है या उसको सदन के समक्ष रक्खा है या सदस्यों को उसकी सामग्री दी है जिसके आधार पर चौथी योजना पर चर्चा की जा सकती है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : ड्राफ्ट अवेलेबल होने से पहले भी देश भर में चर्चा हो रही है कि चौथी योजना के बारे में क्या दृष्टिकोण है, क्या प्रायोरिटी हो; राजस्तान के बारे में भी आप क्या सोचते हैं। कोई आंकड़े की बात न कहते। वे डिस्कस बाद में किये जा सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाजार, जयपुर) : ऑलइंडिया में इसका नक्शा दिया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): मैंने सदन में पूछा जा कि क्या इसका ड्राफ्ट फाइनल हो गया ? तो मालूम हुआ कि पहला ड्राफ्ट तो रिजेक्ट हो गया, दूसरा ड्राफ्ट बन रहा है। मन्त्री महोदय ने कहा है यह। तो केवल आंख मींचने से काम नहीं चलेगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्यों ने कहा कि बाड़मेर जो कि एक रेगिस्तानी इलाका है उसके विकास के बारे में सरकार का ध्यान नहीं जाता ? मैं समझता हूं कि वे अच्छी तरह जानते है, जो आज ट्यूब वैल के बारे में वहां किया जा रहा है। मूलतः वह रेगिस्तान के इलाके में ही काम किया जा रहा है। हमारे यहां एक माने में आज तक सैकड़ों वर्षों से रेगिस्तान हमारे आगे बढ़ने के लिए रुकावट साबित हुआ है। इस बारे में सोभाग्य से पिछले वर्ष में हम कामयाब हुए हैं और पिछले कुछ ही दिनों पहले जब मैं भारत के वित्तमन्त्रीजी से राजस्थान नहर और दूसरी चीजों के बारे बात कर रहा था तो मैंने उनसे कहा और उन्होंने इस बात के लिए आश्वासन दिया अपनी तरफ से कि हम इस चौथी पंचवर्षीय योजना के काल में डेजर्ट डेवलपमेंट के लिए एक स्पेशल अफसर की, जो किस प्रकार से इसके डेवलपमेंट का काम हाथ में लिया जा सकता है एक सेन्ट्रल लेवल पर कन्सीडरेशन के बारे में कदम उठावें।

दर असल राजस्थान स्टेट के अपने रिसोर्सेज, टैक्नीकल और फाइनेन्शियल, दोनों को देखते हुए इस प्रकार की समस्या का अन्तर्राष्ट्रीय एक्सपर्टों के सहयोग से हल निकल सकता हो, इसके बारे में भी प्रयत्नसील हैं।

दूसरा सबसे बड़ा सवाल पानी का है। इसके लिए एक तरफ राजस्थान कैनाल के जरिये वहां पानी पहुंचे, इसकी कोशिश में हैं और दूसरी तरफ नर्मदा प्रोजेक्ट के लिए जो खोसला के चेयरमैनशिप में कमेटी बनाई गई है नर्मदा के पोंटेन्शियल को किस तरह काम में लिया जा सकता है, उसके बारे में भी कोशिश कर रहे हैं कि नर्मदा का पानी राजस्थान के जालौर और कुछ बाड़मेर के हिस्से के लिये उपलब्ध हो सके जिससे ऊपर राजस्थान कैनाल से और दक्षिणी हिस्से में नर्मदा से भी पानी मिले तो राजस्थान के

Page No 108

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

इस रेगिस्तानी इलाके में सारा कायाकल्प हो सकता है ।

(हियर हियर)

और जो भी प्रयत्न हो सकता है उसके बारे में बराबर प्रयत्न किया जा रहा है ।

माननीय अध्यक्षजी, इस सदन में इस बात पर जो बहस शुरू हुई उसमें कुछ महानुभावों ने इस बात को रक्खा कि राजस्थान में पुलिस की तरफ से ज्यादती हो रही हैं और माननीय सदस्यों के प्रति जान बूझकर दुर्व्यवहार करने की घटनाएं हो रही हैं । इस बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करदूं कि जब कभी मेरे सामने किसी भी माननीय सदस्य ने इस प्रकार की घटना रक्खी हैं मैंने तुरन्त उसके बारे में जानकारी की है ।

जोधसिंहजी, जो गिरवा से हमारे यहां के माननीय सदस्य हैं, के बारे में यह बताया गया कि उदयपुर में एक झगड़े से सम्बन्धित आन्दोलन हुआ और उसका विरोध करने के लिये कानून की खिलाफत या जो भी कहिये उसके विरोध में वे वहां गये और पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया । इसके बाद वे जेल भेज दिये गये और जब वहां से उनको ला रहे थे तो लाने के वक्त में जो पुलिस का अधिकारी उनके साथ था उसने उनको हैण्डकफ कर दिया । मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां यह घटना हुई हमारे स्पष्ट आदेश होते हुए भी उसका तो मुझे खुद को दुख है कि इस प्रकार की घटना हुई, पर जिस व्यक्ति ने हैंडकफ किया उसको सस्पेण्ड कर दिया है पुलिस के आदमी को कि वह एस० एल० ए० को हैंडकफ डाले । पूरी जानकारी के बिना कि वहां से कोन ले जाता है और ले जाने के वक्त उस आदमी ने गलती की, उसकी जानकारी मिले, बिना आज के दिन उस चीज के साथ दूसरी चीज को जोड़ देना, मैं समझता हूं कि उपयुक्त नहीं होगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यहां पर यह कहा गया खास तौर से कि जो पहले भादरा से माननीय सदस्य थे श्री हरदत्तसिहजी.......

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : जोधसिंहजी पांच दिन जेल में रहे । इसके बाद में लाते समय उनके हथकड़ी लगाई गई और उसके लिये किसी हैड कॉन्स्टेबल गिरफ्तार किया और सस्पेण्ड किया, पर क्या इसमें डी वाई० एस० पी० और एस० पी० की जिम्मेदारी नहीं है ? उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? डी वाई० एस० पी० मौके पर थे और उसको मालूम था । उसके सामने हथकड़ियां डालीं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दूसरी बात सदन में यह कही गई कि स्वर्गीय श्री चौधरी हरदत्तसिहजी....

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आप यह क्यों नहीं बताते कि डी वाई. एस. पी. वहां था या नहीं ? बेचारे गरीब आदमी को आप सजा देते हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जेल से ले जाने के समय डी वाई. एस. पी. कहां रहते हैं ? जेल से अदालत ले जाते वक्त की यह घटना है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप तो यह कहिये, वे वहां थे या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : डी. वाई. एस. पी. नहीं ले जाते । इसमें जांच करके जो जिम्मेदार था उसके खिलाफ एक्शन ले लिया गया ।

श्री विजयसिंह झाला : उस गरीब आदमी की कोई जिम्मेदारी नहीं थी । यह सारा एस. पी. और डी वाई. एस. पी का काम था ।

श्री अध्यक्ष : इस तरह बहस न बढ़ावें माननीय सदस्य । ऑर्डर प्लीज़ ! मन्त्री महोदय ने बता दिया । उससे आपको सन्तोष होना चाहिये ।

श्री विजयसिंह झाला : मैंने एप्लीकेशन दी........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज़ ! ऑर्डर !! और भी इसके तरीके हैं उठाने के, आप उठा सकते हैं पर इसके लिए यह समय नहीं है ।

श्री विजयसिंह झाला : मैं अध्यक्ष महोदय, थोड़ा स्पष्टीकरण कर दूं । हथकड़ियां डालीं ....

श्री अध्यक्ष : इस तरह से स्पष्टीकरण करने के और बहुत से अवसर हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बहुत वक्त है, मैंने कोई रोंग बात कह दी हो तो.......

श्री अध्यक्ष : अभी बहुत जवाब देने हैं । माननीय सदस्य ऑर्डर प्लीज़ ! ऑर्डर !! आप स्थान ग्रहण कर लें ।

श्री विजयसिंह झाला : एक डिप्टी मिनिस्टर के इशारे पर यह सब हुआ । मैं यह भी चैलेन्ज करता हूं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उपमंत्री, गृह) : मैं खुद उनसे मिलने के लिए गया हूं ।

श्री विजयसिंह झाला : हथकड़ी डलवाने में इनका इशारा था, अध्यक्ष महोदय ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : ओन ए पोइंट ऑफ ऑर्डर प्लीज़ ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : व्यवस्था कराने गया था अध्यक्ष महोदय वहां ।

श्री विजयसिंह झाला : कोई व्यवस्था कराने नहीं गये थे । इस विधायक को हथकड़ी डाली, इसमें इन मन्त्री का इशारा था ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : पोइंट ऑफ ऑर्डर, सर, माननीय उपमंत्री ने कहा ....

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया के खड़े होने पर)

Page No 110

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढाबरिया स्थान ग्रहण करें।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं भी वहां पर गया था, इस प्रकार कहना ....

श्री निरंजननाथ आचार्य : भाई साहब, मैं जेल में गया था उनकी सुविधा देखने के लिए।

श्री मुरलीधर व्यास : शंका होती है आपके वक्तव्य से। मुख्य मन्त्री ने कहा कि उसे सस्पेन्ड किया; यह मैं समझता हूं कि यह इतना महत्वपूर्ण नहीं। पर उपमन्त्रीजी का वक्तव्य कि मैं वहां पर गया था और उनकी उपस्थिति में यह सब कुछ हुआ। तो यह उससे भी बड़ा मामला है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जेल के कमरे में गये। पानी की, भोजन की व्यवस्था और खाट आदि की कराकर आया हूं।

श्री अध्यक्ष : आप सदन की व्यवस्था करने में भी मदद दें थोड़ी सी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय अध्यक्षजी, मैं यह निवेदन कर रहा था कि सदन में यह कहा गया कि हमारे सदन में जो पहले चौधरी हरदत्तसिहजी माननीय सदस्य थे, उनके बारे में कहा गया कि उन्होंने कुम्भारामजी के लिए जगह खाली करने के बारे में जब ना कह दिया तो उनकी हत्या करवाने के लिए इस बारे में कार्यवाही की जाने लगी और उसकी सूचना आपको भी उन्होंने दी थी और मेरे पास भी इसकी सूचना प्राप्त हुई थी।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ उन्होंने लिखकर स्पीकर महोदय के पास भेजा और मेरे पास इसकी सूचना मिली, उसके बाद तुरन्त यहां से पूरी जांच करने के लिए सी० आई० डी० की तरफ से जांच करवाई गई और उसके बाद वहां पर किसी प्रकार की साजिश होना बिल्कुल नहीं पाया गया कि किसी का इसके अन्दर हाथ है। लेकिन क्योंकि उनको इस बारे में खतरा खुद को अनुभव होता था इसलिए उनसे पूछा गया कि आप कोई प्रोटेक्शन चाहते हैं तो उस प्रकार के प्रोटेक्शन की व्यवस्था कर दी जाये। उन्होंने अपने साथ में प्लेन क्लोथ में एक आदमी के लिए कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे पास रखा जाये। उस आदमी को उनके साथ रख दिया गया और वह पूर्ण रूप से स्वयं इसके बारे में सन्तुष्ट थे और मैं समझता हूं कि जो व्यक्ति आज हमारे यहां पर मौजूद नहीं हैं उनके पीछे हम अगर इस बारे में इस प्रश्न को उठाना चाहें, उचित नहीं है। जो उन्होंने स्वयं ने लिख कर दिया उसके बाद वे स्वयं इस सदन में मौजूद रहे और उनको खुद को कोई शंका शुबहा नहीं था तो बाद में किसी प्रकार का राजनैतिक एक्सप्लोइटेशन करना तो उचित नहीं है........

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उनको मारने के लिए गये थे या नहीं ?

Page No 111

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उनको मारने के लिए जाने वाली बात साबित नहीं होती । मारने के लिए गये होते तो जाने के बाद वहां पर इसको करने में कौनसी दूसरी रुकावट पैदा हो गई थी ?

श्री भैरोंसिंह : सिपाही लगा दिये वहीं पर ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जिनके वहां पर वे ठहरे, जो फरार है डकैत उसके बारे में जिसके यहां ठहरे, पुलिस ने उसके ऊपर केस रजिस्टर करके उस आदमी का चालान कर दिया गया है । आना साबित होता है, आने वाली बात साबित होने पर····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : रामप्रताप मफरूर उनसे ट्रेक्टर खरीदने गये या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं आपसे निवेदन करूं कि आना साबित होता है और क्योंकि आना उनका साबित होता है तो उसके एब्सकोण्ड होने के वारन्ट निकले हुए हैं इसलिए राजस्थान के अन्दर उसकी गिरफ्तारी के बारे में कार्यवाही की जाये उसकी चर्चा हो रही है और जिसके यहां ठहरे उनके अगेन्स्ट भी केस रजिस्टर कर दिया गया है । अब इस दौरान में जो केस रजिस्टर हुआ है और आगे जो फैक्ट्स सामने आते हैं तो और कार्यवाही होगी····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : यह आदमी पकड़ा गया या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : न तो वह राजस्थान में पकड़ा गया है और न पंजाब द्वारा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आस-पुर) : मैं इतना कहना चाहूंगा कि चौधरी हरदत्तसिंह को अपनी जान का भय अवश्य था । उन्होंने बड़ी भारी विशाल सभा में १५ हजार व्यक्तियों के सामने भाषण देते हुए कहा है कि मेरी जान का खतरा है; इस बात को मेरी मौजूदगी में कहा ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि उस इलाके में इस प्रकार की कई बार हमारे पास सूचनायें आती हैं और आज दिन तक पोलिटिकली जिसको कहना चाहिए कि इम्पोर्टेन्ट पोलिटिकल वर्क्स जो दीखते हुए हैं किसी के ऊपर हमला हुआ है तो वह श्री हंसराज आर्य के ऊपर हुआ । यह कुछ वर्षों पहले की बात है । लेकिन उनको खतरा हो सकता है और उसका इन्तजाम भी कर दिया गया क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे । गवर्नमेंट की तरफ से तुरन्त इन्तजाम कर लिया गया । बात को लेकर घटना नहीं घटी और इससे ज्यादा सबूत क्या है ? प्रोटेक्शन नहीं दी गई होती तब कहा जा सकता था । लेकिन सारी बातें हुई तो अन्दाजिया तौर पर उस बात को बढ़ाने से लाभ नहीं होता ।....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोला-यत) : पोइन्ट ऑफ क्लेरीफिकेशन, सर, अध्यक्ष महोदय, चूंकि दिवंगत श्री हरदत्त-सिंह जी से संबंधित प्रश्न है, मैं मुख्य मंत्री

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

जी से जानना चाहूंगा कि क्या वे सदन की मेज पर सारी कोरेस्पोन्डेन्स रखने को तैयार हैं जो कि चौधरी हरदत्तसिंहजी और मुख्य मंत्री जी के बीच हुई। उन्होंने मुख्य मंत्री जी को लिखा है कि उनकी लाइफ को खतरा है। इसमें चिट्ठी में एलीगेशन लगाया है, क्या वह कोरेस्पोन्डेन्स आप सदन की मेज पर रखने के लिए तैयार हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं कि माननीय अध्यक्ष को भी लिख कर भेजा है और माननीय अध्यक्ष महोदय स्वयं जो उचित समझें वैसा कर सकते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपको चिट्ठी अलग भेजी है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो चिट्ठी भेजी गई है, क्या माननीय सदस्य इस तथ्य से संतुष्ट नहीं होना चाहते कि जो कार्यवाही हुई उसमें डकैत का आना साबित हुआ। जिसके यहां ठहरे उनके खिलाफ केस रजिस्टर कर दिया गया, उसकी कार्यवाही की जा रही है। हरदत्तसिंह जी ने जो कुछ कहा उसको ख्याल में रखते हुए उनको उचित प्रोटेक्शन दिया गया और उसकी वजह से उनकी लाइफ के साथ कोई घटना नहीं घटी। इसके बाद इस मामले को ट्विस्ट करने के लिए, राजनैतिक मोड़ देने के लिए कोई न कोई धुंआ बनाये रखे, तो यह उचित बात नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : कोई राजनैतिक धुंआ बनाने की बात नहीं हैं। मुख्य मंत्रीजी यह बताने की कृपा करें कि उन्होंने जो उनसे बातचीत की पत्र लिखा क्या केवल इतना ही जिक्र किया कि कोई डकैत उनके पीछे पड़ा हुआ है और मारना चाहते हैं या जैसा भैरोंसिंहजी ने जिक्र किया उनका कहना था कि किसी राजनैतिक नेता ने कहा कि वे सीट खाली कर दें और उनको प्रलोभन दिया गया कि वह पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर बना दिये जायेंगे और उन्होंने ऐसा करने से इन्कार किया और उसके फलस्वरूप यह सारा षड्यंत्र हैं, इस प्रकार की बातचीत में या लिखित में आपके पास आया क्या?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: मेरे सामने कभी मिलकर यह नहीं कहा कि मेरे लिए इसलिए षडयंत्र किया जा रहा है कि मैं सीट खाली नहीं कर रहा हूं। मैं यह भी निवेदन कर दूं कि उनकी सीट खाली करवाने के लिए हम भी उत्सुक नहीं थे।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय को हरदत्त सिंह जी ने लिखा है, मैंने रेज़िग्नेशन दे दिया है और वह आने वाला है और मैंने जिन परिस्थितियों में लिखा है उसको आप मन्जूर मत करना। अगर परिस्थितियां कोई दबाव की नहीं होती तो कोई सदस्य अध्यक्ष महोदय को आगे से आकर नहीं कहता।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: मुझसे कई बार कहा गया और इस्तीफा दिया गया, लेकिन उसके बाद भी इस्तीफे का हमने प्रयोग नहीं किया। अध्यक्ष महोदय से तो बाद में कहा होगा।

श्री भैरोंसिंह: अध्यक्ष महोदय, यह एक मैटीरियल पॉइन्ट है, । अगर रूल्स के अनुसार कोई माननीय सदस्य इस्तीफा देता हैं तो विरोधी पक्ष का कोई सदस्य इस्तीफा मुख्य मंत्री को नहीं देगा । अगर वह देना चाहता है, तो अध्यक्ष महोदय को दे । अगर बीच में चीफ मिनिस्टर को दे देता है तो इसका मतलव यह है कि दाल में कुछ काला हैं और निश्चित रूप से काला हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: में यह कहना चाहता हू कि कल आप आकर इस्तीफा दे जायें, तो दाल में काला क्या होगा?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सारी दाल ही काली होगी ।

(व्यवधान)

श्री मोहनालल सुखाड़िया: जव तक में आपके इस्तीफे को अध्यक्ष महोदय के पास भेजकर या जाकर स्वीकृत नहीं करवा लेता हू और आप आकर अपना इस्तीफा दे जाते हैं तो इसमें दाल में काला क्या हो गया ? उन्होंने खुद ने आकर इस्तीफा दिया और कोई दवाव की वात नहीं थी । उन्होंने यह कहा कि मैं बीमार हो गया हूं और मेरी बीमारी की हालत में मैं स्ट्रेनुयस वर्क नहीं कर सकता हू, इसलिए मैं इस पद को छोड़ना चाहता हू । यह वात उन्होंने आकर कही । जो कुछ उन्होंने कहा उस त्याग–पत्र के द्वारा हमने उनके कहने के बाद उनके त्याग पत्र का कभी यूज नहीं किया । मैंने अध्यक्ष महोदय को जिक्र तक नहीं किया कि इनका त्याग-पत्र ले लें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि गवर्नमेन्ट की तरफ से उनको पब्लिक सर्विस कमीशन का मेम्बर बनाने की पशकश की थी ;

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं, उनके पब्लिक सर्विस कमीशन का मेम्बर बनाने का कोई प्रश्न नहीं था ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं निवेदन करना चाहता हू कि चौधरी हरदत्तसिह को ही नहीं, वल्कि चौधरी रामचन्द्र ने जिन्होंने हनुमानगढ़ की सीट लड़कर खाली करवाई उनको भी प्रलोभन दिया गया कि उनको पब्लिक सर्विस कमीशन का मेम्बर बनाया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : यह सारा प्रश्न बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): मैं इसकी कोई वहस नहीं करना चाहता हू लेकिन चौधरी हरदत्तसिह ने दवाव में आकर इस्तीफा दिया या नहीं और इसी आशय का पत्र उन्होंने माननीय अध्यक्ष को भी दिया ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : विरोधी दल का सदस्य या मान लीजिए भैरोंसिहजी ही आपको इस्तीफा दे दें और, आप कहें कि इसमें दाल में काला क्या हो गया, तो मैं आपको वता दू कि विरोधी दल का कोई भी सदस्य इस्तीफा आपको नहीं देगा । अगर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आप किसी से इस्तीफा लेकर एक्सटोर्ट करते हैं तो इससे यही इन्फरेन्स आयेगा कि वह दबाव की परिस्थितियों में लिया गया है तो जो प्रश्न है वह यही है कि ऐसा हुआ क्या ?

श्री भैरोंसिंह : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने कहा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की कोई बात नहीं है। चौधरी हरदत्तसिंहजी ने मुझे कहा है कि मुझे पब्लिक सर्विस कमीशन का मेम्बर बनाया जा रहा है और मैंने रेज़िग्नेशन लिखा है। यह घटना माननीय अध्यक्ष को भी कही है। मानीय अध्यक्ष यह बता दें कि हरदत्त-सिंहजी ने आपके सामने पब्लिक सर्विस कमीशन का मेम्बर बनाने का जिक्र नहीं किया ?

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं कि यह सारी बहस इसमें रखने की आवश्यकता नहीं है। मेरे सामने तो डाक से चिट्ठी लिख कर भेजी थी और व्यक्तिगत तौर से आकर नहीं कहा। मुझे इस बात की चिट्ठी नहीं दी कि किस खास परिस्थिति में इस्तीफा दिया है। वह जरूर कहा है कि वह अस्वस्थ हैं और किसी कारण से इस्तीफा दिया है वह स्वीकार न करें जब तक कि मैं वापिस आपसे बात नहीं कर लूं। यह चिट्ठी आने के बाद एक दिन यह बात कही।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): अध्यक्ष महोदय,.........

श्री अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य इस बात को आगे न बढ़ायें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि चौधरी हरदत्तसिंहजी की मृत्यु हो गई है। माननीय भैरोंसिंहजी ने यह नहीं लिखा है कि उनकी मृत्यु अननेचुरल रीज़न से हुई है और नेचुरल डेथ उनकी हुई है। जो यह मुख्य मन्त्रीजी ने कहा है कि वह इस्तीफा दिया है मुख्य मन्त्रीजी को और आपको एक पत्र में लिखा है कि मेरा इस्तीफा मन्जूर न किया जाय, और मैं समझता हूं कि मुझे यह कहा था कि दो पत्र आपको दिये कि यदि कोई इस्तीफा आये तो उसको मन्जूर नहीं किया जाय क्योंकि इस्तीफा मैंने किन्हीं दबाव की परिस्थितियों में दिया है। यह पत्र या करेसपोन्डेंस जो चौधरी हरदत्तसिहजी की है वह सदन की मेज पर आना चाहिए और सदन की प्रोपर्टी बननी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी जाने। राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी को जब यह सूचित भी किया है कि उनके प्राणों को डेन्जर है और मुख्य मन्त्रीजी कहते हैं इसका इन्तजाम कर दिया तो मैं यह चार्ज लगाता हूं कि वे चौधरी हरदत्तसिहजी से मिले नहीं। वे दो-तीन दिन तक उनका इन्तजार करते रहे; चिट्ठी आने के बावजूद और जयपुर आने के बावजूद वे नहीं मिले। फिर परेशान होकर उन्होंने एक टेलीग्राम दिया और चिट्ठी दी उसके बाद में किसी प्लेन क्लाथ का इन्तजाम किया है उनकी लाइफ की रक्षा के लिए।

Page No 115

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस बात पर बहस जिसके बारे में, तथ्यों के बारे में जानकारी चाही गई हो, उसके बारे में न उठायें तो अच्छा है और विशेष रूप से मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर कहूंगा कि क्या पृष्ठभूमि थी न इस वक्त समझा जा सकता है और न सरकार की तरफ से सारी बात कही जा सकती है, विशेष तौर से मैं सारी बात नहीं रख सकता हूं फिर भी उसको उठायें तो मैं इसको अनुचित मानता हूँ और भविष्य के लिए निवेदन करूंगा कि इस तरह की बातें सदन में न उठायें, यहां पर कोई तथ्य तय करने के लिए नहीं बैठे हैं। जैसी बात आपने सदन के सामने रखी सरकार ने उत्तर दे दिया उसका कैसे इन्टरप्रिटेशन करें और किस तरह से समझने की कोशिश करें यह आपके विचारने की बात है। तथ्यों को तोड़-मरोड़ना और उनको किसी एक तरफ लेना अनुचित है और सदन की प्रक्रिया है उसके विरुद्ध भी है इसलिए इस पर मेरी यह व्यवस्था है कि इस बहस को समाप्त किया जाय और मुख्य मंत्रीजी बहस का आगे उत्तर दें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय अध्यक्षजी, इस सदन में कुछ बातें और उठाई गई हैं। विरोधी पक्ष के माननीय नेताजी ने एक घटना डूंगरपुर में एक आदिवासी की मृत्यु के सम्बन्ध में चुनाव के दौरान पंचायतों के हुई है, रखी थी....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : आदिवासी नहीं, हरिजन।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसके बारे में जो मैंने जानकारी की है उसके अनुसार सूचना यह है....

श्री अध्यक्ष : श्री सारस्वत के लिए कुछ आप कह रहे थे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह बाद में लूंगा।

वह आया था। चुनावों में किसी में वह पहुंचा तो पहुंचने के बाद उनके परिवार वाले उनके साथ थे। उनको अस्पताल में ले जाया गया। उसके इन्जेक्शन लगाये गये और उसके बाद उसको अस्पताल में रुकने के लिए कहा लेकिन उसने कहा कि मेरी तबियत ठीक है और अस्पताल में रुकना नहीं चाहा। यह कह कर वापिस आ गये और आने के बाद उनकी मृत्यु स्वाभाविक तौर से हुई है। उसके बारे में उनके परिवार वालों ने आज के दिन तक किसी ने शिकायत नहीं की कि कोई कारण था उसकी मृत्यु के पीछे। ऐसा वहां कह कर नहीं चल रहे हैं। वह स्वाभाविक तौर से उनकी मृत्यु हुई है।

माननीय अध्यक्षजी, इस सदन में जो वाद-विवाद चला उस वाद-विवाद के दौरान में खास तौर से जो आमेर से आने वाले माननीय सदस्य हैं और बीकानेर-कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने क्रय-विक्रय संघ की बात को लेकर और रामानन्दजी जो अलवर से आये हैं उन्होंने भी कई बातें यहां पर कहीं हैं, मैं समझता हूं माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि इस संबंध में पिछले सदन में काफी चर्चा

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

हुई थी और चर्चा होने के बाद विजिलेन्स कमिश्नर को इस सारे मामले की जांच करने के लिए सौंपा गया । विजिलेन्स कमिश्नर जिनको कि एक इन्डिपेन्डेंट ऑथोरिटी की तरह मुकर्रर किया गया है उनको यह काम सौंपा जाय और इस काम को सौंपने के बाद जो नोटिफिकेशन वगैरह में एमेंडमेंट वगैरह करने की जरूरत थी वह भी सारी सहूलियत उनको प्रदान की गई और वे इस सारे मामले को देख रहे हैं। आज इस सदन में इस प्रश्न को उठाया गया कि जैसे हम किसी चीज को छिपाने के लिए जो विश्नोई कमेटी की रिपोर्ट है वह सदन की मेज पर नहीं रखना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन के सामने जो भी स्थिति है और जितनी भी जानकारी हम से समय समय पर मांगी गई है उनको देने की कोशिश की है और जो उसके संबंध में कार्यवाही सम्भव हो सकती है वह कार्यवाही की गई है और किसी प्रकार का माननीय सदस्यों के दिलों में भ्रम न रहे और यहां तो भ्रम न रहे; रहने का प्रश्न अलग रहा वह तो रिपोर्ट खुद स्पीकर महोदय के पास देख चुके हैं, लेकिन दूसरों में किसी प्रकार का भ्रम पैदा न कर सकें उस लिहाज से हमने निर्णय किया है कि विश्नोई कमेटी की रिपोर्ट इस सदन की मेज पर रख दी जाय जिससे यह बात न रहे कि किसी प्रकार का प्रश्न छिपाने का इसके साथ हो या और बात आकर जुड़ती हो।

माननीय अध्यक्षजी, यहां पर बहस के दौरान में कुछ और बातों की जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस के सदस्य राजस्थान के अन्दर इधर से उधर आ जायं; इधर-उधर करने वाली कोई उधर बैठ कर इस तरह की स्थिति पैदा कर रहे हैं। उनके भाषण का अधिकांश जोर इस बात पर था जैसे कि वह कांग्रेस वालों से अपील कर रहे हों कि किसी तरह से कांग्रेस में मतभेद पैदा हो जाय और उससे उनको लाभ प्राप्त हो जाता हो तो अपने भाषण के द्वारा वह करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपका यह खयाल होना वाजिब है, क्योंकि हम जितने कांग्रेस में आपस में मिलजुल कर चल पा रहे हैं उतना ही उनको घाटा उठाना पड़ता है। इसलिए आपका भाषणों में इस बात का प्रयत्न करना जिससे किसी प्रकार की भ्रान्ति पैदा सकें तो वह करना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। अभी अभी नतीजे जो चुनावों में हुए हैं उनका विश्लेषण किया होगा, उसमें यह ख्याल हुआ होगा कि आखिर इतने ज्यादा अधिक पक्ष में आ गये तो क्या कारण हुआ, तो उस पर विशेष तौर से आपने अपने को कन्सेन्ट्रेट किया।

माननीय अध्यक्षजी, आप एक बहुत होशियार वकील हैं। उन्होंने अपने वकालत के दौरान में और उससे पूर्व जयपुर से आने वाले दूसरे जनसंघ के माननीय सदस्य ने एक केस पुलिस द्वारा श्रीमती पुष्पा शर्मा के बारे में किया गया था, उसका जो उनका एफिडेविट है उस एफिडेविट के अंश को पढ़ कर यहां इस जोर से बात कहने की कोशिश की कि जो कुछ उनके एफिडेविट में कह दिया गया है उस सत्य को स्वीकार

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

करके चला जाय। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान के अन्दर और आत्म विश्वास भी दिलाना कि चाहता हूं किसी व्यक्ति को राजनैतिक कारण से सरकार के पुलिस विभाग के द्वारा किसी प्रकार की हानि पहुंचाने की इतने वर्षों में मेरी नीति नहीं रही और आगे भी हरगिज नहीं रहने वाली है मैंने कभी भी बदले की भावना से इस शासन के तन्त्र का उपयोग में लाने की कल्पना नहीं की है। अगर कोई कह सकता है तो यह तो मुझ से कह सकते हैं कि इस मामले में जरूरत से ज्यादा नरमी दिखा देता हूं, लेकिन तंन्त्र को किसी विरोधीपक्ष के खिलाफ यूज़ करने के बारे में कहा हो। अगर वे अपने दिल पर हाथ रखकर सोचेंगे तो नहीं कहा पायेंगे।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : मैं कह सकता हूं और इसका मैं कल आपको जवाब दूंगा।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक): मेरे विरुद्ध पुलिस ने झूठा चालान किया। मजिस्ट्रेट ने स्ट्रिक्चर पास किया है कि पुलिस झूठी शहादत लाती है इसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भी एंडोर्स किया है लेकिन इसके संबंध में अब तक कोई जांच नहीं की गई।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन कर दूं कि मैं जो बात कह रहा हूं उस बात को समझें जो इस केस में कहा गया क्योंकि चुनाव में मेरे खिलाफ उदयपुर में फोर्म भर दिया था इसलिए मैंने इस प्रकार की कार्यवाही की। आप कह सकते है पुलिस के पीछे.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आपके खिलाफ तो ४२० का केस चल रहा है। हकीकतुल्ला ने मंदसौर में चला रखा है। उसमें बजरंगलाल ने गवाही दी। वह गवाही न दे उसके लिए पुष्पा का यह मामला है, वरना वह तो कांग्रेस की सदस्या थी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जहां माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने का अधिकार है वहां सामने वाले को भी अपना जवाब देने का तो अधिकार है।

जहां तक इस केस का सवाल है इस केस के बारे में, अदालत में कब पेश किया गया और क्या हुआ, इसको मुझे कोई जानकारी नहीं थी। शुरूआत इसकी इस प्रकार होती है कि श्रीमती पुष्पा के पति जाकर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास शिकायत पेश करते हैं, उसको न मैं पढ़ना चाहता हूं न रिपीट करना चाहता हूं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपनी तरफ से पति की शिकायत को पुलिस के पास भेजते हैं और पुलिस उस पर कार्यवाही करके अदालत में पेश करती है। उसके बारे में मैं नहीं समझता कि कहां मोहनलाल सुखाड़िया ने शिकायत कर दी। उसका पति शिकायत करता है, उस पर पुलिस कार्यवाही करती है, उसके बाद यदि एफिडेविट में ......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने शिकायत को देखा है। उसके हस्बेन्ड के दस्तखत हैं क्या उस पर ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसके हस्बेन्ड के दस्तखत हैं, मुझे यह बताया गया है । मैं साथ में नहीं लाया हूं, लेकिन पूरी जानकारी कराई है । मेरे सामने भी कहा गया था कि उसके हस्बेन्ड के दस्तखत नहीं हैं इसलिए इसकी जांच करवाई कि यह सही है कि नहीं कि उसके दस्तखत हैं । इस बारे में जहां तक इस प्रश्न का सवाल है इसको राजनैतिक प्रश्न बनाकर कोशिश की जाय, यह गलत बात है······

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं इसलिए क्लेरिफाई कर दूं । इसमें एफिडेविट का पार्ट है :

"This is to my knowledge that it has not been signed by her husband."

लैटर का हवाला आता है उस पर एम. एम. दवे के दस्तखत नहीं है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिला सकता हूं कि यदि बिना दस्तखत के कागज पर पुलिस ने कार्यवाही की होगी तो मैं पुलिस के खिलाफ एक्शन लूंगा, यदि यह मालूम हुआ कि बिना दस्तखत के न कोन्कोक्टेड कार्यवाही की गई है······

श्री अध्यक्ष : यह तो वे ही स्वीकार करते हैं कि स्वयं ने पेश की, दस्तखत नहीं किये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह अन्साइन्ड था । एफिडेविट पेश किया है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने पढ़ा है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने स्वयं ने पेश की, पर दस्तखत नहीं थे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह बात नहीं कि डिस्प्यूट केवल दस्तखत का है ।

श्री अध्यक्ष : आप दो सेन्टेन्सेज वापिस पढ़ दीजिये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : न केवल दस्तखत का डिस्प्यूट था; वे कहते हैं साइड था :

"That on 25. 5. 64 Shri M.M. Dave filed an unsigned application against the petitioner before the Collector, Jaipur on completely false, flithy and concocted grounds. A certified copy of the application of Shri M. M. Dave dated 25.5.64 is annexed to this application as Annexure XI."

तो दस्तखत नहीं थे । यह कहना गलत है कि थे । या तो दस्तखत बाद में करवा लिए कलेक्टर ने ।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : फाइल किसने की ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फाइल किसी ने की हो । आप खुद वकील है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं जो कुछ कह चुका हूं उसके बाद दस्तखत है या नहीं कोई आश्वासन की बात नहीं रहती है ।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

माननीय अध्यक्षजी, इस सदन में इस बात को भी एक माननीय सदस्य ने कहा कि जो रामरतनजी का केस में चालान किया गया था बाद में कोर्ट ने उनको एक्विट किया और पुलिस के खिलाफ स्ट्रिक्चर पास किये हैं। उसके बाद जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पुलिस के खिलाफ जो स्टिक्चर्स पास किये हैं उनके बारे में या तो पुलिस के खिलाफ कार्यवाही की जाय या उसकी अपील क्यों नहीं की जा रही है ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब इस बारे में कागजात यहां आये तो उसके बाद लॉ डिपार्टमेंट की, इसमें अपील की जाय या नहीं, इस बारे में राय ली गई और लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से यह राय थी कि क्योंकि कुछ विटनेसेज़ होस्टाइल हो गई हैं इसलिये अपील करने से लाभ नहीं होगा इसलिये अपील की बात को ड्रोप किया गया। बल्कि साथ ही इसमें पुलिस के व्यक्तियों के खिलाफ स्टिक्चर्स नहीं हैं इसलिये आई० जी० पी० को इस बात के लिये कहा गया है कि सारी बातों को देखकर पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ स्ट्रिक्चर्स पास किये हैं उसकी कायदे से अपील करें जिससे स्ट्रिक्चर्स को रिपील करवाया जाय और वह जल्दी पेश कर देंगे.......

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : रामरतन कोचर को भी ऐतराज नहीं होगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं नहीं जानता, ऐतराज होगा या नहीं ? माननीय सदस्य समझ गये होंगे कि जब एक चीज का अदालत से फैसला होता है और लॉ डिपार्टमेंट राय देता है तो उस पर एक तरफ यह कहा जाता है कि राजनैतिक तरीके से अमुक नहीं होना चाहिये। उसके बाद अदालत से फैसला हो जाता है और आप कहें, वह नहीं हो तब भी वाजिब नहीं होता। तब भी लॉ डिपार्ट-मेन्ट से पूछ सकते हैं। उनकी राय थी वैसा किया गया और चीजों में न जाकर संक्षेप में.......

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : वह राजनैतिक क्या बताया ? राजनैतिक केस था या डकैती का था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप कहा करते हैं राजनैतिक केस है। मैं राज-नीतिक नहीं कह रहा हूं। तो अध्यक्ष महोदय, यहां बहस के दौरान में पाकि-स्तान की सीमा पर कुछ हरिजनों के नाक काटने की घटनाएं और और घटनाएं रखी गई और इस बात को बताने की कोशिश की गई जसे वहां पर जबर्दस्त अराजकता है या पाक स्पाईज राजस्थान में आ गये हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह ठीक है कुछ हरिजनों के नाक काटने की घटना सही है और इससे संबंधित जो भागे हुए डकैत पाकिस्तान में हैं उनके बारे में कार्यवाही हो रही है। जिस गांव के ये हरिजन रहने वाले थे उस गांव को ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन मिले इसकी कार्यवाही की जा रही है और उन डकैतों के बारे में सतर्कता से पुलिस देख रही है।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

अब पाकिस्तान के बोर्डर के बारे में जब से चीन के साथ भारतवर्ष का संघर्ष हुआ, विशेष तौर से बोर्डर कमिश्नर और दूसरा इन्तजाम बढ़ा कर और साथ ही साथ जो हरिजन वहां पर रहते हैं उसमें से कई व्यक्तियों का काफी बड़ी तादाद में जो उन लोगों का सामाजिक दर्जा जमीन उनके पास नहीं होने से कम समझते थे उनको जमीन दी है और उन लोगों को परमानेन्टली बसाने और दूसरा इन्तजाम करने के प्रति सरकार पूरी तौर से सजग है और मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि पूरी तौर से ध्यान रख कर चला जा रहा है। किसी प्रकार के खतरे की बात सामने नहीं आती है।

इसी प्रकार से, अध्यक्ष महोदय, एक पाकिस्तान से निकली हुई किताब के बारे में किताब में से माननीय सदस्य ने पढ़ कर बताया कि इस प्रकार की किताब निकली है। पाकिस्तान में जो किताबें छपती हैं हर किताब का ध्यान तुरन्त आ जाना एक आसान बात नहीं होती है। और किताब जो निकली है उसको प्रेस्क्राइब करने के बारे में कार्यवाही हो सकती है या नहीं हो सकती है–उस सारी चीज की जानकारी करने जो सम्भव होगा वह किया जायगा ......

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : हरिजनों के जो नाक–कान काटे गये, उसके सम्बन्ध में क्या सरकार मानती है कि यह केस केवल डैकोइटी का था, लूट–मार करने की दृष्टि से किया गया था या उन लोगों के तौर–तरीकों को समझ कर किया गया क्योंकि वे लोग सामाजिक दृष्टि से इसे ठीक नहीं मानते हैं, उस दृष्टि से यह किया गया था ? मेरे ख्याल में इसमें दृष्टिकोण डैकोइटी का न होकर दूसरा था। पाकिस्तान से डैकोइटी आये उनको केवल एक हथियार बनाया गया होगा और जो लोग उन हरिजनों की स्थिति को स्वीकार नहीं करना चाहते उनकी प्रेरणा और मेल से यह किया गया है–ऐसी हमारी मान्यता है। इस सम्बन्ध में सरकार की क्या मान्यता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : लोकल व्यक्तियों द्वारा सामाजिक कारणों से उन्हें बुला कर यह घटना कराई गई हो–ऐसा मानने का कारण नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह–नगर) : डाकू कौन कौन थे ? सरदारसिंह शामिल था ?

श्री मुरलीधर व्यास : रावत खां और रघुनाथसिंह शामिल थे। दो डाकू थे।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : सरकार ने यह एग्ज़ामिन किया है या नहीं कि हरिजन जो इकोनोमिकली गरीब हैं...

(कुछ माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! श्री गोयल बोल रहे हैं। श्री गोयल !

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या आपने इस बात को एग्ज़ामिन किया है कि हरिजन कॉम्युनिटी के लोग, जो इकोनोमिकली बेकवर्ड हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उन बेकवर्ड लोगों को लूटने, उनको अपमानित करने और उनके अंग-भंग करने

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

के क्या कारण हैं ? क्या मोटिव है ? इसको एक्जामिन किया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बात यह है कि झझुंडा कांड के बाद जो फरार होकर निकले हुए थे, वही गेंग इस बारे में ऑपरेट करता और उसके द्वारा यह घटना की गई है, यह बात नहीं मिलती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : झझुआ के अन्दर निश्चित रूप से हरिजनों को टेरेराइज करने की बात है। सरदारसिंह की जो रिपोर्ट आई है उसमें है कि पोलिटिकल वर्कर्स को टेरेराइज किया गया है। आपके उप मंत्री, दौलतराम सारण भी आपको इस बात को कहेंगे कि उनको टेरेराइज करने की कोशीश की है। उसके बाद भी मुख्य मंत्री जी यह कहें कि इसमें पोलिटिकल रीजन नहीं है। यह गलत है। सरदारसिंह.......

श्री अध्यक्ष : आपने अपनी बात कह दी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हरिजनों को टेरोराइज़ करने के लिए कोशिश की गई है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! आप इस बात को दोहरायें नहीं। आपने इस बात को कह दिया है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, तीन प्रश्न हैं। क्या राजस्थान से नागरिक पाकिस्तान में जाकर पीर पगारो की ट्रेनिंग लेकर आये हैं...

श्री अध्यक्ष : इससे इसका सम्बन्ध नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसका स्पष्टीकरण दे दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : इस बात को इससे जोड़ा नहीं जाय। इसके बारे में पहले बता दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या इस सारी घटना होने की सूचना पहले ही पुलिस अधिकारियों को दे दी गई थी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं। गांव वालों ने पुलिस अधिकारियों को सूचना नहीं दी थी। घटना के बाद जब पुलिस वहां पहुंची तो गांव वालों ने कहा कि इस प्रकार की सूचना उनके पास आई थी लेकिन उन्होंने पुलिस को सूचना नहीं दी थी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : ये लोग अब गांव छोड़ कर कहां बसे हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब शांति रखिये। इस पर काफी बहस हो चुकी है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय अध्यक्षजी, कल, परसों और आज राजस्थान के उप मंत्री श्री डांगी के बारे में यहां पर-उनके लुधियाना जाने के समय, वहां किस समय पर पहुंचे और वहां पर पुलिस थी या पुलिस नहीं थी और उनको उस मौके पर क्या करना चाहिए था—वगैरह बहुत से प्रश्न यहां पर खड़े किये गये हैं। उन्होंने अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट दे दिया था जिसमें कि पुलिस का वहां होना बताया था। समय के कि कितने बजे पुलिस वहां पर पहुंची और कब नहीं पहुंची-ये प्रश्न यहां पर खड़े किये गये आज

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

और उस प्रश्न को लेकर कानूनी कितावें और बहुत सी चीजें यहां पर रखी गई। मैं समझता हूं कि इसके सम्बन्ध में मैं यह कह करके चलूं कि वे जब वहां पर पहुँचे तब पुलिस नहीं थी या आज इस बात को मान लिया कि वह ही सबसे पहले वहां पहुँचने वाले थे और उन्होंने कोई सूचना नहीं दी—ये सब बातें एक विवाद का प्रश्न बन जाती हैं। मैं समझता हूं, माननीय सदस्य भी इस बारे में मानेंगे कि अगर वे जब वहां पहुँचे और वहां पर पुलिस नहीं थी और किसी ने सूचना पहले न दी हो पुलिस के थाने के अन्दर तो उनकी विशेष तौर से जिम्मेदारी बन जाती है। अब उसके बारे में जब वो कहते हैं कि वहां पुलिस थी इसलिए वे सूचना देने के लिए नहीं गये और आगे चले गये; तो मैं समझता हूं कि उनके इस वक्तव्य को न मानने का कोई कारण...

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह है कि हम झूठ बोलते हैं और वे सच बात कहते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : नहीं होना चाहिए। आपकी बात के लिए झूठी नहीं कह रहा हूं। वह इसलिए कि चूंकि मौके पर आप मौजूद नहीं थे और न मैं मौजूद था। इसलिए समय जो उन्होंने बताया उस समय के आधार पर यह प्रश्न खड़े हो रहे हैं। वे जो समय बता रहे हैं उस समय वहां पर पुलिस नहीं पहुँची- यह सवाल आज खड़ा होता है-तो उस समय, जब वे वहां पहुंचे, वहां क्या दूसरी सरकम्सटान्सेज़ थीं क्या एवीडेंसेज थीं वहां और सब बातों में क्या स्थिति थी और क्या नहीं थी-इस सबकी जानकारी हमें नहीं क्योंकि स्पॉट पर न आप थे और न मैं था, इसलिए कैसे कह सकते हैं कि पुलिस थी या नहीं थी। अगर मान लिया जाय कि यह समय एक अखबार में आया है तो कुछ अखबारों में यह आया है कि साढ़े बारह बजे पुलिस पहुँच गई थी......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : साढ़े बारह बजे मर्डर हुआ है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सवा बारह बजे मर्डर हुआ था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हत्या के तुरन्त बाद सात-आठ को अखबार में निकला, उनके अन्दर एक में आठ तारीख को अखबार में यह लिखा है कि पुलिस वहां पर साढ़े बारह बजे पहुंची....

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : कौनसा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हिन्दुस्तान टाइम्स ! टाइम्स ऑफ इन्डिया, सात फरवरी के में लिखा है; १२ बज कर १५ मिनट पर विदिन ए फ्यू मिनिट्स पहुँची। हिन्दुस्तान टाइम्स वीकली, जो ७-२-६५ का है, उसके अन्दर लिखा है कि करीब १ बजे पहुँची। और अभी आपने स्टेट्समेन के बारे में बताया उसमें लिखा है कि १.४५ पर पहुँची। तो सब्सीक्वेंटली आखिरी फाइनल टाइम पुलिस ने इन्वेस्टीगेशन में क्या माना है और ये भी वहां पहुंचे तो एग्जेक्टली कितने बजे पहुंचे, कितने बजे नहीं पहुंचे, इस बात की जानकारी करके-

(मोहनलाल सुखाड़िया)

उन्होंने अपना कर्त्तव्य–पालन किया या नहीं किया-उसके अन्दाज़ पर पहुंच सकते हैं। इसलिए मैं और जानकारी करके, क्या स्थिति है क्या नहीं है; मैं समझता हूं सदन को फिर इसके बारे में जो कुछ कहना है वह कहूंगा बजाय इसके कि तत्काल इस विवाद में मैं पड़ूं.......

श्री भैरोंसिंह : नैतिक दृष्टि से आप इनके खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हैं? जब प्रतापसिंह कैरों की डैड बॉडी और दूसरे आदमी की बाहर पड़ी हुई लाश के ऊपर से गाड़ी इसलिए ले गये कि नर्गिस का कार्यक्रम देखना है-आप क्या नैतिक दृष्टि से उचित समझते हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जितनी बात इसकी जानकारी करने के लिए कही है उसके बाद में यह छोड़ कर चल सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह मानते हैं, अगर यह मान लिया जाय कि वहां पर पुलिस थी और पुलिस को सूचना हो गई थी तो भी एक जो इतने महत्वपूर्ण चीफ मिनिस्टर थे एक स्टेट के उनका इस तरह से कत्ल कर दिया गया तो एक रेस्पोन्सिबल मिनिस्टर का यह कर्त्तव्य नहीं मानते कि वह वहां पर रुकते, पूरी जानकारी करते और जब तक और रेस्पोन्सिबल ऑफिसर नहीं आ जाते तब तक वहां रहते–ऐसा महसूस करते हैं या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने तो अभी....

श्री रामानन्द अग्रवाल : कानूनी रूप से नहीं तो नैतिक रूप से।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने किताब के जरिये जो बातें रखी गई, उनके बारे में संक्षेप में उत्तर देना ठीक समझा।

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान....

एक माननीय सदस्य : इसको डी० आई० जी० क्रिमिनल ब्रान्च को सौंप दिया जाय आपके कन्डक्ट की और उस केस से कितना ताल्लुक है, इसकी जांच करने को।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : डी. आई. जी. (क्रिमिनल ब्रान्च) को सौंप दिया जाय तो क्या क्रिमिनल साबित हो जायेंगे ?

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आपने तीन रोज से जांच क्यों नहीं की ? भैरोंसिंह जी को बोले तीन दिन हो गये, इस बीच में महत्वपूर्ण केस में इत्तला वायरलैस से पंजाब गवर्नमेंट से, सेन्ट्रल गवर्नमेंट से मंगा सकते थे। आप इतनी आसानी से कह कर नहीं टालें कि मैं जांच कर रहा हूं। आपको अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना चाहिए।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया :मैं निवेदन करूं, प्रश्न इस बात का है, लुधियाना जा रहे थे उसका उन्होंने यह समय दिया। उस समय जाने वाली बात के अलावा पुलिस के वहां पहुंचने वाली बात के अन्दर इन्होंने जो समय दिया, उसके अलावा मैं आपसे निवेदन करूं कि जो ड्राइवर था उस ड्राइवर से जानकारी ली गई तो ड्राइवर वही बात कहता है कि पुलिस उस वक्त वहां मौजूद थी।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : वह क्यों नहीं कहेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसलिए नहीं कहता हूं कि आप कहें कि इसके बारे में यह कह देना चाहिए या वह कह देना चाहिए-मैं समझता हूं वह उपयुक्त बात नहीं होगी। पहले उसके बारे में जानकारी की जाय..........

(५. म. प.)

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने कहा था कि पंजाब पुलिस ने जानकारी की। पंजाब पुलिस ने क्या जानकारी की आप अपने बयान देख लें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पंजाब पुलिस ने जानकारी की कि उस रोज गाड़ी गई थी वह किसकी थी और कौन गया था ?

श्री भैरोंसिंह : मुझे अफसोस है कि मुख्य मंत्री ने इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया। इसको चीफ मिनिस्टर ने लाइटली लिया है। इस प्रकार लाइटली लेना नहीं चाहिये। इस प्रकार लाइटली लेकर वे राजस्थान के उप मंत्री को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज से चार दिन पहले इस प्रकार के वाद का प्रश्न उठाया उस पर, इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुख्य मंत्री जानकारी नहीं कर सके और आज वे इस प्रकार की बातें कहते हैं। उनको स्वयं को संदेह है, चीफ मिनिस्टर स्वयं डाउट में हैं। लेकिन जो तथ्य हैं वे हैं और मैं कहता हूं कि श्रीमान् डांगीजी घटना-स्थल पर एक बजे नहीं पहुंचे, हत्या के १५ मिनट बाद ही पहुंचे थे। माननीय सदस्य ने टेलीफोन से बात की है उससे स्पष्ट था। उसको मैं....

श्री मथुरादास माथुर (विधान संबंधी मामलात के मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सदन का समय समाप्त हो गया है। इसलिए सदन का समय जब तक चीफ मिनिस्टर का भाषण समाप्त न हो तब तक के लिये बढ़ा दिया जाए।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय सदस्य के पास और भी ज्यादा तथ्य हों तो बता दें।

श्री भैरोंसिंह : नैतिकता का तकाजा है कि ऐसे व्यक्ति को आप न रखें जो चार व्यक्तियों की लाश को छोड़ कर चला जाए। चीफ मिनिस्टर साहब आप खुद वहां उस पोजिशन में होते तो मैं यह कहूंगा कि आपको कितना भी जरूरी से जरूरी काम क्यों न होता आप वहां पर एक घन्टे नहीं दो घंटे नहीं जरूरत होती तो दो दिन तक रुकते। मैं समझता हूं कि चार व्यक्तियों की लाश को छोड़ कर नरगिस के कार्य-क्रम के लिये नहीं जाते। यदि दूसरा कार्य भी होता तो नैतिकता का तकाजा है कि वे इस प्रकार नहीं करते। इसलिये इनको मंत्री-पद से हटाया जाना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसका संबंध इतना ही नहीं कि पुलिस वहां पर मौजूद थी या नहीं। इसका संबंध इस बात से है कि कानूनी जुर्म बनता है या नहीं और जो जिम्मेदारी उन पर थी उनको उन्होंने निभाया या नहीं, २०२ का जुर्म आई. पी. सी. में बनता है, इन सारी बातों को छोड़ कर मैं यह कहूंगा कि एक उप-मंत्री की हैसियत से अगर पुलिस आ गई हो तो भी क्या, चीफ मिनिस्टर मानते हैं कि जैसा डांगी जी कहते हैं कि वहां पर ४ पुलिस के व्यक्ति मौजूद थे और १।। घन्टा हत्या को हुए हो गया था, फिर भी शिष्टाचार के

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नाते क्या मुख्य मंत्री जी यह नहीं मानते कि एक मंत्री के नाते उन्हें वहां रुकना चाहिये था और इस तरह से झन्डी को एक मिनट बन्द करके चल दिये, नहीं जाना चाहिये था? इस तरह से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया और वह उनकी शान के खिलाफ है। इसलिये वे मंत्रि-मंडल में रहने के काबिल नहीं है।

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्यों को बोलने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : जैसा की चीफ मिनिस्टर ने अपने मुंह से कहा था कि इस बात की जानकारी की, यह इन्फोर्मेशन दी कि उस समय कोई पुलिस के अधिकारी नहीं थे...

श्री अध्यक्ष : यह इन्होंने नहीं कहा।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : मोटर किसकी गई थी, यह पुलिस को मालूम नहीं था, इसलिये तो जानकारी की। इसलिये कि मोटर पहले गई थी।

श्री मुरलीधर व्यास : मुख्य मंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि हम जानकारी करेंगे। इस बात के लिये हिन्दुस्तान की सरकार और दूसरे सभी लोग दृष्टि लगाये हैं यह लोक-हित का प्रश्न है और इस पर जानकारी चाह रहे हैं। तो जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जानकारी दे दी और वह जानकारी को दिये हुए भी तीन दिन हो गये और आज जवाब दिया जाता है; उससे ऐसा मालूम होता है कि चीफ मिनिस्टर को जानकारी नहीं है। चीफ मिनिस्टर तीन दिन में इतने बड़े मुद्दे पर जानकारी न करके आज इस प्रकार की बात कहते हैं कि जानकारी प्राप्त करूंगा। मैं यह कहूंगा कि उनके पद के लिये यह लज्जाजनक बात है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यही बात तो आप अपने सारे भाषण में कहना चाहते थे; लज्जाजनक बात है, वह आपने कह दी।

श्री मुरलीधर व्यास : जब सारा देश चाहता है, सेन्टर गवर्नमेंट इस बात में जानकारी चाहती है, मगर...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : केन्द्रीय सरकार ने आपको टेलीफोन भेजा दीखता है।

श्री मुरलीधर व्यास : ये सारे लोग जानते हैं कि वहां से मोटर गुजरी। वे वहां खड़े रहे नहीं और जिस प्रकार की बात-चीत है उससे ऐसा कोई समाचार नहीं है कि मोटर वहां पर खड़ी रही।

श्री मानसिंह महार : अध्यक्ष महोदय, मामला बहुत अहम है। आप इसको यों ही, लाइटली टालना चाहते हैं, टाल सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : वे टालना नहीं चाहते। वे जांच कराना चाहते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : आदमी मरे पड़े रहें और मंत्री उनको छोड़ कर भाग जाए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्राइमा-फेसी केस है, इसमें जांच करने की क्या जरूरत है ? गिरफ्तार किया जावे।

श्री मानसिंह महार : मुख्य मंत्रीजी ने जांच कर ली। उनका मन-मन उनके साथ नहीं होता तो भी मान लेते। डाकू १५मिनट में वहां से नजदीक ही गये थे और इसकी सूचना पी.डब्ल्यू.डी. के गेंग वालों ने आपको दी और कहा कि डाकू यहीं खेतों की तरफ गये हैं। उसके बावजूद भी वे वहां से भाग गये। उनको उनका पीछा करना चाहिये था। ऐसे डरपोक लोगों को जो दुम दबा कर भाग जायं, मंत्री पद पर नहीं रखना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: अध्यक्ष महोदय, रिप्लाई के वक्त इस तरह से भाषण हो रहे हैं यह उचित नहीं है।

श्री मानसिंह महार: हम आपसे जवाब मांगते हैं। यह नहीं हो सकता कि आप इन सारी बातों का जबाब नहीं दें। आप कम से कम यह बता दें कि आपने तीन दिन पहले जब आपको सूचना मिल चुकी थी तो फिर आपने आज तक किस बात की जांच की है, हमारी बात आपको सुननी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : सारी बातें आ गई हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: मुख्य मंत्री जी इसलिये नहीं चाहते क्योंकि साथ में वे भी फंसते हैं। आपको तीन दिन पहले जानकारी दे दी थी तो आपने इतने समय में जानकारी क्यों नहीं प्राप्त की ?

श्री मानसिंह महार : आपका हाथ है। दिल्ली जाते हैं तो आपसे मिल कर क्या हमेशा जाते है। हमेशा मिल कर नहीं जाते इस बार ही आपसे मिल कर क्यों गये जब लुधियाना नरगिस के कार्यक्रम में जाते हैं तो आपसे मिल कर क्यों गये। इसमें आपका पूरा हाथ है। यह बात अखबारों में आ गई है कि जो केरों के कातिल हैं वे राजस्थान होकर पाकिस्तान भाग गये हैं। यह राजस्थान की सरकार के लिये और हमारे लिये शर्म की बात है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: अगर डांगीजी ने जो कहा है उसको सही मान लिया जावे तो भी शिष्टाचार और नैतिकता के नाते उनको वहां पर रूकना चाहिये था या नहीं और नहीं रुक कर उन्होंने गलत बात की है या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार की बातें कह कर मामले को कन्फ्यूज कर रहे हैं। एक तरफ तो आप नैतिकता और शिष्टाचार की बातें कहते हैं और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि चीफ मिनिस्टर और उन्होंने मिल कर कैरों की हत्या करा दी :

श्री रामानन्द अग्रवाल: यह बात नहीं है; don't misrepresent the facts,

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: एक तरफ तो सदन में शिष्टाचार और नैतिकता की बातें कही जाती हैं और दूसरी तरफ हनुमानगढ़ की बातें कही जाती हैं और उस मामले में डांगीजी को भेजने की बातें कही गई। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इन सारी बातों को एक साथ जोड़ना चाहते हैं। इसलिये जब तक सारी पूरी बातों का पता नहीं लगे, मैं लाइटली इस पर अपनी राय देना नहीं चाहता। आखिर कोई बात कही जाती है जो एक प्रश्न को लेकर कही जाय, मगर यहां पर बहुत सी बातें एक साथ कह दी गई हैं। आपने सूचना दी, आप भी जिम्मेदार हैं। हम इस सदन में ऐसी बातें कर रहे हैं! What are talking ?

(एक साथ विपक्ष के अनेक माननीय सदस्य बोलने लगे)

(शोरगुल)

श्री मानसिंह महार (आमेर): डराते हैं आप हमको ? हम आपसे डरने वाले नहीं हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : We are talking sense.

श्री मानसिंह महार : We are talking sense and you are talking nonsense.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : What are you talking ?

सड़क पर एक मुख्य मंत्री मरा पड़ा है, उसको देख कर यों ही निकल जायं, यह तो मुख्य मंत्री सड़क पर मरे पड़े थे, कुत्ता भी अगर मरा पड़ा हो तो थोड़ी सी देर के लिए आदमी रुक जाता है पर राजस्थान के डिप्टी मिनिस्टर पंजाब के मुख्य मंत्री को मरा हुआ सड़क पर पड़ा देख कर भी चल दिये······

(शोरगुल)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह फोटो देखिये कार का, मर्डर मोटर में किया गया है, लाश पड़ी हुई है, सड़क पर ढोल पड़े हुए हैं, सड़क की मरम्मत हो रही है, और राजस्थान के उप-मंत्री यह सब देख कर चले जाते हैं। इसके लिए पूछते हैं तो मुख्य मंत्री कहते हैं कि "What are you talking ?" इस तरह धमकी देना चाहते हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि १ बजे ये वहां पहुंचे, उस समय वहां पुलिस नहीं थी, फिर इन्होंने पुलिस को इतलला क्यों नहीं दी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह कई बार कहा है, वही रिपीट कर रहे हैं। मैं कहूं, इस मामले में कई बातों को जोड़ कर इसे पेचीदा बना दिया है। माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि जो घटना बताई, तथ्य सामने हैं, उन तथ्यों के आधार पर और बातों को जोड़ा गया, हनुमानगढ़ के चुनाव को जोड़ा गया···

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप मुद्दा है, उसका जवाब दीजिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जिस प्रकार से कहा जाता है तो जवाब देने में भी वे बातें कही जाती हैं । यहां लीगल आस्पेक्ट्स रखे गये, नैतिकता की बात कही गई, तो मैंने भी कहा कि इन सारी बातों को देखने के बाद में मैं सारी जांच करके रखूंगा ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : रामानन्दजी ने एक पर्टीक्यूलर ववेचन आपके सामने रखा है । उसका जवाब दे दीजिये कि डांगीजी के स्टेटमेंट को जैसा का जैसा मान लिया जाय तो भी उनकी कुछ जिम्मेदारी रह जाती है या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने कहा, मुझे पूरी जानकारी करनी है, आज एक दम मैं इस आर्ग्यूमेंट में ड्रेग इन नहीं होना चाहता ।

श्री मानसिंह महार : हम जवाब लेंगे, हमने जो पूछा है उसका हम जवाब चाहते हैं । जवाब लेना हमारा अधिकार है । उसका आपने क्या जवाब दिया है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : हनुमानगढ़ में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसे फिलहाल छोड़ दीजिये, पर डांगीजी ने जो जवाब दिया है, उस आधार पर आप कहें कि उन्होंने सब कुछ देखने के बाद जो कुछ किया वह सही है या गलत ?

(शोरगुल)

श्री दिनेशराय डांगी (उप-मंत्री सिंचाई,) : मेरी तरफ से यह निवेदन करना है कि समय में हेरफेर हो सकता है, पर मैं गया तब पुलिस मौजूद थी····

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये····

(शोरगुल)

एक माननीय सदस्य : डांगी साहब इस्तीफा देना चाहते हैं, आप उनको दे देने दीजिये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : You are not less than a court. Let this statement be recorded.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न इस तरह नहीं आना चाहिये । सदन के सामने कई बातें आई हैं जैसा कि मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि जो सारे मुद्दे रखे गये, चाहे वे मुद्दे नैतिक मुद्दे हों, चाहे कानूनी हों, उन पर विचार करके, जांच करके आपने सारी बातें रखी हैं; उन पर सारा विचार करेंगे और सदन को जानकारी देंगे । माननीय सदस्य चाहें कि अभी का अभी जो चीज इतनी पेचीदा बन गई है, उसके लिये कह दें, इसके लिये आपको आग्रह नहीं करना चाहिये कि अभी अभी जवाब दें, नैतिकता का आधार बना है·······

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नैतिकता का आधार लॉ डिपार्टमेंट थोड़े ही देखेगा ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! दो बातों को उलझा दिया गया है, कानून की

(श्री अध्यक्ष)

बात कही गई, नैतिकता की बात कही गई····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नैतिकता को छोड़ दीजिये ...

श्री अध्यक्ष : छोड़ नहीं सकते।

दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। कई तथ्य हनुमानगढ़ के यहां रखे, उन तथ्यों को छोड़ कर एक तथ्य के बेसिस पर आप चाहें कि जवाब दे दिया जाय, यह तरीका ठीक नहीं। मुख्य मंत्री जी ने जैसा कि कहा सारे तथ्यों पर विचार करके जांच करने के बाद जो निर्णय होगा वह सदन के सामने रखेंगे; उससे अगर संतोष न हो तो फिर प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह: एक विशेष बात का प्रश्न पूछा है, उसका जवाब 'हां' या 'ना' में चाहते हैं। जो डांगीजी ने कहा कि जो डांगी जी ने कहा है उसे मुख्य मंत्री जी उचित मानते हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी ने अपनी बात रखी है कि वे इन सब बातों की पूरी जांच करेंगे....

श्री मानसिंह महार : चार दिन हो गये हैं, यह बात कहें...

श्री अध्यक्ष : जांच करके कहेंगे, १० दिन हो जांय तो क्या ?

श्री रामानंद अग्रवाल : डांगीजी ने स्टेटमेंट दिया है, उससे उनका गलत कन्डक्ट अपने आप जाहिर हो जाता है। और बातें भैरोंसिंहजी ने, सतीशचन्द्रजी ने कही हैं वे साबित हो जाती हैं, उनकी एन्क्वायरी की आवश्यकता है तो फिर तो यह ऑटोमेटिकली क्रिमिनल बन जाता है, जितना उन्होंने कहा है वह कन्फेशन है, प्राइमाफेसीली क्रिमिनल प्रोसीडिंग्ज़ के लिये एक दम काफी हैं। मुख्य मंत्रीजी इस पर स्टेप लेना चाहते हैं या नहीं ? what is his attitude to his conduct which he has himself admitted.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, रतनगढ़ के बारे में....

श्री भैरोंसिंह : नहीं, अध्यक्ष महोदय, जब तक मुख्य मंत्री जी इस प्रश्न का जवाब नहीं देंगे, इन्हें आगे नहीं बोलने देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : We will not permit you to make your speech until you reply to this question.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इस तरह की धमकी न दें। इस वातावरण में इतने गम्भीर प्रश्न पर कभी विचार नहीं किया जा सकता।

श्री भैरोंसिंह: हम धमकी नहीं देते रिक्वेस्ट करते हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम इल्तिजा करते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह इल्तिजाकी स्टेज से काफी आगे निकल गया है, माननीय सदस्यों

(श्री अध्यक्ष)

ने इसे पेचीदा बनाया है। मुख्य मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, आपने कई प्रश्न उठाये उनका जवाब देना है। मैंने पहले भी निवेदन किया कि आज ही इससे कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है, नैतिकता की बात का हां या ना कहा जाय, वह भी उचित नहीं है। मुख्य मन्त्री महोदय ने जांच का आश्वासन दिया है, आपने बातें कही हैं, उन पर वे विचार करेंगे, इसलिये आप इस बात का आग्रह न करें कि इस बात का निर्णय अभी लिया जाय। जो तथ्य उठाये गये हैं उनकी जानकारी करना मुख्य मन्त्रीजी आवश्यक समझते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने जो व्यवस्था दी है वह शिरोधार्य है। पर भैरोंसिंहजी ने सवाल उठाया तो मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि मैंने जानकारी की है, डांगीजी से जानकारी की, पुलिस आ गई थी, फिर हस्तक्षेप करते हुए कहा कि पंजाब की पुलिस ने जांच की है, अब तोड़ मरोड़ कर उन तथ्यों को रखा जा रहा है। उस दिन मुख्य मन्त्रीजी के दिमाग में साफ मसला था, सारे तथ्यों की सारी जानकारी उनको थी। उनको डांगीजी ने यह बात कब कही। १ बजे कहा तो पंजाब पुलिस को क्या इन्फ़ोर्म किया, क्या जांच हुई, ये सारी बातें रखीं।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : आप कन्वेंस कर रहे हैं रूलिंग को....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब अध्यक्ष महोदय के ऑर्डर से मैं बोल रहा हूं तो आप दाल-भात में मूसलचन्द कौन ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपने रूलिंग दी उसी को कन्वेस कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : इनकी तो आदत है कि डांगीजी को किस तरह फंसाया जाय।

श्री अध्यक्ष : इनका तो कर्त्तव्य है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अब्जॉर्वेशन्स हो गये...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कानून की जानकारी है....

श्री निरंजननाथ आचार्य : तोड़ मरोड़ कर रखा है....

Ruling has been given. He is canvassing the observations of the Chair.

अध्यक्ष महोदय, इस सबमें कोई तथ्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष : वह तो मुख्य मन्त्रीजी सोच कर कहेंगे कि है कि नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, पंजाब पुलिस ने जांच की; क्या की कब की, डांगीजी के बयान हुए या नहीं, डांगीजी ने इत्तिला आपको दी या नहीं, आप उसकी इत्तिला पंजाब पुलिस को देने की अपनी नैतिक जिम्मेदारी का सवाल

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

नहीं समझते हैं ? सुखाड़ियाजी साहब, आप इस प्रकार के अनैतिक लोगों को संरक्षण देना चाहते हैं। यदि ऐसा शासन का रवैया है, वह व्यक्ति डिप्टी मिनिस्टर बन के बैठा रहे, ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर नन्दाजी बोले, शास्त्रीजी बोले; हमारी मांग है कि डांगाजी को हटाओ, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम साफ शब्दों में निवेदन करना चाहते हैं मुल्जिमों को, हत्यारों की सूचना न देने वालों को अपने मंत्रिमंडल में रखकर उनको संरक्षण दे रहे हैं। इसलिए हम सदन का बहिष्कार करना चाहते हैं। मैं अपने सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि वे भी सदन से बहिर्गम करें।

(जनसंघ के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री रामानन्द अग्रवाल : (अलवर) मैंने मुख्य मंत्रीजी से कहा था कि इस सारी बात की इन्क्वायरी कराएं, लेकिन अब साफ लगता है कि मुख्य मंत्री डांगाजी को बचाना चाहते हैं। यह केवल डांगाजी का सवाल नहीं है, राजस्थान की प्रतिष्ठा का सवाल है, हमारे विरोध का मुख्य मंत्रीजी उत्तर नहीं देते हैं, इसलिए हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

(साम्यवादी सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री मानसिंह मल्हार : मुख्य मंत्रीजी विरोधी पक्ष की वाजिब मांगों के लिए डिक्टेटोरियल तरीके अपनाते हैं और सभी बातों पर भुंझलाकर बोलना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है। मुख्य मंत्रीजी इस वक्त असमंजस में हैं कि कहीं खुद भी न मारे जायं, वे खुद को बचाना चाहते हैं। ऐसे आदमियों को जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता की लाश देख कर दुम दबा कर भाग जायं उनको मुख्य मंत्री संरक्षण देते हैं, हम उनके भाषण को सुन नहीं सकते। इसलिए हम सदन से वाकआउट करते हैं।

(स्वतंत्र दल के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : मैं यह मानकर चल सकता था....

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : सीधे चले जाओ न ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं मान करके चलता था कि राजस्थान की सरकार नैतिकता कसौटी पर थी। इस अनैतिक आचरण के संबंध में खुद मुख्य मंत्रीजी को प्रायश्चित करना चाहिए था। आज हिन्दुस्तान के इतने बड़े नेता की, जो मुख्य मंत्री रहा हो, उसकी लाश तड़पती रहे, कुछ आदमियों की लाशें तड़पती रहें और हमारे राजस्थान के उप-मंत्री वहां पर नैतिकता के नाते पांच मिनट के लिए भी नहीं रुकें, किसी तरह की सहानुभूति भी प्रदर्शित न करें, इन सब चीजों से राजस्थान के लोगों का सिर नीचे भुक जाता है। इसलिए मैं अपने सभी साथियों सहित सदन का बहिष्कार करता हूं।

(संयुक्त समाजवादी सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे आश्चर्य है इस बात का कि इस सवाल को जिस गंभीरता से लिया जाना चाहिए था और जितना मैंने कहा था कोई कारण नहीं होना चाहिए था, फिर भी यह रूप दिखाया गया। वैसे मैंने पहले ही सुना था कि वे वाकआउट करना चाहते थे, उस लिहाज से भूमिका उन्हें बनानी थी। खैर; यह बात हुई।

मैं रतनगढ़ के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। वहां तारीख २५ को श्री कुंभाराम आर्य को वहां की नगरपालिका के सदस्यों ने मानपत्र देने के लिए आमंत्रित किया था और उसके बाद जब वे वहां पर पहुंचे तो उससे पहले ही. वहां पर लोगों को इकट्ठा करके श्री कुंभाराम को रोकने के लिए ऐसा वातावरण पैदा किया था। उस पर मजिस्ट्रेट ने धारा १४४ लगा कर लोगों को इकट्ठा न होने के लिए हिदायत की इसके बावजूद भी श्री मोहनलाल सारस्वत और दूसरे लोग काफी इकट्ठे सुए कानून भंग करके। मुझे कहते हुए दुख होता है कि जहां एक तरफ विरोधी पक्ष जनतंत्र की रक्षा के बात कह कर चल सकता है, कोई डिमोन्स्टेशय करे इस बात को मैं समझ सकता हूं; विरोध करें मैं समझ सकता हूं, लेकिन जब मिनिस्टर श्री कुंभाराम वहां पर पहुंचे तो उनकी गाड़ी पर लाठियों का प्रहार किया गया, रास्तों को रोका गया, पुलिस पर पत्थर फेंके गए और फिर भी कहा जाय कि कार्यवाही नहीं करनी चाहिए थी तो मैं समझता हूं कि न जनतंत्र कायम रहता है, न लॉ एण्ड ऑर्डर कायम रह सकता है। उसके बाद दूसरे दिन विद्यार्थियों को भड़का कर एस०डी०एम० के यहा भेजा गया। स्टेशन पर पहुंच कर वहां ट्रेन पर पत्थर फेंके गए, शीशे तोड़े गए। एस०डी०एम० के यहां पहुंच कर वायोलेंस क्रिएट की। उसके बाद जब शाम को सभा कर रहे थे उस मौके पर शुरू से पुलिस के पहुंचते ही भीड़ ने मारपीट करना शुरू किया तब सेल्फ–डिफेन्स के अंदर कार्यवाही की, उससे लोगों को चोटें आई। तो माननीय सदस्य मानेंगे कि जहां हम हरेक सदस्य का आदर करना चाहते हैं कि वहां प्रत्येक नागरिक का भी अधिकार है कि उसको उसी प्रकार सम्मान प्राप्त हो तो उससे एक मिनिस्टर को महरूम रखा जाय, इस बात को मानने का कोई कारण नहीं। अब अधिक नहीं कहूंगा और निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में कुछ माननीय सदस्यों ने संशोधन भेजे हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं :

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह, श्री विजय सिंह झाला, श्री दुर्गालाल बाढ़दार, श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल, श्री मुरलीधर व्यास श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ;

इन सब के संशोधनों पर एक साथ मत-दाता होगा। जो माननीय सदस्य इनके पक्ष में हों, 'हां' कहें और जो विपक्ष में हों, 'ना' कहें।

(मत-दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता सब संशोधन गिर गये। प्रस्ताव जो सदन के समक्ष है वह इस प्रकार है :

इस सत्र में समवेत् विधान सभा के सदस्य, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने कृपापूर्वक सदन में दिया है, अत्यन्त कृतज्ञ हैं।

(मतदान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता। प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

सदन की कार्यवाही कल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ५.२८ बजे दिनांक ४ मार्च, १९६५ के म. पू. ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट १'

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १४२ का उत्तर देखिये)

पंचायत उच्चेन (पंचायत समिति रूपवास) में जून महीने में लगे मवेशी मेले से पंचायत में आमद व खर्च की सूची—

बिके हुए मवेशियों की संख्या	मेले से आमदनी	मद
	आय	
१०३६	रु० ३११२.५०	बिक्री फीस
	रु० २५८.५०	प्रवेश फीस बिक्री पर
	रु० २०.००	ठेका हल
	रु० १२.००	सिवाय (विविध)
	रु० ३४०३.००	

खर्चा

	मेले में हुआ खर्चा	मद
	रु० ११६. ६०	प्रचार मेला
	रु० ३०२. १२	प्याऊ (मनुष्यों) पर व्यय
	रु० २७६. ००	,, पशुओं पर व्यय
	रु० ३७८. ००	इनामात पर व्यय मय दंगल कुश्ती
	रु० ४०२.००	रोशनी पर व्यय
	रु० ४१२.८०	किराया तम्बू, व रेडियो पर व्यय लेखन, चौकीदारी आदि
	रु० २२१.००	मजदूरगण पर व्यय
	रु० २१४.२५	इमदाद व्यापारी पर व्यय
	रु० १६६.२०	अन्य मय स्टेशनरी
	रु० ६४.५६	उद्घाटन संबंधी व्यय
कुल	रु० २५८६.०३	

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १४३ का उत्तर देखिये)

सूची (अ)

नाम योजना	धनराशी जो प्रस्तावित थी	वर्ष	व्यय
		१९५३-५४	४१४७४
१—प्रथम पंचवर्षीय योजना	१,००,०००	१९५४-५५	२५,९८६
		१९५५-५६	१७,०५६
		१९५६-५७	७,१८२
		१९५७-५८	२२,०२४
२—द्वितीय एवं वर्णीय योजना	१,१५,०००	१९५८-५९	२३५३
		१९५९-६०	१६,३८१
२—तृतीय पंचवर्षीय योजना	१,८०,०००	१९६०-६१	८७,२८९
		१९६१-६२	१,०४,१०८
		१९६२-६३	६४,९२३
		१९६३-६४	३,०२०

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२६ का उत्तर देखिये)

सूची (अ)

१—केटिल शैड, बस्सी ।

२—डामर बिछाई चांदपोल से, निर्वाण मार्ग जयपुर ।

३—नल व गटर लगाई पुलिस स्टेशन रामगंज ।

४—उठाई, चौड़ाई तथा सुधार जयपुर–भरतपुर खंड
मील ८७।० से ९३।० तथा ९७।० से १०६।०

५—ड्रेस ड्रिनेज वर्क्स शाहपुरा पावटा-कोटपूतली रोड ।

६—जयपुर बाई पास ।

७—जयपुर–सीकर खंड के मुड़ावों का सुधार, मील ८ से
२१ राष्ट्रीय मार्ग नं० ११ ।

८—परिवर्तन तथा सुधार होस्टल कोटपुतली ।

शुद्धि–पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक ३ मार्च, १९६५)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
९९१	१४	अोर	अबोर
९९४	२३	ह्	हूं
१००३	१३	श्री कुष्णकुमार	श्री कृष्णकुमार
१००४-५, व १०१४	शीर्षक	३ माच, ६५	३ मार्च, ६५
१००६	१६	क्लसी फिकेशन	क्लासीफिकेशन
१००६	१२	श्रीमती नगेन्द्रबाल	श्रीमती नगेन्द्रबाला
,,	अन्तिम पंक्ति	समितिर्यो	समितियों
१०२०	शीर्षक	प्रश्नोत्तर	प्रश्नोत्तर
१०२१	अन्तिम पंक्ति	ताने	बताने
१०२४	१०	उप, मंत्री आबकारी	उप-मंत्री, आबकारी
१०२७	११	ऑबजर्क्वेशन	ऑब्जर्वेशन
१०३६	शीर्षक	३ मार्च १९–	३ मार्च, ६५
१०३८	१२	श्री चन्दनमल वद	श्री चन्दनमल वैद
१०४६	शीर्ष	—	(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
१०४८	,,	—	(श्री मानिकचन्द सुराणा)
१०५३	५	में । नः	में पुनः
१०५४	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तार	अनुपस्थित सदस्यों के
१०६१	अन्तिम पंक्ति	ट्र कॉपी	ट्रू कॉपी
१०७०–७१ व १०७३	शीर्षक	राज्यपाल महोदय, के अभि-भासण	राज्यपाल महोदय के अभि-भाषण
१०७५	,,	वाद:विवाद	वाद-विवाद
१०७६	शीर्षक	३ । मार्च	३ मार्च
,,	१९	खोलना	खोलना
,,	२०	तना	उतना
,,	२९	खोल	खोलें
१०७७	२२	होमी	होगी
१०७८	४	स्मझा	समझा
,,	८	ि सी	किसी

१	२	३	४
१०७८	२७	वढ	वढ
१०८० व १०९२	शीर्षक	महादय	महोदय
१०८३	२०	श्री योगेन्द्रनाथ हांड़ा	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा
१०९४	शीर्ष	(श्री मानकचन्द सुराणा)	(श्री मानिकचन्द सुराणा)
११००	२०	चला ये	चलाये
११०१	१६	किसी भा का	किसी भी देश का
११०७	७	अवश्य	का अवश्य
११०६	१	नियुक्ति	नियुक्ति
१११२	शीर्ष	(श्री योगेन्द्रनाथ हांड़ा)	(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
११२१	१० व २५	श्री नाथूराम मिर्घा	श्री नाथूराम मिर्धा
११२२	शीर्षक	३ मार्च, ३५- अभिभाषध	३ मार्च, ६५- अभिभाषण
११२७	,,	भअभिषण	अभिभाषण
११२८	,,	यपाल	राज्यपाल
,,	६	रार्यसिसनगर	रायसिंहनगर
११३०-३१	शीर्षक	रिक्शा चालकों की हड़ताल विषयक औचित्य प्रश्न	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद
११३४	शीर्ष	(श्री हरिश्चन्द्र)	(श्री हरिश्चन्द्र)
,,	२२	ट्रान्समिसेन	ट्रान्समिशन
११३५	८	डिटिमन	डिटमिन
११३६-३७	शीर्षक	५ मार्च, ३५	३ मार्च, ६५
११३७	१४	दौलतसिंहअी	दौलतसिंहजी
११५०	४-५	अध्यक्ष ,	अध्यक्ष महोदय,
११५२	४	राज–स्थान	राजस्थान
११५३	शीर्षक	वाद-ववाद	वाद-विवाद
११६१	६, १४व१८	श्री सतीशचन्द	श्री सतीशचन्द्र
११७०	३	श्री श्रध्यक्ष	श्री अध्यक्ष
११७२	६	श्री सतीशचन्द	श्री सतीशचन्द्र
११७५	३०	whichw ere	which were
११८०	५	आहिश्ता आहिश्ता	आहिस्ता आहिस्ता
११८७	२२	करेंगे	करेंगे
११९०	शीर्षक	महोदय क	महोदय के

(३)

१	२	३	४
११६१	१	पेदा	पैदा
,,	६	कर लेतो	कर ले तो
,,	२७	पचबर्षीय	पंचवर्षीय
११६२	३	सड़र्के	सड़कें
११६३	११	प्रोजेक्ट इन बने	प्रोजेक्ट बने
,,	१६	विना	बिना
११६६	शीर्ष	श्री मोहनलाल सुखाड़िया)	(श्री मोहनलाल सुखाडिया)
११६८	८	सके f लये	इसके लिये
१२००	३	सामगी	सामग्री
,,	६	राजस्तान	राजस्थान
१२०६	१६	श्री निरंजननाथ आचर्य	श्री निरंजननाथ आचार्य
१२०८	शीर्षक	राज ापाल	राज्यपाल
१२२८	४	झझुडा	झझुआ
,,	१२ व १४	टेरेराइज़	टेरोराइज़
,,	१५	कोशीश	कोशिश
१२४२	शीर्षक	२ मार्च	३ मार्च
१२५२	शीर्ष	—	(श्री अध्यक्ष)
,,	३	कृर्पापूर्वक	कृपा पूर्वक
१२५४	५	f ाके हुये	बिके हुये